प्रश्न पत्र – द्वितीय

वृहद अधिनियम

एवम्

स्थानीय एंव विशेष अधिनियम

soniya tanwa

भाग (अ)

भारतीय दण्ड संहिता

soniyawar

अध्याय – 1 – परिचय

प्रस्तावना :– भारतीय दण्ड संहिता की रचना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई थी। 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया जाकर लागू किया गया। इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र आता है। **(वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के पश्चात् दिनांक 31.10.2019 से ''जम्मू कश्मीर को छोडकर'' को विलोपित कर दिया गया है।)** क्षेत्रातीत अधिकारिता के अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक तथा भारत में रजिस्टर्ड विमान तथा जलयान में किए गए अपराधों पर यह संहिता लागू होती है। परन्तु अन्य राष्ट्र क्षेत्रों में गठित अपराधों के मामले में उस राष्ट्र के साथ प्रत्यर्पण संधि होने पर ही इस संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही संभव है। इस संहिता के अन्तर्गत हर व्यक्ति चाहे वह किसी धर्म जाति का हो अपराध करने पर दण्ड का भागी होगा।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल को उपरोक्त दायित्व से मुक्त रखा गया है।
- अन्तर्राष्ट्रीय विधि आपराधिक अभियोजन से निम्नांकित को उन्मुक्ति प्रदान करती है :–

1. विदेशी सम्राट
2. राजदूत
3. विदेशी सेना
4. अन्यदेशीय शत्रु
5. युद्धपोत

अध्याय :–2– सामान्य स्पष्टीकरण (परिभाषाऐं)

धारा 21. :– लोक सेवक :– लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के लिये है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है।

soniya tanwar

1. (विलुप्त)

2. भारत की सेना नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त ऑफिसर।

3. हर न्यायाधीश जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ।

4. न्यायालय का हर ऑफिसर जिसका यह कर्त्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणिकृत करे, किसी संपत्ति का भार संभाले या उसका व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्त्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा वि ो ा रूप से दिया गया हो।

5. किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ज्यूरी सदस्य या पंचायत का सदस्य।

6. हर व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय, या रिपोर्ट के लिये निर्देशित किया गया हो।

7. हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरूद्ध करने या रखने के लिये सशक्त हो ।

8. सरकार का हर ऑफिसर जिसका यह कर्त्तव्यों हो कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इतला दें, अपराधियों को न्याय के लिये उपस्थित करें या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे।

9. हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से किसी सम्पति हो ग्रहण करे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितो पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेक्षण या रिर्पोट करे या सरकार के धन संबंधी हितो से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिये किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके।

10. हर ऑफिसर जो किसी ग्राम नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिये किसी सम्पति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्‌गृहीत करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिये कोई दस्तावेज बनाए।

11. हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या पुनरीक्षित करने के लिये या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो।

12. हर व्यक्ति जो – (1) जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्त्तव्य के पालन के लिये सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो।

soniya tanwar

(2) स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केन्द्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम की या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो।

राजस्थान संशोधन (वर्ष 1993)

13. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन और परीक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित या लगाया गया है। इसके अनुसार लोक निकाय में किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या भारतीय संविधान के अन्तर्गत या सरकार द्वारा गठित विश्वविधालय, शिक्षा परिषद् या अन्य स्थानीय निकाय सम्मिलित है।

व्याख्या– लोक सेवक के लिये आवश्यक तत्व हैं कि वह सरकार की सेवा या वेतन पर हो उसे कोई लोक कर्त्तव्य करने का कार्य सौंपा गया हो।

नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है।

स्पष्टीकरण 1– ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2– जहां कहीं"लोक सेवक" शब्द आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

स्पष्टीकरण 3– "निर्वाचन" शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे हो स्वरूप का ही, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो।

धारा 34– सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गये कार्य –

जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

soniya tanwar

व्याख्या – सामान्य आशय पूर्व गठित योजना और उस योजना के अनुसरण में संयुक्त कार्य को इंगित करता है अर्थात सामान्य आशय पूर्व मतैक्य परिकल्पित करता है। सामान्य आशय व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा पूर्व नियोजित किसी आशय पर सामान्यतः एक मत होकर कार्य करने से माना जायेगा।

धारा 75– पूर्व दोषसिद्वि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड :–जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 सिक्कों व स्टाम्प के अपराध या अध्याय 17 सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्व ठहराये जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

अध्याय 4

साधारण अपवाद :–

धारा 76– विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य– कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न की विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

व्याख्या– यह धारा ऐसे व्यक्ति को क्षमा देती है जिसने कोई ऐसा कार्य किया हैं जो विधि के द्वारा अपराध है किन्तु जिसे करने में तथ्यों की भूल के अधीन वह सद्भावपूर्वक इस विश्वास में आ गया था कि वह इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आदेशित है।

धारा 77 – कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग मे की जाती है, जो या जिसके बारे मे उसे सद्भावपूर्वक उसे विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

धारा 78 – कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत रहते की जाये, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह सब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

soniya tanwar

धारा 79 – कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत है।

धारा 80 – कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आ ाय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

धारा 81– कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई हैं कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आ ाय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन के सद्भावपूर्वक की गई हो।

व्याख्या– कोई कार्य जो अपराध होगा कुछ परिस्थितियों में क्षमा किया जा सकता है यदि अभियोजित व्यक्ति यह दर्शित करे की उसने वह कार्य कुछ ऐसे परिणामों से बचने के लिए किया था जो अन्यथा रोके न जा सकते थे एवं उससे अधिक अपहानि कारित हो सकती थी।

धारा 82– कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

धारा 83– कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से उपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों पर निर्णय कर सके।

धारा 84– कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

व्याख्या– चित्तविकृति का अर्थ है चाहे समर्थता का अभाव स्थायी हो या अस्थायी, प्राकृतिक हो या आकस्मिक या चाहे वह बीमारी के कारण पैदा हुई हो या जन्म से ही विद्यमान हो, सभी चित्तविकृति की अभिव्यक्ति में शामिल है।

धारा 85– कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में असमर्थ है, परन्तु यह तब जब कि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरूद्ध दी गई थी।

धारा 86 – उन दशाओं मे जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आ ाय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत मे करता है, इस बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता, यदि वह मता मे न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना व उसकी इच्छा के विरूद्ध न दी गई हो।

soniya tanwar

धारा 87 – कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आ ाय से न की गई हो और जिसके बारे मे कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्य ुया घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे मे कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की, जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है।

उदाहरण :– क और य आमोदार्थ आपस में पटेबाजी करने मे सहमत होते है। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो पटेबाजी के खेल मे नियम विरूद्ध मे न होते हुए कारित हो उठाने की हर एक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथा नियम पटेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है।

धारा 88 – कोई बात जो मृत्युकारित करने के आ ाय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिये यह बात सद्भावपूर्वक की जाये और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिये चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आ ाय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

धारा 89 – कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु से या विकृतचित व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आ ाय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

परन्तुक :–

पहला – इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।

दूसरा – इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बात करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।

तीसरा – इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।

चौथा – इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

धारा 90– कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि यह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह

soniya tanwar

जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी।

उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति– यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो।

शिशु की सम्मति– जब तक की संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो ऐसी सम्मति, यदि ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है।

धारा 91 – धारा 87,88 और 89 अपवादो का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किये जाने का आ ाय हो, या कारित होने की सम्भावना ज्ञात हो।

धारा 92 – कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाये, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिये यह असम्भव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो ओर उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना सम्भव हो कि वह फायदे के साथ की जा सके।

परन्तुक :–

पहला – इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।

दूसरा – इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बात करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।

तीसरा – इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।

चौथा – इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

धारा 93 – सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिये दी गई हो।

धारा 94 – हत्या और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधो को जो राज्यों के विरूद्ध है, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिये ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात

sonya tanwar

को करते समय उसको युक्तियुक्त यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथाा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाये, परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति मे न डाला हो जिसमे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।

धारा 95 – कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में

धारा 96–प्राइवेटप्रतिरक्षा का अधिकार– कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है।

व्याख्या–प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान अपहानि उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। खुली लड़ाई में कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मानी जायेगी।

धारा 97– धारा 99 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार हैं कि –

पहला– मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरूद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे।

दूसरा– किसी ऐसे कार्य के विरूद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसे करने का प्रयत्न है, अपनी या अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे।

धारा 98 – ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो –

जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता ।

उदाहरण – पागलपन के असर में **'य' 'क'** को मारने का प्रयत्न करता है। **'य'** किसी अपराध का दोषी नहीं है किन्तु **'क'** को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह **'य'** के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता।

soniya tanwar

धारा 99– कार्य जिनके विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

(1) सद्भावनापूर्वक यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भानावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक द्वारा किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।

(2) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भानावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक के निर्देश से किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निदेश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।

(3) उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिये लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

(4) इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार– किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करनें पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 1.– कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किए गए ,या किए जाने के प्रयतित, कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो , या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोकसेवक है।

स्पष्टीकरण 2– कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किए गए, या किये जाने के प्रयतित, कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो , या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा हैं , या जब तक की वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है।

धारा 100 – शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है– शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, निम्नलिखित में से किसी भी भांति का है–

(1) ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा,

(2) ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा,

(3) बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला,

soniya tanwar

(4)प्रकृति विरूद्ध काम–तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला,

(5)व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला,

(6) इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाये, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिये लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा।

(7) तेजाब फेंकने का कार्य या प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे कृत्य का परिणाम घोर उपहति होगी । (आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013) के द्वारा जोडा गया।

धारा 101 – कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है– यदि अपराध पूर्वगामी अन्तिम धारा में वर्णित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु, स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता किन्तु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

धारा 102 – शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना–

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक की शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

धारा 103 – कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है– संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है निम्नलिखित में से किसी भांति का है–

(1) लूट,

(2) रात्रि गृह भेदन,

(3) अग्नि द्वारा रिष्टि,जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गयी है , जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

(4)चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।

धारा 104 – ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का तब होता है– यदि वह अपराध जिसके किये जाने या जिसके किये जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर

sonia tanwar

आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है, जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में प्रगणित भांतियो में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता किन्तु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक होता है।

धारा 105– संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना –

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आरम्भ होती है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरूद्ध तब तक बना रहता है जब तक

1 . अपराधी संपत्ति लेकर स्थान छोडकर चला नहीं जाता या

2 लोक अधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त नहीं हो गयी हो

3 संपत्ति पुनः प्राप्त न हो गई हो।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरूद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरूद्ध वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे ही उन अपराधों का किया जाना समाप्त हो जाता है।

रात्रि गृह भेदन के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक की गृह अतिचार चलता रहता है (जहां एक व्यक्ति ने चोर का पीछा किया और उसे गृह अतिचार समाप्त हो जाने के बाद खुले में मार डाला, यह अभिनिर्धारित हुआ कि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन था)

धारा 106 –घातक हमले के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो– जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस अपहानि के जोखिम उठाने तक का है।

उदा. . **क** पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाये बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता और वह

soniya tanwar

भीड़ में मिले हुए छोटे–2 शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाये बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो **क** कोई अपराध नहीं करता।

अध्याय 5

दुष्प्रेरण के संबंध में

धारा 107 – किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो

1 उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा

2 उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा

3 उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है

स्पष्टीकरण 1– जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

उदाहरण .– **क** एक लोक ऑफिसर, न्यायालय के वारंट द्वारा **य** को पकड़ने के लिये प्राधिकृत है। **ख** उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि **ग**,**य** नहीं है **क** को जानबूझ कर यह व्यपदिष्ट करता है कि **ग, य** है और तद्द्वारा साशय **क** से **ग** को पकड़वाता है। यहां **ख, ग** के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

स्पष्टीकरण 2– जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

धारा 108 दुष्प्रेरक– वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा इसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

स्पष्टीकरण 1 किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2 दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित होने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

soniya tanwar

उदाहरण 1– ग की हत्या करने के लिये **ख** को **क** को उकसाता है। ख वैसा करने से इंकार कर देता है। क हत्या करने के लिये ख के दुष्प्रेरण का दोषी हैं।

उदाहरण 2– घ की हत्या करने के लिये ख को क उकसाता है। ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को घायल कर देता है। क हत्या करने के लिये ख को उकसाने का दोषी है।

स्पष्टीकरण 3. यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान है।

उदाहरण 1–य की हत्या करने के आशय से ख को, जो सात वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए क को उकसाता है जिससे य की मृत्यु हो जाती है। ख दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है । यहां यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दण्डनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसीलिए क मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है।

स्पष्टीकरण 4. अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

उदाहरण ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिये ख को क उकसाता है। ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिये ग को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणामस्वरूप ग उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिये हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिये ख को उकसाया इसलिये क भी उसी दंड से दंडनीय है।

स्पष्टीकरण 5 षड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाये। यह पर्याप्त है कि वो षड़यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता हैं।

उदाहरण – य को विष देने के लिये ग एक योजना ख से मिलकर बनाता है । यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा ख तब यह वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु क का नाम नहीं लेता । ग विष उपाप्त करने के लिये सहमत हो जाता है और उसे समझाये गये प्रकार से उपाप्त करके प्रयोग में लाने के लिये ख को दे देता है। क विष देता है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है । यहां यद्यपि क और ग ने मिलकर षड़यंत्र नहीं रचा है तो भी ग उस षड़यंत्र में शामिल रहा है जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है इसलिये ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिये दंड से दंडनीय है।

धारा 109 – दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाये जहां कि उसके दंड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं हैं– जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिये इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नही किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये उपबंधित है।

sonya tanwar

स्पष्टीकरण –कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

उदाहरण – ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिये क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणामस्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है।

अध्याय 5 ए

आपराधिक षड्यंत्र

धारा 120ए– आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा – जबकि दो या अधिक व्यक्ति

1 कोई अवैध कार्य अथवा

2 कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

धारा 120 बी– आपराधिक षडयंत्र का दंड– (1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड़यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

अध्याय 6

राज्य के विरूद्ध अपराध

धारा 121 – जो कोई (भारत सरकार) के विरूद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

soniya tanwar

धारा 121 क – जो कोई धारा 121 द्वारा दण्डनीय अपराधो में से कोई अपराध करने के लिए (भारत) के भीतर या बाहर षड्यन्त्र करेगा या केन्द्रीय सरकार को या किसी (राज्य) की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड़यन्त्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

धारा 124ए– राजद्रोह– जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दो द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जा सके।

स्पष्टीकरण–1. अप्रीति पद के अन्तर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनायें आती हैं

स्पष्टीकरण–2. घृणा अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका–टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं है।

स्पष्टीकरण–3. घृणा अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका–टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती।

अध्याय –8

लोकप्रशांति के विरूद्ध अपराध

धारा 141– विधि विरूद्ध जमाव– पांच या अधिक व्यक्तियों को जमाव ''विधि विरूद्ध जमाव'' कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो–

(1) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा आतंकित करना

(क) केन्द्र सरकार को या,

(ख) राज्य सरकार को या,

(ग) विधायिका को या,

(घ) विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते समय किसी भी लोक सेवक को

(2) विधि अथवा वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना

(3) कोई रिष्टि, आपराधिक अतिचार अथवा कोई दूसरा अपराध करना

soniya tanwar

(4) आपराधिक बल का प्रयोग करके

(क) किसी संपत्ति को कब्जे में लेना या उसे अभिप्राप्त करना,

(ख) किसी व्यक्ति को उसके किसी अमूर्त अधिकार से वंचित करना

(ग) किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू करना।

(5) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को विवश करना

(क) ऐसा कार्य करने के लिए जिसे करने को वह वैध रूप से बाध्य नहीं है, या

(ख) ऐसा कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है।

स्पष्टीकरण– कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरूद्व नहीं था बाद में विधि विरूद्व जमाव हो सकता है।

धारा 142– विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होना– जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरूद्व जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है वह विधि विरूद्व जमाव का सदस्य है यह कहा जाता है

धारा 143– दण्ड– जो कोई विधि विरूद्व जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 144 – जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किऐ जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुये किसी विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 145 – जो कोई किसी विधि विरूद्व जमाव में यह जानते हुये ऐसे विधि विरूद्व जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा,बना रहेगा व दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 146– बल्वा करना– जब किसी विधि विरूद्व जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव को हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा 147– बल्वा करने के लिए दण्ड– जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

sonia tanwar

धारा 148–घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना– जो कोई घातक आयुध या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किये जाने के रूप में मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुये बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 149– विधि विरूद्व जमाव को हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी – यदि विधि विरूद्व जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 153क – धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना–

(1) जो कोई

(क) बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक–प्रशान्ति में विध्न डालता है या जिससे उसमें विध्न पड़ना सम्भाव्य हो, अथवा

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आ ाय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रिया कलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किये जायेगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे या सम्भाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगें या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समूदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।

sonia tanwar

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध– जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

धारा 159:– दंगे की परिभाषाः–

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो कहा जायेगा कि उन्होनें दंगा किया है।

धारा 160 दंगे का दण्डः–

एक माह कैद या 100 रूपये या जुर्माना दोनों।

धारा 283 - भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के अनुसार, जो भी कोई किसी कार्य को करके या अपने अधीन किसी सम्पत्ति के कब्जे या प्रभार के तहत किसी आदेश का लोप करने द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा तो उसे दो सौ रुपये तक के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

- लोक मार्ग या पथ–प्रदर्शन मार्ग में संकट, बाधा या क्षति कारित करना।
- सजा – दो सौ रुपये तक आर्थिक दण्ड ।
- यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

अध्याय – 10

धारा 186–लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना–

जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया या बाधा डालेगा।

दण्ड–तीन मास तक का कारावास, या जुर्माना जो पांच सौ रूपये तक का होगा या दोनों।

अध्याय – 11

धारा 191– मिथ्या साक्ष्य देना–

जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुये या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये ऐसा कोई कथन करेगा, जो

sonya tanwar

मिथ्या है, या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जायेगा।

उदाहरण–क एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में, जो **य** के विरूद्व एक हजार रूपये के लिए है विचारण के समय मिथ्या कथन करता है कि उसने **य** को **ख** के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुये सुना था। **क** ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

192– मिथ्या साक्ष्य गढना –

जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि कथन अन्तर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में, जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह 'मिथ्या साक्ष्य गढ़ता' है यह कहा जाता है।

उदाहरण– क एक बक्स में, जो **य** का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाए और इस परिस्थति में **य** चोरी के लिए दोषसिद्व ठहराया जाए। **क** ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।

193–मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड–

जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा।

दण्ड– सात वर्ष का कारावास, और जुर्माना।

और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा।

दण्ड– तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना।

उदाहरण– सम्बन्धित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त आफिसर के समक्ष जांच मे **क** शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए **क** ने मिथ्या साक्ष्य दिया।

201– अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना–

जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय के कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से बचाये

soniya tanwar

या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

दण्ड–

(1) यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है तो सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

(2) यदि आजीवन कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(3) यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से उतनी अवधी के लिए जो उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक–चौथाई तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

211– क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप–

जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरूद्व कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है।

दण्ड – दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनो

तथा यदि ऐसी दाण्डिक कार्यवाही मृत्यु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, जो **दण्ड** सात वर्ष का कारावास और जुर्माना।

212– अपराधी को आश्रय देना–

जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा।

दण्ड–

(1) यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय है तो पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

(2) यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय है तो तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(3) और यदि वह अपराध एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

soniya tanwar

223– लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना–

जो कोई ऐसा लोक सेवक हेाते हुए जो अपराध के लिये आरोपित या दोषसिद्ध या अभिरक्षा में रखे जाने के लिये विधि पूर्वक सुपुर्द किये गये किसी व्यक्ति अपराधी को परिरोध में रखने के लिये आबद्व होते हुए उपेक्षा से निकल भागना सहन करेगा।

दण्ड– दो वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

224– किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा–

जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये जिसका उस पर आरोप हो, जिसके लिये दोषसिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने को पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या अभिरक्षा से निकल भागेगा या प्रयत्न करेगा।

दण्ड– दो वर्ष का दण्ड या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

225– किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकडे जाने में प्रतिरोध या बाधा–

जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विधि के अनुसार पकडे जाने में साशय प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा में जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरूद्ध हो, साशय छुडाएगा या छुडाने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

279–लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना–

जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो।

दण्ड– छः मास का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों।

292– (1) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण,आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रूचिकर है या उसका या (जहां उसमे थी या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनायें जिनके द्वारा उसमे अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए संभाव्य है।

(2) जो कोई –

क – जो अश्लील पुस्तक,पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र,रंगचित्र,रूपण या आकृति या किसी भी अश्लील वस्तु को चाहे वह कुछ भी हो बेचेगा या भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार प्रचालित

soniya tanwar

करेगा, या उस विक्रय,भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिये रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे मे रखेगा, अथवा

ख – किसी अश्लील वस्तु या आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये करेगा या यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोकप्रदर्शित, या किसी प्रकार से परिचालित की जायेगी,

ग – किसी ऐसे कारोबार मे भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारोबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है,

घ – यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वे कुछ भी हो यह ज्ञात करायेगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिये तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, अथवा

ड़ – किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा,

(प्रथम दोषसिद्दि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी , और जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्दि की दशा मे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी पांच हजार रूपये तक हो सकेगा) दण्डित किया जायेगा।

अपवाद – इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर न होगा।

क – कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज,लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति –

1. जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका,कागज,लेख, रेखाचित्र,रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान , साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उददेश्यों के हित मे है अथवा
2. जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिये रखी या उपयोग मे लायी जाती है।

ख – कोई ऐसा रूपण जो –

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958(1958 का 24) के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा

soniya tanwar

2. किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये रखे या उपयोग मे लाये जाने वाले किसी रथ पर, तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हों।

293– तरूण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना–

जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अंतिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा।

दण्ड–

(1) प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रूपये का जुर्माना

(2) द्वितीय दोषसिद्धि पर सात वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माना।

294– अश्लील कार्य व गाने जो कोई– किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा। किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने या शब्द गायेगा, उच्चारित करेगा जिससे दूसरे को क्षोभ (अच्छा नहीं लगे) हो।

दण्ड– 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों।

अध्याय–16

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध

299–आपराधिक मानव वध–

जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1–वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित करता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2–जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

soniya tanwar

स्पष्टीकरण 3—मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

उदाहरण— क यह जानता है कि **य** एक झाड़ी के पीछे है **ख** यह नहीं जानता। **य** की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **य** की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, **ख** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। **ख** गोली चलाता है और **य** को मार डालता है। यहां पर हो सकता है कि **ख** किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

300— हत्या—

एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है,

पहला—यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी—पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

उदाहरण—(क) **य** को मार डालने के आशय से **क** उस पर गोली चलाता है परिणास्वरूप **य** मर जाता है। **क** हत्या करता है।

(ख) **क** किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। **क** हत्या का दोषी है।

अपवाद 1 —आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर व अचानक प्रकोपन से वह आत्म—संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, भूल या दुर्घटना, कारित करें।

किन्तु उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधीन है:—

पहला—यह है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया से प्रकोपित न हो।

soniya tanwar

दूसरा—यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात से न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

तीसरा—यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

उदाहरण—

(क) **य** द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आदेश के असर में **म** का, जो **य** का शिशु है, **क** साशय वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) **य** की नाक खींचने का प्रयत्न **क** करता है। **य** प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए **क** को पकड़ लेता है। परिणास्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह **य** का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

अपवाद 2 — आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्ण प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी हुई उसे शक्ति से अधिक हानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। इसके विरूद्व वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

उदाहरण— क को चाबुक मारने का प्रयत्न **य** करता है किन्तु इस प्रकार नहीं कि **क** को घोर उपहति कारित हो। **क** एक पिस्तौल निकाल लेता है। **य** हमले को चालू रखता है। **क** सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से **य** का वध कर देता है। **क** ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल अपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की मदद देते हुए जो लोक न्याय के अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधि पूर्ण ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्त्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावनापूर्ण विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित हो गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करें।

अपवाद 4 :— आपराधिक मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया है।

अपवाद 5 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए।

soniya tanwar

उदाहरण– य को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसा कर **क** उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहां, कम उम्र होने के कारण **य** उपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए **क** ने हत्या का दुष्प्रेरण किया।

302– हत्या के लिए दण्ड –

जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माना से भी दण्डित किया जायेगा।

आपराधिक मानव वध एवं हत्या मे अन्तर :–

सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स.	मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स
कोई व्यक्ति आपराधिक मानव–वध करता है यदि उस का कार्य जिससे मृत्यु हुई निम्न प्रकार से किया गया है–	कुछ अपवादों के प्रसंग में आपराधिक मानव वध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु हुई हो निम्नलिखित है–
1. आशय (नीयत) कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया है। 2. ज्ञान–कार्य ऐसा हो जिससे मौत होना सम्भव हो। 3. सम्भावना –इस नीयत से शारीरिक चोट पहुॅचाना जिससे मृत्यु होना सम्भव हो।	1. नीयत–कार्य मृत्यु करने की नियत से किया गया हो। 2. ज्ञान–कार्य इतना अधिक खतरनाक है जिससे मृत्यु होने की सम्भावना हो गया ऐसी शारीरिक चोट है जिससे मृत्यु होना सम्भव है। 3. इस नीयत से शरीरिक चोट पहुॅचाना जिससे अभियुक्त जानता हो कि प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु करने के लिए काफी है।

304 – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड–

जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डित होगा।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह

sonya tanwar

दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

304''ए''– उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना–

जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

304 ''ख'' –दहेज मृत्यु–

(1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण– इस उप धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है।(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा। लेकिन जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा।

306– आत्महत्या का दुष्प्रेरण–

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

307–हत्या करने का प्रयत्न–

जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति करेगा, यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या का दोषी होगा।**दण्ड–** (1) दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाई जाये तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

(2) कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो तब यदि उपहति कारित हुई हो तो मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

soniya tanwar

उदाहरण– य का वध करने के आशय से **क** उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि य की मृत्यु हो जाती, तो **क** हत्या का दोषी होता। **क** इस धारा के अधीन दण्डनीय है।

308–आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न–

जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण– क गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, **य** पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद्द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। **क** ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

309– आत्महत्या करने का प्रयत्न –

जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

319:– उपहति (चोट):–

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग अंग–शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।

320:– घोर उपहति –

पहला–नपुसंकता

दूसरा–किसी भी आंख की दृष्टि को स्थाई रूप से समाप्त करना।

तीसरा–दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति स्थाई रूप से नष्ट करना।

चौथा–किसी भी अंग या जोड. का विच्छेद।

पांचवा–किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थाई नाश।

छठा–सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण।

सातवां–अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।

आठवा–ऐसी चोट पहुंचाना जिससे 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रहे वह मामूली काम करने में असमर्थ रहें।

321– स्वेच्छया उपहति कारित करना–

soniya tanwar

जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह ''स्वेच्छया उपहति करता है'' यह कहा जाता है।

323– स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड–

उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

324–खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना–

तेज या धारदार हथियार द्वारा, अग्नि द्वारा तप्त पदार्थ द्वारा, जहर द्वारा, विस्फोटक द्वारा जीवजन्तु द्वारा रासायनिक पदार्थ द्वारा स्वेच्छया चोट पहुँचाना।

दण्ड– तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों।

325– स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड–

उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 326 - भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अनुसार, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर जो कोई भी, घोपने, गोली चलाने या काटने के किसी भी साधन के माध्यम से या किसी अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण से स्वेच्छापूर्वक ऐसी गंभीर चोट पहुंचाए, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या फिर आग के माध्यम से या किसी भी गरम पदार्थ या विष या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जिसका श्वास में जाना, या निगलना, या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए घातक है या किसी जानवर के माध्यम से चोट पहुंचाता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

- खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर आघात पहुंचाना
- सजा – आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दंड
- यह एक गैर–जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 326 ए - तेजाब, इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।

sonia tanwar

जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या उसे तेजाब का सेवन कराकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रपता कारित करेगा या दाह कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निःशक्त बनायेगा या वैसा कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ, कि उसे ऐसी क्षति या उपहति कारित होना सम्भाव्य है, घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से ऐसे किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डित किया जायेगाः

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्यय को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगाः परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माना का भुगतान पीड़ित को किया जायेगा।

धारा 326 बी - स्वेच्छया तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना ।

जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयास करेगा या किसी व्यक्ति को तेजाब का सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान या विद्रूपता या दाह कारित करने या विकलांग बनाने या विद्रपता या निःशक्त या घोर उपहति कारित करने के आशय से किन्हीं अन्य उपायों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, वह दोनों से ऐसे किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 धारा 326 क एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "तेजाब" के अंतर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी शामिल है, जिसका अम्लीय या संक्षारक स्वभाव है या दाह करने की प्रकृति है, जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के योग्य है, जिसका परिणाम क्षतचिन्ह बनने या विद्रूपता या अस्थायी अथवा स्थायी निःशक्तता हो जाती हैं।

स्पष्टीकरण 2 धारा 326 क एवं इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा ।

327–सम्पति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–

जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए।

दण्ड– दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

sonia tanwar

धारा 328 - अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना।

भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने या अपराध करने, या अपराध किए जाने को सुगम बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा क्षति कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

332– लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना–

लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य की विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर साधारण उपहति कारित करना। सजा–तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

333– लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना–

लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्त्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर घोर उपहति कारित करना। सजा–दस वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

336–कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो–

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

दण्ड– तीन मास तक का कारावास या 250 रूपये जुर्माना या दोनों।

337– कार्य द्वारा उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो–

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा।

दण्ड– छः मास तक का कारावास या 500 रूपये जुर्माना या दोनों।

338– कार्य द्वारा घोर उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो–

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा।

दण्ड– दो वर्ष तक का कारावास या 1000/– रूपये जुर्माना या दोनों।

soniya tanwar

339– सदोष अवरोध–

जो कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर ऐसी बाधा डालता हो जिससे वह व्यक्ति उक्त दिशा में, जिमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोके तो कहा जायेगा कि उसने सदोष अवरोध किया।

उदाहरण–क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का **य** का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। **य** जाने से तद्द्वारा रोक दिया जाता है। **क, य** का सदोष अवरोध करता है।

340– सदोष परिरोध–

जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस प्रकर सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का ''सदोष परिरोध'' करता है, यह कहा जाता है।

उदाहरण– क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बन्दूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और **य** से कह देता है कि यदि **य** भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा, तो वे **य** को गोली मार देंगे। **क** ने **य** का सदोष परिरोध किया है।

341 – सदोष अवरोध के लिये दण्ड– एक माह का कारावास या 500 रूपये जुर्माना या दोनें।

342– सदोष परिरोध के लिये दण्ड– एक वर्ष का कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों

353–लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा।

दण्ड– दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों।

धारा 354 :– स्त्री की लज्जा भंग करना जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आ ाय से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354क :– लैंगिक उत्पीडन के लिए दण्ड

(1) निम्नांकित कृत्य लैंगिक उत्पीडन का अपराध गठित करेंगें :–

sonia tanwar

(i) शारीरिक संपर्क करना और ऐसा मित्रतापूर्वक व्यवहार जताने का प्रयास करना जिसमें कि अप्रिय एवं सुस्पष्ट यौन संबंधी प्रस्ताव अंतर्वलित हो

(ii) लैंगिक सहयोग हेतु मांग या निवेदन करना।

(iii) बलपूर्वक अश्लील साहित्य दिखाना।

(iv) लैंगिक संबंधी टिप्पणी करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खण्ड (i) (ii). (iii) या (iv) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे पांच वर्ष तक के कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खण्ड (पअ) में वर्णित कृत्य का अपराध करता है उसे एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा 354ख :– जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसे निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है वह न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा

धारा 354ग अन्तःस्थापित की गई हैः– दृश्यरतिकता :–

जो कोई व्यक्ति किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखता है या उसका चित्र लेता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर न्यूनतम एक वर्ष तक के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

- निजी कृत्य में ऐसे कृत्य सम्मिलित है जो परिस्थितियों में एकांतता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है और जहां पीडित के जननांग, नितंब या वक्ष अभिदर्शित होते है या केवल अन्तःवस्त्र से ढके होते है या पीडिता शौचालय का उपयोग कर रही है या व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा लैंगिक कृत्य किया जा रहा है जो कि इस प्रकार का न हो कि आम तौर पर सार्वजनिक रुप से किया जाए।
- यदि पीडिता अपना चित्र या कोई कृत्य को लिये जाने की सहमति देती है परन्तु उसका प्रसार तीसरे व्यक्ति के समक्ष करने की सहमति नहीं देती है और यदि ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है तो वह इस धारा के तहत अपराध करता हैं।

धारा 354घ :– पीछा करना :

Soniya tanWar

– (1) कोई व्यक्ति पीछा करता है –

(प) जो कोई किसी स्त्री से व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार संपर्क करता है या पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है जिसके लिए उस स्त्री की कोई अभिरुचि नहीं है या

(पप) किसी स्त्री पर इन्टरनेट का उपयोग कर नजर या निगरानी रखता है या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण द्वारा या ईमेल द्वारा या दृष्टव्य साधनों से मॉनिटरिंग करता है जिससे उसे मानसिक कष्ट या हिंसा का भय या मानसिक शान्ति में हस्तक्षेप महसूस होता है तो ऐसा कृत्य पीछा करने का अपराध कारित करता है।

परन्तु निम्नांकित कृत्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगें –

- यदि पीछा अपराध का निवारण करने के लिए किया जाए।
- किसी विधि के अधीन आवश्यक शर्तों या नियमों के पालन में पीछा किया जाए।
- किसी युक्तियुक्त कारण से विशेश परिस्थितियों में पीछा किया जाए।

(2) जो कोई व्यक्ति पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा। दूसरी बार पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

359– व्यपहरण– व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण।

360 –जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना (भारत) की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह (भारत) में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

361– जो कोई किसी अप्राप्तव्यय को, यदि वह नर हो तो (सोलह) वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह) वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तव्यय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तव्यय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता मे से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तव्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

sonya tanwar

अपवाद – इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास कि वह ऐसे शिशु के विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरूद्व प्रयोजन के लिए न किया जाए।

362–अपहरण–जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने लिये बल द्वारा विवश करता या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण (लालच इत्यादि) उपायों से उत्प्रेरित करता है उसे व्यक्ति का अपहरण कहा जाता है।

363–व्यपहरण के लिए दण्ड– 7 वर्ष कैद और जुर्माना

363''क''– भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगी करण–

(1) जो कोई अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा या उसकी अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा की ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

दण्ड– दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(2) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहॉ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर लिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

(4) (क) भीख मांगने से अभिप्रायः हैः–

1. लोक स्थान से भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, आदि
2. भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना
3. भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण, घाव आदि को अभिदर्शित करना।
4. भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना

(ख) अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो–

1. यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है तथा
2. यदि नारी है तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।

soniyatanwar

धारा 364:—हत्या करने **के लिये व्यपहरण या अपहरणः—**

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाये या उसको ऐसे व्ययनित किया जाये कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाये वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

• **धारा 364 ए** :— फिरौती आदि के लिए व्यपहरण जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या उसके आचरण से ऐसी आशंका उत्पन्न हो कि ऐसे अपहरण या व्यपहरण किए गए व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित हो सकती है या मृत्यु अथवा उपहति कारित करेगा जिससे की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 365:— किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण का दण्ड 7 वर्ष कैद और जुर्माना

धारा 366:— किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरणः—

जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिये उस स्त्री को विवश करने के आशय से या विवश की जावेगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिये उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या सम्भावना जानते हुए विवश करेगा।

दण्ड — 10 वर्ष तक की कैद व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 366 ए — अप्राप्तवय लडकी का उपापन

जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की लडकी को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आ ाय से या विवश किये जाने की संभावना जानते हुये, ऐसी लडकी को किसी स्थान से जाने को या कार्य करने को उत्प्रेरित करेगा। वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 375 :— बलात्संग

बलात्संग के अपराध में मैथुन में निम्नांकित को शामिल किया गया है :—

(क) जब कोई व्यक्ति अपने शिश्न को किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है

soniya tanwar

(ख) जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु या शरीर का अन्य भाग जो शिश्न नहीं है, को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कराता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(ग) जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का अभिचालन इस प्रकार करता है जिससे स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कारित हो या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है।

(घ) जब कोई व्यक्ति अपने मुंह को किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाता है या उस स्त्री से अपने साथ ऐसा करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है। जो पुरुष किसी स्त्री के साथ निम्नांकित छः परिस्थितियों में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्कार करता है :–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना
3. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति मृत्यु या उपहति का भय डालकर प्राप्त की गई है।
4. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति इस विश्वास से दी गई कि वह पुरुष उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित है।
5. उस स्त्री की सम्मति से जब सम्मति विकृतचित्तता या मत्तता के अधीन दी गई है।
6. उस स्त्री की सम्मति से सम्मति के बिना जबकि वह सोलह साल से कम आयु की है।

बलात्संग के अपराध के लिए पर्वांक्त छः परिस्थितियों में सातवी ं परिस्थिति जोडी गई है

बलात्संग के अपराध के लिए पूर्वांकित छः परिस्थितियों में सातवीं परिस्थिति जोडी गई है–

7. जब स्त्री सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ हो।

स्पष्टीकरण 1 :– इस धारा के प्रयोजन हेतु योनि में वृहत् भगौष्ठ ओष्ठ भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2 :– सम्मति का अर्थ शब्दों से या इशारों से या किसी अन्य प्रकार के अमौखिक संपर्क के द्वारा अपनी रजामंदी किसी वि ो ा कृत्य में भाग लेने हेतु इंगित करता है।

परन्तु – यदि किसी स्त्री द्वारा शारीरिक रुप से प्रवेशन के कृत्य का विरोध नही किया जाए जो केवल इस तथ्य के कारण यह नहीं माना जाएगा कि वह लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमत थी।

soniya tanwar

अपवाद – 1. किसी चिकित्सीय कार्य के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रवेशन अपराध गठित नहीं करेगा।

.2. पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।

(Important judgment on this issue – Independent thought Vs Union of India and another AIR 2017 SCC 800) इस निर्णय में 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी जो विवाहिता है उसके साथ उसके पति द्वारा किये गए मैथुन को मनमानापूर्ण है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में लडकी द्वारा सहमति देना विधिक रुप से योग्य नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया है कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा बलात्कार को विस्तृत रुप से परिभाषित किया है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री द्वारा दी गई सहमति को अमान्य घोषित किया है। ऐसी परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम आयु की विवाहिता के साथ उसके पति द्वारा किए गए मैथुन को बलात्संग की श्रेणी में माना गया है।

- धारा 376 (1)

जो कोई उपधारा (2) में वर्णित उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा वह सश्रम कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- धारा 376 (2) जो कोई ––

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्संग करेगा

(प) उस थाने की सीमाओं के अन्तर्गत जिसमें वह नियुक्त है

(पप) किसी भी थाने के परिसर में

(पपप) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में

soniya tanwar

(ख) लोक सेवक होते हुए अपनी किसी ऐसी स्त्री से जो उसकी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में है, के साथ बलात्संग करेगा।

(ग) किसी सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तैनात किया जाए, किसी स्त्री से ऐसे स्थान पर बलात्संग करेगा।

(घ) किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए वहां के किसी निवासी से बलात्संग करेगा

(ड) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा। (च) किसी स्त्री का रिश्तेदार, अभिभावक या अध्यापक होते हुए या उसके विश्वास या प्राधिकार में उस स्त्री से बलात्संग करेगा।

(छ) साम्प्रदायिक या पंथीय दंगों के दौरान किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ज) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा।

(झ) किसी स्त्री से, जो सहमति देने में असक्षम है, बलात्संग करेगा।

(ट) अपने नियन्त्रण या प्रभाव के अधीन किसी स्त्री से बलात्संग करेगा।

(ठ) किसी स्त्री से, जो शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से पीडित हो, बलात्संग करेगा।

(ड) किसी स्त्री से बलात्संग करते हुए घोर शारीरिक क्षति पहुंचाये या विकलांग करे या विद्रूपित करे या जीवन को संकट में डालेगा।

(ढ) किसी स्त्री से लगातार बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण –1 सशस्त्र बल में नौसेना, वायु सेना या थलसेना या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सहायक बल के सदस्य शामिल है।

स्पष्टीकरण –2 अस्पताल से तात्पर्य अस्पताल का अहाता जिसमें संस्था के वे परिसर सम्मिलित है जो लोगों की बीमारी के इलाज या चिकित्सीय देखभाल या पुर्नवास के लिए स्थापित है।

sonya tanwar

स्पष्टीकरण –3 पुलिस अधिकारी से पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन दी गई अभिव्यक्ति पुलिस में सन्निहित है।

स्पष्टीकरण 4 :– स्त्रियों या बालकों की संस्था में कोई अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों या विधवाओं के लिए संचालित कोई संस्था शामिल है।

376 (3)

जो कोई किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा। इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

धारा 376 क

जो कोई धारा 376 (1) या 376 (2) के अन्तर्गत बलात्संग करता है तथा ऐसे कृत्य के दौरान वह उस स्त्री को इस तरह की उपहति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या वह निरन्तर विकृतशील की स्थिति में पहुंच जाए तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

- **धारा 376 कख**

जो कोई किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्संग करता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा। किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सीय खर्चों की पूर्ति व पुर्नवास के लिए युक्तियुक्त होगा। इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 ख**

जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा या रुढि के अधीन उससे अलग रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी

soniya tanwar

अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो सात वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- **धारा 376 ग**

जो कोई

1. पद पर एक हैसियत पर रहते हुए या वैश्वासिक संबंध में होते हुए या

2 लोक सेवक होते हुए या

3. किसी जेल या प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए या

4. किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए

अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाते हुए या किसी स्त्री को प्रेरित करते हुए या पद भ्रष्ट करके वैश्वासिक संबंध या पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर किसी स्त्री से अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता है वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पॉच वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 इस धारा में लैंगिक संभोग से आ ाय धारा 375 में वर्णित खण्ड (क) से लेकर खण्ड (घ) तक में वर्णित सभी कृत्यों से है।

स्पष्टीकरण 2 इस धारा में धारा 375 के स्पष्टीकरण 1 व 2 भी लागू होंगें।

स्पष्टीकरण 3 जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था के संबंध में अधीक्षक में वह व्यक्ति सम्मिलित होंगें जो जेल या प्रतिप्रेषण गृह या स्त्रियों या बालकों की संस्था में पदस्थ है और ऐसे व्यक्ति का नियन्त्रण इनमें रहने वाले लोगों पर रहता है। स्पष्टीकरण

4 अस्पताल या स्त्री या बालकों के संस्थान का वहीं अर्थ होगा जो धारा 376(2) में दिया गया है।

- **धारा 376 घ – सामूहिक बलात्संग**

जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आ ाय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति को कठोर कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम

soniya tanwar

नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया, जाएगा।

¬ किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सीय खर्चों की पूर्ति व पुनर्वास के लिए युक्तियुक्त होगा।

¬ इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 घक**

जहां किसी 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आ ाय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है,, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

¬ किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सीय खर्चों की पूर्ति व पुनर्वास के लिए युक्तियुक्त होगा।

¬ इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 घख**

जहां किसी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में बलात्संग किया जाता है, जहां सामूहिक बलात्संग में सबका सामान्य आ ाय हो जो हर व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

¬ किया गया जुर्माना पीडित के चिकित्सकीय खर्चों की पूर्ति व पुनर्वास के लिए युक्तियुक्त होगा।

¬ इस धारा के अन्तर्गत किया गया जुर्माना पीडित को दिया जाएगा।

- **धारा 376 ड**

जो कोई व्यक्ति धारा 376 या 376क या 376ग या 376घ या 376 (घक) या 376 (घख) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हुआ है तथा पुनः उक्त धाराओं में वर्णित दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध होता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और इसका अर्थ शेष नैसर्गिक जीवन से होगा से दण्डित किया जाएगा या मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा।

sonia tanwar

धारा 377:–प्रकृति के विरूद्व अपराधः– जो कोई किसी पुरूष, स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्व स्वेच्छा से या इन्द्रिय भोग करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

अध्याय – 17

सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में

- **धारा 378:– चोरीः–** जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले जाने का आ ाय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

धारा 378:– चोरीः– चोरी गठित करने के लिए निम्न पांच तत्व आवश्यक हैं।

1. बेईमानी से सम्पत्ति प्राप्त करने को आ ाय
2. चल सम्पत्ति
3. सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से ली जानी चाहिए
4. बिना सहमति लेना
5. सम्पत्ति का हटाया जाना आवश्यक है

धारा 379:– चोरी के लिए दण्डः–

तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दानों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 380:– जो कोई निवास गृह, निर्माण, जलयान या तम्बू, में चोरी करेगा जो मानव निवास या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, चोरी करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 381:– जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए अपने मालिक के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 382:–जो कोई चोरी करने के लिये, चोरी करने के पश्चात् निकल भागने, या चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखने के लिये, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या अवरोध, या इसका भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 383 :–उद्दापनः– जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में साशय डालता है और इस प्रकार भय में डाले व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित

sonya tanwar

या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति (कीमती दस्तावेज) में बदला जा सकता हो किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है।

धारा 384:– उद्दापन के लिये दण्ड– तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 390 लूटः–

सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

चोरी कब लूट है :– चोरी लूट है यदि चोरी करने के लिए, चोरी करने में चोरी की सम्पत्ति को ले जाते समय अपराधी उस उद्देश्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध, या तत्काल मृत्यु तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या प्रयत्न करता है

उद्दापन कब लूट है :– उद्दापन लूट है यदि अपराधी उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु तत्काल उपहति, या तत्काल सदोष अवराध के भय में डालकर उद्दापन करता है, व भय में डाले गये व्यक्ति से उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही देने के लिए उत्प्रेरित करता है।

स्पष्टीकरण :– अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो।

उदाहरण :–**क, य** को दबोच लेता है और **य** के कपडे में से **य** का धन और आभूषण **य** की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है यहां **क** ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया **य** का सदोष अवरोध कारित करता है। इसलिए **क** ने लूट की है।

1. **क, य** को राजमार्ग पर मिलता है एक पिस्तोल दिखाता है और **य** की थैली मांगता है, परिणामस्वरूप **य** अपनी थैली दे देता है यहां **क** ने **य** को तत्काल उपहति का भय दिखाकर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है अतः **क** ने लूट की है।

धारा 391 डकैतीः– जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसी लूट किये जाने में या प्रयत्न में मदद करते हैं तथा कुल मिलाकर पांच या अधिक है तब प्रत्येक व्यक्ति को जो इस प्रकार लूट करता है, प्रयत्न करता है, या उसे मदद करता है तो कहा जायेगा कि वह डकैती करता है।

धारा 392 – लूट के लिए दण्ड – जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच की जाये तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा।

sonia tanwar

धारा 393:– लूट करने का प्रयत्न –

सात वर्ष तक का कारावास व जुर्माना ।

धारा 394:– लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना –

जो कोई लूट करने में या इसका प्रयत्न करने जानबूझकर उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबद्ध होगा। वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के कठोर कारावास से और जुर्माने से दण्डित होगा।

धारा 395 :–डकैती के लिए दण्ड –

जो कोई डकैती करेगा तो आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 396 :–हत्या सहित डकैती –

यदि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों में से जो सयुंक्त होकर डकैती कर रहे हो कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मुत्यु से या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 397– यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

धारा 398 – यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो वह कारावास, जिसे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।

धारा 399 :– डकैती करने के लिये तैयारी करना–

जो कोई डकैती करने के लिये कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

चोरी धारा 378 भा.द.स.	लूट धारा 390 भा.द.स.
1. सहमति :– अपराधी सम्पत्ति को बिना स्वामी की सहमति के लेता है। 2. चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही की जाती है।	1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है। 2. लूट अचल सम्पत्ति के विषय में भी हो सकती है। यदि वह दबाव डालकर लेने का रूप है अन्यथा नहीं।

sonia tanwar

3. बल :– चोरी में बल का तत्व नहीं उत्पन्न होता है। 4. . अपराधियों की संख्या :– चोरी केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है। 5. भय का तत्व :– चोरी में भय का तत्व नहीं होता।	3. लूट के सभी रूपों में बल एक जरूरी तत्व है यद्यपि इसका प्रयोग न किया जाए तो भी इसमें कुछ भय हो सकता है। 4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है। 5. बेईमानी का तत्व विद्यमान होता है।
लूट– **धारा 390** भा.द.स.	डकैती – **धारा 391** भा.द.स.
1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है, जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है। 2. इसमें डरा कर लेना और भय दिखलाना आवश्यक है। 3. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है। 4. इसमें बेईमानी का तत्व भी शामिल है। 5. इसकी सजा धारा 392 आई.पी.सी. में दी गई है। 6. इसकी तैयारी करना अपराध नहीं है।	1. इसमें सहमति नहीं होती यदि होती भी है तो अवैध ढ़ंग से प्राप्त की जाती है। 2. डकैती में भय का तत्व विद्यमान होता है। 3. डकैती में कम से कम पाँच या अधिक व्यक्ति होते हैं। 4. डकैती में बेईमानी का तत्व होता है 5. इसकी सजा धारा 395 आई.पी.सी. में दी गई है। 6. इसकी तैयारी करना अपराध है।

धारा 401– जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो, अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकूओं की टोली में न हो, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 402– जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों मे से एक होगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

धारा 411:– चुराई हुई सम्पति को बेईमानी से प्राप्त करना –

जो कोई व्यक्ति चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

soniya tanwar

धारा 419:– प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड –

तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनो।

धारा 420 :– छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करना–

जो कोई छल करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति का जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। **दण्ड–** सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

धारा 425 – रिष्टि –

जो कोई इस आ ाय से, या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पति का नाश या किसी सम्पति में या उसकी स्थिति मे ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पडता है वह रिष्टि करता है।

उदाहरण – क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आ ाय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे उसको स्वेछया संत्यक्त करा देता है। क ने रिष्टि की है।

धारा 427 – जो कोई रिष्टि करेगा तद्द्वारा पचास रूपये या उससे अधिक रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 441:– आपराधिक अतिचारः–

इसके अन्तर्गत निम्न तत्व हैं

1. किसी ऐसी सम्पति में या उस पर प्रवेश जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है।
2. यदि प्रवेश विधि पूर्ण है तो विधि विरूद्ध रूप में उस पर बने रहना।
3. प्रवेश या विधि विरूद्ध रूप से बने रहना कोई अपराध करने के लिए या उस सम्पति पर कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति को अभित्रस्त , अपमानित या क्षुब्ध करने के आ ाय से किया गया हो।

धारा 442:– गृह अतिचारः–

जो कोई किसी निर्माण (मकान) तम्बू, या जलयान में जो मानव निवास या उपासना स्थल के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है,

sonia tanwar

वह गृह अतिचार करता है यह कहा जाता है। शरीर का केवल एक अंग का प्रवेश ही गृह अतिचार के लिये पर्याप्त है।

धारा 443:– प्रच्छन्न गृह अतिचार :–

जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् अतिचार करता है कि ऐसे गृह–अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण (निर्माण) तम्बू या जलयान में से जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है तो यह कहा जायेगा कि वह प्रच्छन्न (छुपकर) गृह–अतिचार करता है।

धारा 445:–गृह भेदन की परिभाषाः–

जो व्यक्ति नीचे लिखे छः तरीकों में से किसी घर में अपराध करने के प्रयोजन से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो कहा जायेगा उसने गृह भेदन किया है।

1. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिये बनाया है।
2. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आशायित नहीं है या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक की वह किसी दीवार या भवन पर सीढ़ी द्वारा पहुंचता है।
4. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने ऐसे साधन द्वारा खोला है जैसा कि गृह स्वामी द्वारा आशयित नहीं हो।
5. यदि उस गृह अतिचार को करने के लिए वह ताले को खोल कर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।
6. यदि वह प्रवेश आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या धमकी द्वारा करता हैं
7. यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि इस प्रकार के गृह अतिचार को रोकने के लिए बन्द किया हुआ है।

उदाहरण :– य को क के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो क से खो गयी थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर क के घर मेंप्रवे ा करके गृह अतिचार करता है। यह गृह भेदन है।

धारा 446 :– रात्रौ गृह भेदन –जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन करता है वह रात्रौ गृह भेदन करता है, कहा जाता है।

धारा 448 :– गृह अतिचार के लिए दण्ड –एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों।

soniya tanwar

धारा 451 – जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने का गृह अतिचार करेगा वह दोनों से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशायित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की होगी।

धारा 452 :– उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार–

जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार करेगा तो वह सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 454 :– कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन–

जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करेगा वह तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 457 :– कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन–

जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करेगा वह पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशायित हो, चोरी हो तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 458 :– उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन –

जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी के पश्चात रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करेगा तो वह चौदह वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 459 :– प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित करना–

जो कोई प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 460 – जो रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करने में संयुक्त संपृक्त हर व्यक्ति, (आजीवन

sonia tanwar

कारावास) से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

soniya tanwar

धारा 498 ए :– किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना–

जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण :– क्रूरता से अभिप्राय है –

1. जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (मानसिक या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है।
2. किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।

धारा 509:– शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है –जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा या कोई ध्वनि या शरीर के किसी अंग को दिखायेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा

धारा 510:– मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार –

जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान या ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो आएगा और वहाँ इस प्रकार आचरण करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि चौबीस घण्टे तक की हो सकेगी या दस रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 511:–आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड – जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास के दण्डनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है जहां वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास के लिए उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की

sonya tanwar

या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्धतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भाग (ब)

दण्ड प्रकीया संहिता 1973

soniyawar

दण्ड प्रकिया संहिता 1973

अध्याय –1: परिचय एवं परिभाषाएँ (INTRODUCTION AND DEFINITION)

धारा 2 परिभाषाएं– इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) जमानतीय अपराध – से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और ''अजमानतीय अपराध'' से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है;

(ख) आरोप– के अन्तर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों आरोप का कोई भी शीर्ष है;

(ग) संज्ञेय अपराध – से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिये और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत सिी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

(घ) परिवाद – से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है किन्तु इसके अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है;

(ड) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है;

(1) किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय;

(2) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय;

(3) किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दाण्डिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय;

(च) ''भारत '' से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिन पर इस संहिता का विस्तार है;

(छ) ''जांच'' से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए;

soniya tanwar

(ज) "अन्वेषण" के अन्तर्गत वे सब कार्यवाहियां है जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने लिए की जाएं;

(झ) "न्यायिक कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैद्य रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है;

(ण) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में **"स्थानीय अधिकारिता "** से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ;

(ट) "महानगर क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड) "असंज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिये और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है;

(ढ) "अपराध" से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है;

(ण) "पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" के अन्तर्गत जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर है या जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है;

(त) "स्थान" के अन्तर्गत गृह, भवन तम्बू यान और जलयान भी है;

(थ) किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किये जाने पर **"प्लीडर"** से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया है;

(द) "पुलिस रिपोर्ट" से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गयी रिपोर्ट अभिप्रेत है;

Soniya Tanwar

(ध) "पुलिस थाना" से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है;

(न) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) "लोक अभियोजक" से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लोक अभियेाजक के निदेशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है;

(फ) "उपखण्ड" से जिले का उपखण्ड अभिप्रेत है;

(ब) "समन मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है;

(भ) "वारंट मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है;

(2) TRIAL OF OFFENCES, CLASSES OF CRIMINAL COURTS

धारा 4. भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण–

(1) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण जांच विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण जांच विचारण और उनके संबध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबन्धों के अनुसार किन्तु एक से अपराधों के अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का ऐसे अपराधोंका विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए की जाएगी।

धारा 5. व्यावृति– इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्टि उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत किसी वि ो ा या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी वि ो ा अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी वि ो ा प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी।

धारा 6 दण्ड न्यायालयों के वर्ग– उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दण्ड न्यायालय होंगें, अर्थातः–

soniya tanwar

(क) सेशन न्यायालय;

(ख) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट;

(ग) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और

(घ) कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(3) POWER OF SUPERIOR OFFICERS, AID TO MAGISTRATE

धारा 36. बरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां –पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियां का उपयोग कर सकते है जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

धारा 37. जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी– प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है–

(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिये प्राधिकृत है पकडना या उसका निकल भागने से रोकना ; अथवा

(ख) परिशान्ति भंग का निवारण या दमन; अथवा

(ग) किसी रेल नहर तार या लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण।

धारा 38. पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है– जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है।

धारा 39. कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना– (क) प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दण्ड संहिता (1860का 45) की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आ ाय से अवगत है उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा।ऐसे किये जाने या आ ाय की इत्तिला तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा, अर्थात :

(1) धारा 121 से 126 दोनों सहित और धारा 130 (अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य के विरूद्ध अपराध);

soniya tanwar

(2) धारा 143,144,145,147 और 148 (अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराध);

(3) धारा 161से 165क दोनों सहित (अर्थात् अवैध परितोषण से संबंधित अपराध);

(4) धारा 272 से 278 दोनों सहित (अर्थात खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध आदि);

(5) धारा 302,303 और 304 (अर्थात जीवन के लिये संकटकारी अपराध);

(6) धारा 382 (अर्थात चोरी करने के लिये मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की

तैयारी के पश्चात चोरी का अपराध);

(7) धारा 392 से 399 दोनों सहित और धारा 402 (अर्थात लूट और डकैती के अपराध);

(8) धारा 409 (अर्थात लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग से संबंधित अपराध);

(9) धारा 431 से 439 दोनों सहित (अर्थात सम्पत्ति के विरूद्ध रिष्टि के अपराध);

(10) धारा 449 से 450 (अर्थात गृह अतिचार का अपराध);

(11) धारा 456 से 460 दोनों सहित (अर्थात् प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध);

(12) धारा 489 क से 489 ड दोनों सहित (अर्थात् करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध);

(ख) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''अपराध'' शब्द के अन्तर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता।

धारा 40. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य –

(1) किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेगा–

(क) ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई सम्पत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है स्थायी या अस्थायी निवास;

(ख) किसी व्यक्ति का जिसका वहा ठग लुटेरा निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से सन्देह करता है ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना;

soniya tanwar

(ग) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 143, 144,145,147, 148 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय

(घ) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना या सन्देहजनक परिस्थितियों में कोई कृत्य होना या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई पाया जाना या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से सन्देह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजामनतीय अपराध किया गया है गायब हो जाना;

(ड) ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आ ाय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की इन धराओं अर्थात 231 से 238 तक (दोनों सहित) 302, 304,382,3921 से 399 तक (दोनों सहित) 402,435,436,449,450,457 से 460 तक (दोनो सहित) 489क, 489ख, 489ग, और 489घ में से किसी के अधीन दण्डनीय अपराध होता;

(च) व्यवस्था बनाये रखने या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या सम्पत्ति के क्षेम पर संभाव्यतः प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किये गये साधारण या वि ो ा आदेश द्वारा उसे निदेश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे।

(2) इस धारा में–

(क) ''ग्राम '' के अन्तर्गत ग्राम भूमियां भी हैं;

(ख) ''उद्घोषित अपराधी '' पद के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार है किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं अर्थात–302, 304, 382, 392, से 399 तक (दोनों सहित) 402, 435,436, 449, 450,और 457 से 460 तक (दोनो सहित) में से किसी के अधीन दण्डनीय अपराध होता;

(ग) ''ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी'' शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

soniya tanwar

(4) ARREST OF PERSON

धारा 41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी–

(अ) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है;

(ख) जिसके विरूद्ध उचित परिवाद किया जा चुका हो या विश्वसनीय ईत्तला हुई हो या उचित संदेह विधमान हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो सात वर्ष से कम हो या जो सात वर्ष तक हो सकता है चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने सहित हो, यदि निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किया जाता हो अर्थात्–

(1) ऐसी शिकायत सूचना या शक के आधार पर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया;

(2) पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरा अपराध कारित करने से रोकने ;या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध का साक्ष्य गायब करने से या किसी अन्य तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेडछाड करने से रोकने या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से अवगत हों पर दबाव भय या उत्प्रेरण करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने ताकि न्यायालय को या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से उसे रोका न जा सकें या

(ड) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाये तब तक उसकी न्यायालय में उपस्थिति हेतु जब कभी अपेक्षित हो;

और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

(खक) जिसके विरूद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो सात वर्ष से अधिक तक हो सकेगा चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो ओर पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

soniya tanwar

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; अर्थात् अथवा

(ड) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुॅचाता है जब वह अपना कतर्व्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किये जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में में दण्डनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यपर्ण संबंधी किसी बिधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकडे जाने का या अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने का भागी है, सम्बद्ध रह चुका है या जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है; अथवा

(ज) जो छोडा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम को भंग करता है; अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है परंतु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है ओर उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विर्निदिष्ट है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) धारा 42 के प्रावधानों के अध्यधीन, असंज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी व्यक्ति या जिसके विरूद्ध शिकायत की गई या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या इस प्रकार संबंधित होने का शक हो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।)

धारा 41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना –(1) पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलो में जहां किसी व्यक्ति को धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के तहत गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो, अपने समक्ष या ऐसी अन्य जगह पर जिसे नोटिस में वर्णित किया जायें उसे उपस्थित होने के लिए ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध उचित शिकायत की गयी हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, या उचित शक हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, को निर्देश प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर सकता है।

sonia tanwar

(2) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया हो वहां नोटिस की पालना करना उस व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करता है और पालना करना जारी रखता है वहां नोटिस में वर्णित अपराध के संबंध में उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से लिए पुलिस अधिकारी की यह राय नहीं हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहां किसी भी समय ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करने में असफल हो जाता है वहां ऐसे आदे ा ों के अध्यधीन जिन्हें सक्षम न्यायानलय द्वारा इस संबंध में पारित किया गया हो, नोटिस में वर्णित अपराध के लिए उस गिरफ्तार किया जाना पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

धारा 41ख. गिरफ्तारी की प्रकिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्त्तव्य – गिरफ्तार करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी–

(क) अपने नाम की सही, दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा जो उसकी सहज पहचान को सुविधाजनक करें;

(ख) फर्द गिरफ्तारी तैयार करेगा, जिसे–

(1) कम से कम एक ऐसे गवाह द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, जहां गिरफ्तारी की गयी हो;

(2) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा; और

(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना प्रदान करेगा जब तक कि फर्द उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जायें कि उसके पास उसके द्वारा बताये गये रिश्तदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

धारा 41ग. जिलों में नियंत्रण कक्ष– (1) राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा–

(क) प्रत्येक जिले में; और

(ख) राज्य स्तर पर।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्षों के बाहर रखे गये नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते ओर उन पुलिस अधिकारियों जिन्होंने गिरफ्तारियों की के नाम व पदनाम लिखवायेगी।

soniya tanwar

(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय–समय पर गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में उस अपराध की प्रकृति के बारे में जिससे उन्हें आरोपित किया गया, विवरण एकत्रित करेगा और आम जनता की सूचना के लिए आंकडे रखेगा।

धारा 41घ. पूछताछ के दौरान उसकी पसन्द के वकील से मिलने के लिए गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का अधिकार– जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो वह पूछताछ के दौरान यद्यपि संपूर्ण पूछताछ में नहीं अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा।

धारा 42. नाम और निवास से इनकार करने पर गिरफ्तारी– (1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।

(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभुओं सहित या रहित यह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा;

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंधपत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जायेगा।

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अन्दर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किये जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दियाजायेगा।

धारा 43. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रकिया– (1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जायेगा या भिजवायेगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबन्धों के अन्तगर्त आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर गिरफ्तार करेगा।

soniya tanwar

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड दिया जायेगा।

धारा 44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी– (1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानिय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

धारा 45. सशस्त्र बनों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण– (1) धारा 41 सेा धारा 44 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी संघ के संशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ही जाती।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाये रखने का कार्यभार सौंपा गया है जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों उपधारा(1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें आने वाले ''केन्द्रीय सरकार'' पद के स्थान पर ''राज्य सरकार'' पद रख दिया गया हो।

धारा 46. गिरफ्तारी कैसे की जायेगी– (1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरूद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो जब तक कि परिस्थितियां प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसको निवेदन उपधारित किया जायेगा और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा नहीं करे या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो, पुलिस अधिकारी महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला के शरीर को नहीं छुऐगा।

sonia tanwar

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किये जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है।

(4) असाधारण परिस्थितियों को छोडकर कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्ताार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके, ऐसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

धारा 47. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है– (1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाले या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधांए देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां की तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिडकी को तोडकर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता।

परंतु यदि ऐसा कोई स्थान या ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिये उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोडकर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

soniya tanwar

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिडकी अपने को या अन्य किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरूद्व है मुक्त करने के लिए तोडकर खोल सकता है।

धारा 48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना– पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

धारा 49. अनावश्यक अवरोध न करना– गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरूद्व न किया जायेगा, जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

धारा 50. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना– (1) किसी व्यक्ति को वांरट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टयां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोडें जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे।

धारा 50.क गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे, में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता– (1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है ,उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उप–धारा (2) और उप–धारा(3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।

sonya tanwar

धारा 51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी– (1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबंध नही करता है या ऐसे वारन्ट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरपतार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति गिरपतार किया जाता है तथा

जब कभी कोई व्यक्ति वारन्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरपतार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है .

तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोडकर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता हैऔर जहां गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यहिक्त को एक रसीद दी जाती है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे मं की गई वस्तुऐ दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तालशी करना आवश्यक हो, तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

धारा 52. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति– वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हों ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा। जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।

धारा 53. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा– (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के लिये और सद्भावनापूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिये उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके र्प्यवेक्षण में की जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा में और धारा 53क और धारा 54 में–

soniya tanwar

(क) **''परीक्षा''** में खून, खून के धब्बों , सीमन लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब थूक और स्वेद बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता सम्मिलित होंगे।

(ख) **''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी''** से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

धारा 53.क बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा– (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप–निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा ओर उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात–

(क) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है, नाम और पता;

(ख) अभियुक्त की आयु;

(ग) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो,

(घ) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और

(ड) उचित ब्यौरे सहित , अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएगें जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अकिंत किया जाएगा।

soniyatanwar

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी , बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप–धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

धारा 54. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच– (1) जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे केन्द्रीय या राज्य सरकारी की सेवा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जायेगा और यदि चिकित्सा अधिकारी उपस्थित नहीं हो तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा उसकी गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात परीक्षित किया जायेगा;

परंतु जहां गिरफ्तारी व्यक्ति महिला हो वहां शरीर की जांच केवल महिला ओफिसर के अधीक्षण के अधीन या उसके द्वारा की जायेगी ओर यदि महिला मेडिकल ओफिसर उपलब्ध नहीं हो तो महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा की जायेगी।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करने वाला मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर ऐसी जॉच का रिकोर्ड तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति पर किन्हीं चोटों या हिंसा के निशान और अनुमानित समय, जब ऐसी चोटें या निशान कारित किये गये हों, वर्णित करेगा।

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन जांच की गई हो वहां ऐसी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर यथास्थिति द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये गये व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

धारा 54.क. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त– जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य या किन्ही अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

परन्तु यदि गिरफ्तार व्यक्ति की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचान किया जा रहा है जो कि मानसिक या शारीरिक रुप से निःषक्त है तो ऐसी पहचान प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में की जाएगी तथा ऐसे कदम उठाये जाएंगें कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने में ऐसी रीति का उपयोग करे जो उसके लिए सुविधाजनक हो।

यदि गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रुप से निःषक्त है तो ऐसी पहचान प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

soniya tanwar

धारा 55. जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रकिया– (1) जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है ओर उस अपराध का या अन्य कारण का जिसकेक लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे ओर इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा।

(2) उप–धारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

धारा 55क. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा– अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करना अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा।

धारा 56. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना– वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरूद्व न किया जाना– कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन वि ो ा आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोडकर चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

धारा 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना– पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निदेश देने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने–अपने थानों की सीमाओं के अन्दर वारंट के बिना गिरफ्तार किये गये सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेगें चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

धारा 59. पकडे गये व्यक्ति का उन्मोचन– पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के वि ो ा आदेश के अधीन ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

Soniya Tanwar

धारा 60 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड लेने की शक्ति– (1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुडा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुडाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन गिरफ्तार को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के अधीन के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।

धारा 60.क गिरफ्तार पूर्णतः संहिता के अनुसार की जाये– कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जायेगी सिवाय इस संहिता के प्रावधानों की अनुपालना में या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में।

5. Summons

धारा 61 समन का प्ररूप–न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और दों प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

धारा 62 समन की तामील कैसे की जाए– (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए दस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गये व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिये रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील–किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है और जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता।

sonia tanwar

स्पष्टीकरण–इस धारा में ''निगम'' से कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है ओर इसके अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है

धारा 64 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील – जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुम्ब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरूष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोडकर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोडा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

स्पष्टीकारण–सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

धारा 65 जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया – यदि धारा 62, 63, या 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियां में से एक जो उस गृह या वासस्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वहा उचित समझे।

धारा 66. सरकारी सेवक पर तामील – (1) जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायानलय मामूली तोर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तबवह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा ओर उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा।

(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा।

धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील – जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किये गये समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाय तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है।

धारा 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत –(1) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गये समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसमें समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय

sonia tanwar

उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित यह शपथ पत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त किया गया था या जिसके पास वहा छोडा गया था (धारा 62, 64 में उपबंधित प्रकार से) पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है साक्ष्य में ग्राह्म होगी ओर जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किये गये कथन सही माने जाएंगे।

(1) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है।

धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील – (1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिये समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ–साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गयी तात्पर्यित अभिस्वीकृति डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई।

6 Warrants and Proclamation

धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि – (1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ़ातारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है।

धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति – (1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी करेने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब कि अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वांरट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड देगा।

(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित हेांगी–

soniya tanwar

(क) प्रतिभूओं की संख्या;

(ख) वह रकम जिसके लिये क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने है;

(ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा।

धारा 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे– (1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा; किन्तु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यकत है और कोई पुलिस अधिकारी तुरन्त न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है ओर ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन उन सबके द्वारा कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।

(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है।

धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे – (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्धदोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिये अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भारसाधक के अधीन किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा।

(3) जब वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जायेगा जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिका रिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा।

धारा 74 पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट – किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है।

sonia tanwar

धारा 75 वारंट के सार की सूचना– पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा ओर यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा सकेगा।

धारा 76 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना – पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को (धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुऐ) अनावश्यक विलम्ब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिये वहा विधि द्वारा अपेक्षित है;

परंतु ऐसा विलंम्ब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोडकर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।

धारा 77 वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है – गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।

धारा 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिये भेजा गया वारंट – (1) जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अन्दर किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उसका निष्पादन किया जाना है ओर वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकन करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं, समर्थ बनाने के लिये पर्याप्त हैं वारंट के साथ भेजेगा।

धारा 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट – (1) जब पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा।

soniyaranwar

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिये जिसको वह वारंट निदिष्ट किया गया है उसका निष्पादन करने के लिये पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से ऐसा निष्पादन न हो पायेगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निदिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय आधिकारिता से परे किसी स्थान से ऐसे पृष्ठाकंन के बिना कर सकता है।

धारा 80 जिस व्यक्ति के विरूद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रकिया – जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अन्दर है या उस कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जायेगा।

धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए – (1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा।

परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाये या वारंट पर धारा 71 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिये तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट ,जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था।

परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुये) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिये धारा 78 की उपधारा(2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड देना विधिपूर्ण होगा।

sonia tanwar

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी।

धारा 82 फरार व्यक्तियों के लिये उद्घोषणा – (1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिये बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरूद्व उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उस यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगीः–

(क) (अ) वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढी जाएगी;

(ब) वह उस गृह या वासस्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगीः

(स) उसकी एक प्रति उस न्याय –सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जायगी;

(ख) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विर्निदिष्ट दिन उपधारा (2) के खण्ड में (1) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1)के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।

धारा 83 फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की – (1) धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता हैः

soniya tanwar

परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है :–

(क) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, अथवा

(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है;

तो वहा उदघोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी सम्पत्ति स्थित है पृष्ठाकिंत कर दिया जाये।

(3) यदि वह सम्पत्ति जिसकों कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम सम्पत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्कीः

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त निमित्त किसी को भी उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जायेगी जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(4) यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जायेगी जिसमें वह भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जायेगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं में–

(क) कब्जा लेकर की जायेगी; अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जायेगी; अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी सम्पत्ति का किराया देने या उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी ; अथवा

sonya tanwar

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्ही दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह सम्पत्ति जिसकों कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की हैतो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(7) ISSUE OF WARRANT BOND FOR APPEARNCE AND ARREST ON BREACH OF BOND

धारा 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना – न्यायालय किसी भी ऐसे मामलें में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है–

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पडता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा; अथवा

(ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है ओर यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है।

धारा 88 हाजिरी के लिए बन्धपत्र लेने की शक्ति – जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अन्तरित किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंध पत्र प्रतिभूओं सहित या रहित निष्पादित करे।

धारा 89 हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी – जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आवद्व है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निदेश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए।

sonya tanwar

8. SUMMONS TO PRODUCT SEARCH WARRANTS & GENERAL PROVISIONS

RELATING TO SEARCH

धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समय – (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि

किसी ऐसे अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात–

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम , 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र पोस्टकार्ड तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

धारा 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया– (1) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज पार्सल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निदेश दे कर दिया जाए।

(2) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिये तो वह, यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज पार्सल

soniya tanwar

या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदे ा ों के मिलने तक निरूद्ध रखे।

धारा 93) तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है– (1) (क) जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा सम्बोधित की गई है या की जाती है या की जाती है ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करें अथवा

(ख) जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है; अथवा

(ग) जहां न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है; और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निदिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा; तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी सीान पर या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विर्निदिष्ट है।

(3) इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पार्सल या अन्य चींज की तलाशी के लिए वांरट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

धारा 94 दस्तावेज की बरामदगी के लिए स्थान की तलाशी– यदि किसी मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलने पर या जांच के पश्चात विश्वास करने का कारण है कि किसी स्थान का उपयोग चुराई हुई सम्पत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए अथवा किसी आपत्तिजनक वस्तु के निक्षेप या विक्रय या उत्पादन के लिये अथवा ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है तो वह कानिस्टेबल से ऊपर के किसी भी अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है कि–

(1) वह उस स्थान में आवश्यक सहायता के साथप्रवे ा करें।

(2) वारंट में उपबंधित ढंग से उस स्थान की तलाशी ले।

(3) चुराई हुई सर आपत्तिजनक वस्तु को अपने कब्जे में लें ।

soniya tanwar

(4) ऐसी वस्तु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे या सुरक्षापूर्वक रखें।

(5) उस स्थान पर पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे जो संदेहास्पद प्रतीत हो।

वे आपत्तिजनक वस्तुऐं जिन पर यह धारा लागू होती है वे हैं कूटकृत सिक्का करेन्सी नोट स्आम्प दस्तावेज नकली मुद्रायें अश्लील वस्तुएं तथा इन सब चीजों के उत्पादन के लिये प्रयुक्त उपकारण या सामग्री।

धारा 95 कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति – (1) जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि:

(क) किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा

(ख) किसी दस्तावेज में;

चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो कोई ऐसी बात अन्तर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 कर 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या धारा 292 धारा 293 या धारा 295क के अधीन दण्डनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अन्तर्विष्ट करने वाले समाचारपत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिये जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है और तब भारत में जहां भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में, जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित सन्देह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है।

(2) इस धारा में और धारा 96 में–

(क) ''समाचारपत्र'' और ''पुस्तक'' के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1867 (1867 का 25) में है;

(ख) ''दस्तावेज'' के अन्तर्गत रंगचित्र रेखाचित्र या फोटोचित्र या अन्य दृश्यरूपण भी है।

(3) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं

धारा 97 सदोष परिरूद्ध व्यक्तियें के लिए तलाशी –यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरूद्ध है,

soniya tanwar

जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जायगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरन्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो।

धारा 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति– किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरूद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किये जाने या विधिविरूद्ध रखे जाने की शपथ पर परिवाद किये जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता–पिता संरक्षक या अन्य व्यक्ति को उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है तुरंत वापस कर दी जाये और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकता है।

धारा 99 तलाशी वारंट का निदेशन आदि– धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78, और 79 के उपबंध जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को लागू होंगे जो धारा 93, 94, 95, या धारा 97 के अधीन जारी किये जाते है।

धारा 100 बंद स्थान की तलाशी की प्रकिया – (1) मकान का भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो तलाशी वारंट की तामील कर रहा है प्रवेश करने व तलाशी के लिये उसे उचित सुविधा देगा।

(2) उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर धारा 47 की उपधारा 2 में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) ऐसे स्थान में या उसके आस–पास संदेहास्पद व्यक्ति जो ऐसी वस्तु छुपाये हुये है जिसकी तलाशी ली जानी है उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है यदि वह स्त्री है तो उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लीवाई जायेगी।

(4) मकान या उस व्यक्ति की तलाशी से पूर्व दो साक्षियों को रखा जायेगा जो स्वतंत्र व प्रतिष्ठित हो। उनको लिखित में भी आदेश जारी कर सकता है वापसी तलाशी लेने से पूर्व पुलिस ऑफिसर साक्षियों के सामने मकान मालिक को अपनी तलाशी देगा।

(5) तलाशी एक सिरे से आरंभ की जाकर सेक्टरों में बांटकर अनुक्रम में होनी चाहिये।

(6) तलाशी के समय वे सब चीजें जिन–जिन स्थानों में पाई गई हैं उसकी सूची तैयार की जाकर साक्षियों को पढकर सुनाई जाकर हस्ताक्षर कराये जायेगें।

(7) तलाशी लेते समय मकान का भारसाधक या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हाजिर रहने की आशा की जायेगी तथा सूची की एक प्रति उसे दी जायेगी।

sonia tanwar

(8) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अनुसार की जाती है तो उन सबकी सूची तैयार कर उसकी एक प्रति उसे भी दी जायेगी तलाशी के पश्चात पुलिस ऑफिसर अपनी जामा तलाशी देकर वाहर निकलेगा। तलाशी के समय वारंट दिखाया जायेगा वि ो ा परिस्थितियों को छोडकर तलाशी सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच ली जानी चाहिये।

धारा 101 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन–जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान निष्पादित करने में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है उन चीजों में से जिनके लिये तलाशी ली गई है कोई चीज पाई जाएं तब वे चीजे इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी किंतु वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा।

धारा 102 चुराई हुई सम्पत्ति व अपराध का वजह सबूत जब्त करने की शक्ति– (1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति को अधिग्रहीत कर सकता हे जिसके बारे में यह संदेह हो कि चुराई हुई है या ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किये जाने का संदेह हो।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) पुलिस अधिकारी अधिग्रहण की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को देगा और यदि सम्पत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है तो उस सम्पत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो वचनबद्ध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि जब कभी भी अपेक्षा की जाये तब वह उस सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा ओर उसके व्ययन के बाबत न्यायालयों के आदे ा ों की पालना करेगा।

धारा 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है– कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिये वह तलाशी वारंट जारी करने के लिये सक्षम है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकता है।

(104) पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति – यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज को जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है।

9-SECURITY FOR KEEPING PEACE

soniya tanwar

धारा 106 दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति –

(1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिये सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाएं तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिये जितनी वह ठीक समझे परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करें

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित है:–

(क) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 8 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जो धारा 153क या धारा 153ख या धारा 154 के अधीन दण्डनीय अपराध से भिन्न है:

(ख) कोई ऐसा अपराध जो या जिसके अन्तर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी करना है;

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध;

(घ) कोई अन्य अपराध जिससे परिशान्ति भंग हुई है या जिससे परिशान्ति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशान्ति भंग सम्भाव्य है।

(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बन्धपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, किया जा सकेगा।

धारा 107 अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति – (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिये जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशान्ति कायम रखने के लिये उसे बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाए।

sonia tanwar

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो जहां स्थान वहां परिशान्ति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर है या ऐसी अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे सम्भाव्यतः परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशन्ति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।

धारा 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति – (1) जब किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अन्दर या बाहर–

(अ) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साक्ष्य फेलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फेलाने का दुष्प्रेरण करता है अर्थात –

(क) कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या 153ख या धारा 295क के अधीन दंडनीय है, अथवा

(ख) किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है अथवा

(ब) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292 में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता उत्पादित करता प्रकाशित करता या रखता है आयात करता है निर्यात करता है प्रवहण करता है विक्रय करता है भाडे पर देता है वितरित करता है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है।

और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वहा कारण दर्शित करें, कि एक एक वर्षसे अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिये प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाये।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिये गये नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप सम्पादित मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के सम्पादक स्वत्वधारी मुद्रक या प्रकाशक के विरूद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अधिकारी के आदेश से उसके प्राधिकार के अधीन ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

soniya tanwar

धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति– (1)जब किसी कार्यापालिक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिये पूर्वावधानियों बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिये प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाए।

धारा 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति– जब किसी कार्यापालिक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है–

(1) अभ्यासतः लुटेरा गृहभेदक चोर या कूटरचयिता हैं अथवा

(2) चुराई हुई सम्पत्ति का दउसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है अथवा

(3) अभ्यासतः चोरों की संरक्षता करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है अथवा

(4) व्हरण अपहरण उद्दापन छल या रिष्टी का अपराध या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग, या धारा 489ध के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है अथवा

(5) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रचयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिनमें परिशान्ति भंग समाहित है अथवा

(6) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है

(7) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) या

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिये उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध है या

(8) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है;

soniya tanwar

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाय।

10. MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER

धारा 129 सिविल बल प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना– (1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या एस.एच.ओ. की अनुपस्थिति में एस.आई. से कम रैंक का न होने वाला पुलिस अधिकारी किसी विधि विरूद्ध जमाव को जिससे लोकशान्ति भंग होने की संभावना हो तितर–वितर होने का आदेश दे सकता है तब ऐसे जमाव के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर–बितर हो जायें।

(2) यदि ऐसा समादेश दिये जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर–बितर नहीं होता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग द्वारा जमाव को बल द्वारा तितर–बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है।

धारा 130 जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग– (1) ऐसा जमाव अन्यथा तितर–बितर नहीं किया जा सकता लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर–बितर किया जाये तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देश से उन्हे गिरफ्तार या निरूद्ध कर सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल की टुकडी का नेतृत्व कर रहा है उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने नेतृत्व के सस्त्र बल से जमाव को तितर–बितर कर दें, मजिस्ट्रेट के निर्देश से उन्हें गिरफ्तार या निरूद्ध करें।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर व सम्पत्ति को इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर–बितर करने गिरफ्तार करने, निरूद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यो के लिए अभियोजन से सरंक्षण– (1) किसी कार्य के लिये जो धारा 129, 130, या 131 के अधीन किया गया तात्पर्यिक है या व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन किसी दण्ड न्यायालय में–

(क) जहां ऐसा व्यक्ति जो सशस्त्र बल को कोई अधिकारी या सदस्य है वहां केन्द्रीय सरकार के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

sonya tanwar

(ख) किसी अन्य मामलें में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कर्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में–

(ख) धारा 129 या 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में।

(ग) धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में।

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिये आबद्ध हो उसके पालन में किये गये किसी कार्य के लिये उस सदस्य के बारे में।

(3) इस धारा में और इस धारा की पूर्ववर्ती धाराओं–

(क) ''सशस्त्र बल'' पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना नौसैना, वायुसैना अभिप्रेत है ओर इसके अर्न्तगत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी है।

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में ''अधिकारी'' के सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर वारंट ऑफिसर पेटी ऑफिसर अनायुक्त ऑफिसर तथा राजपत्रित ऑफिसर भी है।

(ग) सशस्त्र बल के संबंध में ''सदस्य'' से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई उसका सदस्य अभिप्रेत है।

धारा 133 न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदे ा – (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की इत्तिला प्राप्त होती है कि–

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग नदी या जल सरणी में जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है, विधि विरूद्धबाधा या न्यूसेन्स हो रहा है।

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना जो समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिये हानिकर है

(ग) किसी भवन तम्बू सरंचना या कोई वृक्ष जिसका गिरना संभाव्य है और जिससे व्यक्तियों को हानि हो सकती है।

sonya tanwar

(घ) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे अग्निकांड या विस्फोट हो जाना संभाव्य है।

(ड) कोई बिना बाड़ लगा हुआ तालाब कुंआ या उत्खात जो किसी मार्ग या लोक स्थान के पास में है।

(च) किसी भयानक जीवजन्तु जिसे नष्ट परिरूद्ध या जिसका व्ययन किया जाना अपेक्षित है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार की बाधा या न्यूसेन्स को हटा देने का सशर्त आदेश दे सकता है ओर यदि वह ऐसा करने में अ आपत्ति करता है तो कारण प्रदर्शित करने का आदेश दे सकता है एवं ऐसा न्यूसेन्स हटा सकता है।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी ओदश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

धारा 144 न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति– (1) उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपाय किया जाना वांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य–वि ो ा नहीं करने या कोई अपने कब्जे की विशिष्ट सम्पत्ति की कोई वि ो ा व्यवस्था करने का निर्देश उस दिशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसा निर्देश विधिपूर्ण नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या लोकशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगें का निवारण हो जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशा मं पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा किसी वि ो ा क्षेत्र में निवास कराने वाले व्यक्तियों को निर्दिष्ट किये जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश दिये जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत नहीं रहेगे वि ो ा परिस्थितियों में 6 माह तक हो सकती है।

(5) कोई मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है जो या तो उसने दिये है या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने दिये हैं।

(6) राज्य सरकार अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश को स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है।

(7) जहां उपधारा (5) या (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या उसके प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने या आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देगी और यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी।

sonya tanwar

- **धारा 144 क :–** किसी कवायद या प्रशिक्षण में आयुध ले जाने पर प्रतिषेध की शक्ति :–

(1) जिला मजिस्ट्रेट, जब कभी यह समझता है कि क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने या लोक सुरक्षा या लोक शान्ति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है तो वह अपने क्षेत्राधिकार में किसी आदेश द्वारा किसी क्षेत्र वि ो ा में या किसी लोकस्थान में किसी कवायद या प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार के आयुध ले जाने या रखने पर प्रतिषेध कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया आदेश किसी समुदाय, पार्टी या किसी संगठन के लिए हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन जारी किया गया आदेश जारी किए जाने के 3 मास से ज्यादा प्रभावी नहीं होगा।

(4) यदि राज्य सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है तो जिला मजिस्ट्रेट जारी किए गए आदेश को 6 मास तक जारी रखने हेतु आदेश जारी कर सकती है, किन्तु आदेश में जारी रखने के संबंध में कारण प्रदर्शित किए जाएंगें।

(5) राज्य सरकार उपधारा 4 में वर्णित प्रयोजन के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर सकती है।

धारा 145 जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशन्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रकिया– भूमि जल से संबंधित विवादों में उत्पन्न शान्ति भंग होने की संभावना है ऐसा समाधान पुलिस रिपोर्ट या अन्य इत्तिला से हो सकता है तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए विवाद से संबंधित पक्षकारों को लिखित आदेश देगा कि विनिर्दिष्ट तारीख ओर समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो व अपने–अपने दावे लिखित में पेश करें।

11- PREVENTIVE ACTION OF POLICE

धारा 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना– प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा।

धारा 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला –प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्त्तव्य किसी ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण या संज्ञान करना है।

धारा 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी– कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदे ा ों के

soniya tanwar

बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

12- INFORMATION TO THE POLICE AND THEIR POWERS TO INVESTIGATION

पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियॉ

- धारा 154 :–

154 (1) जब भी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है चाहे वह मौखिक हो या लिखित, तो वह अधिकारी उस सूचना को अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति को पढ कर सुनाई जायेगी।

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थायी या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी वि ो ा प्रबोधक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान रिकार्ड करवाएगा।

154 (2) उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी।
154 (3) यदि कोई व्यक्ति किसी थाने के भारसाधक अधिकारी के इत्तिला अभिलिखित नहीं किए जाने से व्यथित है तो वह यह इत्तिला पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है तथा पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट है कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेष्ण करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा।

soniya tanwar

धारा 155 असंज्ञेय मामलों की सूचना व अन्वेषण–:

(1) जब एस.एच.ओ को उसके थाने की सीमाओं में असंज्ञेय अपराध की इत्तिला जाती है तो सार रोजनामचा आम में प्रविष्ट करेगा या करवायेगा इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने को निर्देशित करेगा ।

(2) पुलिस अधिकारी अंसज्ञेय मामले का अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा ।

(3) आदेश मिलने पर वारन्ट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे पुलिस थाने का भारसाधक पदाधिकारी संज्ञेय मामलो में कर सकता है।

(4) जहां मामले में कम से कम एक अपराध संज्ञेय हो व अन्य अपराध अंसज्ञेय हो तो भी यह मामला संज्ञेय मामला मान जायेगा ।

धारा 156. संज्ञेय मामलों में अन्वेषण की पुलिस अधिकारी की शक्ति–:

(1) उपरोक्त धारा के तहत एस.एच.ओ. मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम पर से प्रश्नगत न किया जायेगा कि मामला ऐसा था कि जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण के लिए सशक्त न था ।

(3) धारा 190 सी.आ.पी.सी के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट पुर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

धारा 157 अन्वेषण की प्रक्रिया –:

(1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इत्तिला प्राप्त होने पर अपराध की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा तथा अन्वेषण के उद्देश्य से अपराधी का पता लगाने तथा उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को भेजेगा। परन्तु

(क) यदि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो आवश्यक नहीं होगा कि भारसाधक अधिकारी अन्वेषण के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे

(ख) यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले में अन्वेषण नहीं करेगा। परन्तु

soniya tanwar

बलात्संग के अपराध के संबंध में पीडित का कथन पीडित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा

(2) उपधारा (1) के परन्तुक क तथा ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिर्पोट उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा तथा अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने की दशा में ऐसा अधिकारी इत्तिला देने वाले को सूचना देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा।

धारा 158:– रिपोर्ट कैसे दी जाएगी

(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाएगी।

(2) ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

धारा 159:– अनवेषण या प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति.–: ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिये आदेश दे सकता है । प्रारम्भिक जांच तुरन्त कर सकता है या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है ।

- **धारा 160 :– साक्षियो सें हाजिरी की अपेक्षा करनें की पुलिस अधिकारी की शक्ति**

160 (1) किसी अपराध करने वाला अधिकारी अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति आदे । ानुसार हाजिर होगा। किन्तु ऐसे आदेश किसी 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या स्त्री या मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति के लिए जारी नहीं किए जाएंगें अर्थात इनकों थाने पर बुलाने के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किए जाएंगें।

sonya tanwar

160 (2) ऐसे व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार उपबन्ध कर सकती है।

धारा 161 :– पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा

161 (1) अनुसंधान करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित है।

161 (2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जो उसे आपराधिक आरोप या शास्ति मे डालने की आशंका के हो, सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

161 (3) किसी अपराध के अनुसंधान में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के कथन लेखबद्ध करेगा तथा उसके अभिलेख तैयार करेगा। ऐसे कथन श्रव्य–दृश्य इलेक्टानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

यदि कथन किसी ऐसी स्त्री के है जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है, तो कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।

धारा 162 :– 162 (1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अनुसंधान के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

कथन का प्रयोग केवल धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत खंडन करने के लिए ही प्रयुक्त होगा।

162 (2) धारा 32(1) तथा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पर यह धारा लागू नहीं होगी।

धारा 163 : – कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना–:

(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और करेगा तथा न दिलवाएगा ओर न करावाएगा।

(2) किन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा।

sonya tanwar

धारा 174–: आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना–:

(1) एस.एच.ओ को या इस हेतु विशेष सशक्त पुलिस अधिकारी को यह इत्तिला मिलती है कि किसी ने आत्महत्या करली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जीव जन्तु द्वारा यन्त्र द्वारा मारा गया है या ऐसी परिस्थिति में मरा है जिससे सन्देह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है जो थाना अधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर मर्ग की प्रथम सूचना दर्ज कर रोचनामचा आम में रिपोर्ट दर्ज कर इसकी सूचना तुरन्त सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और वि ो ा आदेश न होने तक उस स्थान पर जायेगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है वहां पहुंचकर पडौस के दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति में पंचनामा लाश बनायेगा ।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियो द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत है, हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेज दी जायेगी।

(3) जब –:

(1) मामले में किसी स्त्री द्वारा विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अन्तर्वलित है ।

(2) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से सम्बंधित जो एक युक्तियुक्त सदेंह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के सम्बंध में कोई अपराध किया है या

(3) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु से सम्बन्धित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है या

(4) मृत्यु के कारण की बाबत् कोई संदेह है या

(5) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा कराना समीचीन समझता है,

ऐसे नियमो के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जाये वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सडने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाये, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

धारा 175–:व्यक्तियों को समन करने की शक्ति–:

soniya tanwar

(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी दो या अधिक व्यक्तियों को अन्वेषण के प्रयोजन से बुला सकता है समन कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति हाजिर होने के लिये तथा प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिये आबद्ध होगा ।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा।

धारा 176. :– मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच–

(1) जब जब मामला धारा 174 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रकृति का है तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतक मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने में सक्षम है और यदि वह जांच करता है तो उसे वे सब शक्तियां होंगीं जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती है।

(1क) जहां –

- **कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है**
- **किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित होता है**

तो उस दशा में ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।

(2) ऐसी जाँच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके सम्बंध में लिये गये साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थिति के अनुसार अभिलिखित करेगा।

(3) जहाँ मजिस्ट्रेट के विचार में किसी व्यक्ति के शव को पहले ही गाड़ दिया है और मृत शरीर की इसलिये परीक्षा उसकी की जाये तो उसकी मृत्यु के कारण का पता चल सके तो वह उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करवा सकता है ।

(4) मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं साध्य है मृतक के नातेदारों को इत्तिला देगा और उन्हे जाँच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

(5) उपधारा (1क) के अधीन जांच या अनुसंधान करने वाला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा।

13. PROVISIONS REGARDING BAIL

soniya tanwar

(जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध)

धारा 436 – किन मामलों में जमानत ली जाएगी –

(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और यदि वह जमानत देने के लिये तैयार है तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड दिया जायेगा।

परन्तु ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसे हाजिर होने की अपेक्षा करने के लिए प्रतिभूति रहित बन्धपत्र निष्पादित कर उन्मोचित कर सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है या जमानत देने में असमर्थ है तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा।

स्पष्टीकरण :– जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त आधार होंगें कि वह परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है।

(2) उपधारा (1) में होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति जमानत पत्र की शर्तो का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे उसी मामले में न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोडने से इंकार कर सकता है।

धारा 436 ए – अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है –

जहां कोई व्यक्ति मृत्यु दण्ड से भिन्न किसी अपराध में अन्वेषण या जांच या विचारण के प्रक्रम में कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस अपराध के लिए विर्निदिष्ट की गई है, आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा प्रतिभूति सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड दिया जाएगा।

- परन्तु न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात व उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाए ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध जारी रखने का आदेश कर सकेगा या प्रतिभूति सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड दिया जाएगा।
- कोई व्यक्ति किसी अन्वेषण या जांच या विचारण के दौरान उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

sonia tanwar

- जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किए गए विलंब के कारण भोगी गई निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

धारा 437 – अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी –

(1) जब कोई वारंट अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोडा जा सकता है किंतु–

(अ) यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी है तो उसे नहीं छोडा जायेगा।

(ब) यदि कोई ऐसा अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले दोषसिद्ध किया गया है या तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए किन्तु सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध के लिये दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह नहीं छोडा जायेगा ।

- किंतु 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति स्त्री रोगी या विकलांग व्यक्ति को न्यायालय न्यायोचित होने पर छोडा सकता है जमानत पर छोड दिये जाने पर अपराधी वचन देता है कि वह न्यायालय द्वारा जारी आदे ा ों को पालन करेगा।
- केवल इस आधार पर जमानत के लिए इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने में हो सकती है।
- किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है जिसका दण्ड मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक का है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोडा जाएगा।

(2) यदि न्यायालय को अन्वेषण या जांच के क्रम में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के आधार है तो न्यायालय स्व–विवेकानुसार उसे जमानत पर छोड सकता है।

soniya tanwar

(3) जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराध करने का अपराधी है या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोगी है और उसे जमानत पर छोंडा जाता है तो न्यायालय यह शर्त आरोपित करेगा –

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित शर्तो के अनुसार हाजिर होगा

(ख) कोई अपराध नहीं करेगा;

(ग) मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा व साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा

(घ) अथवा न्याय के हित में कोई भी ऐसी शर्त जिसे न्यायालय आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है।

(4) जमानत पर किसी व्यक्ति को छोडने वाला अधिकारी या न्यायालय जमानत पर छोडने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को जमानत पर छोडा है ओर यदि वह आवश्यक समझता है तो उस व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है।

(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अजमानतीय अपराध के अभियुक्त का विचारण साक्ष्य देने के लिये साठ दिन की अवधि में पूरा नहीं हो पाता है और यदि वह व्यक्ति पूरे समय अभिरक्षा में रहा है तो मजिस्ट्रेट कारणों को उल्लेखित करते हुए उसे जमानत पर छोड सकता है।

(7) यदि अजमानतीय अपराध कि अभियुक्त के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने से पूर्व यदि न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तो उसे जमानत पर छोड सकता है।

धारा 437क – अगले अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अभियुक्त से अपेक्षा करने हेतु जमानत –

(1) विचारण समाप्ति से पहले और अपील निस्तारित करने से पूर्व, अपराध विचारित करने वाला न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रतिभु के साथ जमानत मुचलके निष्पादित करने की अभियुक्त से अपेक्षा करेगा, जब और जैसे ऐसा न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किसी अपील या याचिका के संबंध में नोटिस जारी करें तथा ऐसे जमानत मुचलके छहः माह के लिए प्रवृत्त रहेंगें।

soniya tanwar

(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपस्थित होने में नाकाम हो जाए तो जमानत मुचलके जब्त कर लिए जाऐंगें तथा धारा 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।

धारा 438 – गिरफ्तारी की आंशका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसकों किसी अजमानतीय अपराध के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय उचित समझे तो उसे गिरफ्तार की स्थिति में जमानत पर छोडा जा सकता है। जमानत निम्न परिस्थितियों में ली जा सकती है –

- *अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता*
- *किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्धि*
- *न्याय से भागने की आशंका*
- *क्षति पहुंचाने के आ ाय से लगाया गया अभियोग*

न्यायालय द्वारा या जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाएगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने का अन्तरिम आदेश पारित करेगा। आवेदन अस्वीकार होने पर पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

(1क) जहां जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है वहां न्यायालय सात दिन के अन्दर पारित किए गए आदेश के साथ सूचना लोक अभियोजक एवं पुलिस अधीक्षक को देगा।

(1ख) न्याय हित मे लोक अभियोजक जमानत आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक की उपस्थिति न्यायालय द्वारा अन्तिम सुनवाई तथा अन्तिम आदेश पारित करते समय, बाध्यकारी होगी।

नोट :– यह प्रावधान वर्ष 2005 के संशोधनों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है किन्तु अभी लागू नहीं हुए है।

(2) अग्रिम जमानत मंजूर करते समय न्यायालय अन्य बातों के साथ–साथ शर्तो भी सम्मिलित कर सकता है–

(क) जब कभी आवश्यकता होगी वह व्यक्ति पुलिस द्वारा परिप्रश्न के लिये हाजिर होगा।

(ख) वह व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके विरूद्ध अभियान के तथ्यों से परिचित है उन्हें डरायेगा धमकायेगा नहीं।

(ग) वह न्यायालय की अनुमति के बिना भरत नहीं छोडेगा।

(घ) ऐसी अन्य शर्तों जो धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी के बिना वारंट गिरफ्तरी किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिये तैयार है तो उसे जमानत पर छोड

sonia tanwar

दिया जायेगा तथा ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम बार में ही वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारंट जारी कर सकेगा।

(4) इस धारा की कोई बार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376कख, या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के के किसी मामले में लागू नहीं होगी।

धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की वि ो ा शक्तियां –

(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि –

(क) किसी व्यक्ति को जो अभिरक्षा में है उसे जमानत पर छोड दिया जाए और यदि मामला धारा 437 की उपधारा 3 की प्रकृति का है तो वह कोई शर्त अधिरोपित करते हुए उस व्यक्ति को जमानत पर छोड सकता है।

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोडने के समय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर सकता है।

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय आजीवन कारावास से दण्डनीय या सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में किसी व्यक्ति को जमानत देने से पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को देगा।

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा3 या धारा 376कख, या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध का विचारणीय अभियुक्त है, जमानत लेने से पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि में लोक अभियोजक को देगा।

(1क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376कख, या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जमानत पर छोडा जा चुका है, उसे गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है व उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है।

Sonia Tanwar

भाग (स)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

somtanwar

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

धारा 3 – निर्वचन खण्ड – इस अधिनियम मे निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों मे प्रयोग किया गया है, जब तक कि सन्दर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न होः

न्यायालय– न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिये वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते है।

तथ्य– तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती है

1. ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रयों द्वारा बोधगम्य हो
2. कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

सुसंगत– एक तथ्य दूसरे तथ्य से तब सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों मे से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।

विवाद्यक तथ्य– विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या र्नियोग्यता जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रात्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनअस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पति अवश्यमेव होती है।

स्पष्टीकरण– जब कभी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी सक्षम प्रवृत विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर मे जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवाद्यद तथ्य है।

दस्तावेज– दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमे से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

साक्ष्य– साक्ष्य शब्द से अभिप्राय है कि–

1. वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते है।

2. न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये गये सब दास्तावेजें जिसमे इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड भी शामिल है ऐसी दस्तावेजें साक्ष्य कहलाती है।

3.**सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापना के लिए आवश्यक तथ्य –** वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापना के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा

Sonia Tanwar

इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की, जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का सम्बन्ध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था वहां तक सूसंगत है जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

साबित– कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

नासाबित– कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नही या उसके अनअस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नही है।

साबित नही हुआ– कोई तथ्य साबित नही हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

धारा 17– स्वीकृति– स्वीकृति वह (मौखिक अथवा दस्तावेज) या इलेक्ट्रोनिक प्रारूप मे कथन है जो किसी विवाद्यित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे मे कोई अनुमान इंगित करता है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन पश्चात वर्णित है।

धारा 24 – उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत है।

अभियुक्त द्वारा दाण्डिक कार्यवाही में की गयी संस्वीकृति विसंगत होती है यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के बारे में प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा करायी गई हो।

धारा 25 – पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है

किसी भी पुलिस अधिकारी से की गयी कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी।

धारा 26 – पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति

पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गयी हो।

धारा 27 – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी

soniya tanwar

किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है ,प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप कोई तथ्य बरामद होता है तो ऐसी सूचना का उतना भाग जो पता चले तथ्य से सम्बन्धित है उसके विरूद्ध साबित किया जा सकेगा।

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा दी जाने वाली इत्तिला को दो स्वतन्त्र साक्षियों के समक्ष लेखबद्ध किए जाने के संबंध में दिनांक 01 मार्च 2017 को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की तीन न्यायाधीशों की बैंच ने राजस्थान राज्य बनाम मंगल सिंह एवं अन्य डीबी क्रिमीनल लीव टू अपील नं 94/2017 में निर्णय देते हुए कहा है कि अभियुक्त द्वारा दी जाने वाली इत्तिला को लेखबद्ध किए जाने के समय दो स्वतन्त्र साक्षियों की आवश्यकता नहीं है। बैंच ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सीनीयर इन्टेलीजेंस ऑफिसर बनाम जुगल किशोर सामरा क्रिमीनल अपील नं 1266/2011 को उल्लेखित करते हुए कहा है कि अभियुक्त द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई इत्तिला के समय दो गवाहों की उपस्थिति अन्वेषण की विश्वनीयता को भंग करती है अतः उक्त इत्तिला को लेखबद्ध करते समय गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस संबंध में पूर्व में रामेश्वर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डीबी क्रिमीनल अपील नं 158/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के परिपेक्ष्य में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा दी जाने वाली इत्तिला को दो स्वतन्त्र साक्षियों के समक्ष लेखबद्ध किए जाने को अनिवार्य बताया था।

धारा 32– वे दशाएं जिनमे उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नही सकता इत्यादि– सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये थे जो मर गया है या मिल नही सकता है या जो साक्ष्य देने के लिये असमर्थ हो गया या जिसकी हाजरी इतनी विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नही की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों मे न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है। निम्नलिखित दशाओं में स्वयंमेव सुसंगत है

1. **जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है–** जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे मे या उस संव्यवहार कि किसी परिस्थिति के बारे मे किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई तब उन मामलों में जिनमे उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

ऐसे कथन सुसंगत है चाहे उस व्यक्ति को जिसने उसे किया है उस समय जब वे किये गये थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

2. **कारोबार के अनुक्रम में किया गया है–** जबकि कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम मे किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्त्तव्य के निर्वहन मे रखी जाने वाली पुस्तकों मे उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किये गये ज्ञापन के रूप मे अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है अथवा वाणिज्य के उपयोग मे आने वाली उसके लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप मे है

soniya tanwar

अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप मे जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी।

3. **करने वाले के विरूद्ध है–** जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन सम्बन्धी या साम्पत्तिक हित के विरूद्ध है या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दाण्डिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था।

4. **लोक अधिकार–** लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे मे या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है जबकि उस कथन मे उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ी अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे मे है जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व मे होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भव होता और जबकि ऐसे कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ी या बात के बारे मे किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था।

5. **नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है–** जबकि वह कथन किन्ही ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध मे जिन व्यक्तियों के रक्त विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित है नातेदारी के बारे मे उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के वि ो ा साधन थे और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व किया गया था।

6. **कौटुम्बिक बातों से सम्बन्धित विलेख मे किया गया है–** जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध मे है और उस कुटम्ब की बातों से जिसका मृत व्यक्ति अंग था, सम्बन्धित किसी विल या विलेख मे या किसी कुटुम्ब वंशावली मे या किसी समाधि प्रस्तर कुटुम्ब चित्र या अन्य चीजों पर जिन पर ऐसे कथन प्रायः किये जाते है किया गया है और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व किया गया था।

7. **धारा 13 खण्ड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज मे किया गया है–** जबकि वह कथन किसी ऐसे अभिलेख विल या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से सम्बन्धित है।

8. **कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है।**

धारा 45 – विशेषज्ञों की राय – जबकि न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान या कला की किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारें में राय बनानी हो तो उस बात पर ऐसी विदेशी विधि या विज्ञान या

Sonia Tanwar

कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते है।

धारा 45 क :– इलेक्ट्रिानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय – जहां किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी ऐसी संसूचना से संबंधित जो किसी कम्प्यूटर स्त्रोत या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक या अंकीय रुप में संप्रेषित या संग्रहीत हो किसी विषय से संबंधित राय बनानी हो वहां सूचना प्रौधोगिकी अधिनयम 2000 की धारा 79 क में निर्दिष्ट इलैक्ट्रिक परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है।

धारा 61 – दस्तावेजों की अर्न्तवस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती हैं

धारा 62 – प्राथमिक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्राय न्यायालय में पेश की गये मूल दस्तावेज से है।

धारा 63 – द्वितीयक साक्ष्य

इसके अन्तर्गत निम्न साक्ष्य आते है –

1. प्रमाणित प्रतियां

2 मूल से ऐसी यांत्रिक क्रियाओं द्वारा जो शुद्धता सुनिश्चित करती है बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की गयी प्रतिलिपियां ।

3. मूल से बनायी गयी या तुलना की गई प्रतियां

4. उन पक्षकारों के विरूद्ध जिन्होने उन्हे निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजो के प्रतिलेख

5. किसी दस्तावेज की अर्न्तवस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तान्त।

धारा 65 ए :– इलेक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबन्ध – इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अर्न्तवस्तुऐं धारा 65 ख के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सकेगी।

1. **धारा 65 ख :– इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता** :– किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किसी सूचना को जो कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित व किसी कागज पर मुद्रित या चुंबकीय मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो, को तब तक एक दस्तावेज समझा जाएगा यदि प्रश्नगत सूचना व कम्प्यूटर के संबंध में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है, तब वह मूल की किसी अर्न्तवस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रुप में अतिरिक्त सबूत या मूल पेश किए बिना ही किन्ही कार्यवाहियों में ग्राह्यय होगा।

2. इस धारा के अर्न्तगत शर्तें इस प्रकार होंगीं –

- सूचना से युक्त कम्प्यूटर निगम जिन्हे कम्प्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा जिसका कम्प्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियन्त्रण था।

soniya tanwar

- उक्त अवधि में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अर्न्तविष्ट किस्म की सूचना उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में नियमित रुप से भरी गई थी।
- उक्त अवधि में कम्प्यूटर समुचित रुप से कार्य कर रहा था और यदि नही तो उस अवधि के उस भाग की ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अर्न्तवस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो।
- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अर्न्तविष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरा गया था।

3. जहां किसी अवधि में किन्ही क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कम्प्यूटरों द्वारा नियमित रुप से निष्पादित किया गया था चाहे यह –
   - उस अवधि में कम्प्यूटरों के प्रचालन के संयोजनों द्वारा या
   - उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा या
   - उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित विभिन्न कम्प्यूटरों के विभिन्न संयोजनों से या
   - अन्य किसी रीति से विभिन्न कम्प्यूटरों के संयोजन द्वारा

   उस अवधि में उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कम्प्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कम्प्यूटर माने जाएंगें।
4. किन्ही कार्यवाहियों में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों को पूरा करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा –
   - विवरण से युक्ति इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना व उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था।
   - उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियां देना जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कम्प्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था।
   - ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या क्रियाकलाप के प्रबंध के संबंध में उत्तरदायी पदीय हैसियत में हो।

sonia tanwar

- ऐसा प्रमाण पत्र किसी विषय का साक्ष्य होगा व ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के आधार पर कहा गया है।

5. इस धारा के प्रयोजनो के लिए –

   - सूचना किसी कम्प्यूटर का प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि वह किसी समुचित रुप में प्रदान की गई है।
   - किसी पदाधिकारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी।
   - कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो या किसी माध्यम से हो।

soniya tanwar

भाग (द)

स्थानीय एवम विशेष अधिनियम

soniya tanwar

अध्याय–1

मोटरयान अधिनियम 1988

(MOTOR VEHICLE ACT, 1988)

मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं (MV Act 2020) – नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत अपराध (Offences Motor Vehicle Act 2019) ड्राइविंग त्रुटियों के लिए दंड में काफी वृद्धि हुई है, खासकर यदि कोई नशे में ड्राइविंग जैसे अन्य गंभीर अपराधों पर दण्ड (Fine) निम्न प्रकार से है।

s.no	धारा	अपराध	पूराना जुर्माना	नया जुर्माना
1.	177	सामान्य अपराध	Rs- 100	Rs- 500
2.	177 A	रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन	Rs- 100	Rs- 500
3.	178	बिना टिकट के यात्रा	Rs- 200	Rs- 500
4.	179	अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना	Rs- 500	Rs- 2,000
5.	180	अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना	Rs- 1,000	Rs- 5,000
6.	181	बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना	Rs- 500	Rs- 5,000
7.	182	अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग	Rs- 500	Rs- 10,000
8.	182 B	ओवर साइज वाहन		Rs- 5000
9.	183	ओवर स्पीडिंग	Rs- 400	Rs- 1,000 for LMV Rs- 2,000 for Medium passenger vehicle
10.	184	खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	Rs- 1,000	Up to Rs- 5,000
11.	185	शराब पीकर गाड़ी चलाना	Rs- 2,000	Rs- 10,000
12.	189	रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना	Rs- 500	Rs- 5,000
13.	192A	बिना परमिट के वाहन चलाना	Up to Rs-5,000	Up to Rs- 10,000
14.	193	लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन		Rs25,000 से एक लाख तक जुर्माना
15.	194	ओवर लोडिंग	Rs- 2,000 and Rs- 1,000 per tonne additional	Rs- 20,000 and Rs- 2,000 per tonne additional
16.	194 A	यात्रियों की ओवरलोडिंग		Rs- 1,000 per passenger
17.	194 B	सीट बेल्ट	Rs- 100	Rs- 1,000
18.	194 C	दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग	Rs- 100	Rs-2,000 Disqualification for3 months the licence
19.	194 D	हेलमेट न पहनने पर	Rs- 100	Rs- 1,000 Disqualification for 3 months of the licence
20.	194 E	एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर		New Rs- 10,000
21.	196	बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर	Rs- 1,000	Rs- 2,000
22.	199	जुवेनाइल द्वारा अपराध		Guardian/Owner shall be deemed to be guilty- Rs- 25,000 with 3 yrs imprisonment
23.	206	दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति		Suspension of driving licenses u/s 183, 184, 185, 189, 190,194C, 194D,194E
24.	210 B	अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध धारा 210 B		Twice the penalty under the relevant section

Sonia tanwar

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की पृष्ठभूमि

31 जुलाई, 2019 को 'मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्यसभा में पारित हुआ।

यह विधेयक सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है।

विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा 'गोल्डन आवर' के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करने का प्रस्ताव है।

'गोल्डन आवर' घातक चोट के बाद की एक घंटे की समयावधि होती है जब तुरंत मेडिकल देखभाल से पीड़ित को मौत से बचाया जा सकता है।

केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए एक योजना भी बना सकती है।

विधेयक 'हिट एंड रन' मामलों में न्यूनतम मुआवजे को इस प्रकार बढ़ाता है :

(प) मृत्यु की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, और

(पप) गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये।

विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए मोटर यान दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई है।

यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

इसे निम्नलिखित स्थितियों के लिए उपयोग किया जायेगा :–

(प) गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का उपचार,

(पप) हिट एंड रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को मुआवजा देना।

विधेयक के अुनसार, 'गुड समैरिटन' (नेक व्यक्ति) वह व्यक्ति है, जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपात कालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है।

यह विधेयक केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रीकॉल (वापस लेने) करने का आदेश देने की अनुमति देता है। जिसमें कोई ऐसी खराबी है जो कि पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है।

ऐसी स्थिति में विनिर्माता को–

(प) खरीददार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी, या

(पप) खराब वाहन को दूसरे वाहन से जो कि समान या बेहतर विशेषताओं वाला हो, बदलना होगा।

विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राष्ट्रीय परिवहन नीति बना सकती है।

विधेयक में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा।

यह बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा।

विधेयक में फर्जी वाहन लाइसेंस से बचने के लिए ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के साथ आवश्यक ऑनलाइन पहचान चालक परीक्षण का प्रावधान किया गया है।

बीमा राहत राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया।

विधेयक में दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

विधेयक में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है, जो इस प्रकार हैं–

(प) शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने के लिए अधिकतम दंड 2 हजार रुपये से बढ़कर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

(पप) यदि मोटर वाहन विनिर्माता मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं।

(पपप) अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

(पअ) तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

(अ) ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन पर बात करने पर जुर्माना 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये किया गया।

(अप) मोटर यान बिना लाइसेंस के चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

(अपप) सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

(अपपप)गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

(प•) खतरनाक ड्राइविंग हेतु जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया।

सड़क सुरक्षा नियम 2021

नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम 2019 को 1 सितंबर 2019 से भारत में लागू किया गया था। संशोधित अधिनियम के अनुसार, ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग जैसे गंभीर अपराधों के खतरे को रोकने के लिए कई अपराधों के लिए जुर्माना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लाइसेंस, नशे में ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग।

मोटर वाहन बिल में संशोधन आवश्यकता :- मोटर वाहन बिल में संशोधन करना महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका उद्देश्य 30 साल पुराने कानून को बदलना और मोटर चालकों को अधिक जिम्मेदार बनाना था। यह ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्राप्त करने के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाता है, जो बदले में, इन सेवाओं के नवीकरण जैसे ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवश्यक है।

196 मोटर वाहन अधिनियम क्या है?

Sonia Tanwar

196 एमवी एक्ट बिना लाइसेंस के वाहन चलाने से संबंधित है। यदि किसी को धारा 146 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसे तीन महीने तक के कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय होगा।

177 मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?

नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, सामान्य अपराधों के लिए दंड को पहले अपराध के लिए 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और पहले के अपराध के लिए 300 रुपये से 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, चार वर्ष से अधिक आयु के, ड्राइविंग या राइडिंग या किसी भी वर्ग या विवरण की मोटरसाइकिल पर ले जाया जाएगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर, आईएसआई के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगेयर पहनें।

Motor Vehicle Act की धारा 187 क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 187 के अनुसार, जो कोई भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और / या छह महीने की कैद हो सकती है। बार–बार अपराध करने वालों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना

से दण्डनीय है।

2 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963

परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

धारा 2

(1) 'लाउड–स्पीकर' या 'साउंड एम्पलीफायर' का अर्थ एक ऐसा उपकरण है, जिससे सॉफ्ट साउंड, चाहे वो वोकल, इंस्ट्रुमेंटल या रिकॉर्डेड हों, को बढ़ाया जाता है,

(2) 'सार्वजनिक स्थान' का अर्थ है एक ऐसा स्थान (जिसमें सड़क, गली या रास्ता, चाहे वह मार्ग हो या न हो, और उतरने का स्थान) जहाँ जनता की पहुँच हो या सहारा लेने का अधिकार हो या जिस पर जनता का अधिकार हो पारित करने के लिए।

3. रात के शोर की घोषणा और निषेध। – (1) किसी भी क्षेत्र में जहां यह धारा धारा 1 की उप–धारा (4) के तहत लागू की जा सकती है, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य अधिकारी, नोटिस द्वारा इस तरह से दिया जा सकता है निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे अन्य तरीके से जो वह ठीक समझे, रात के ऐसे घंटों के दौरान उत्पन्न किसी भी शोर की घोषणा करें जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वो मुखर रूप से या लाउड–स्पीकर या ध्वनि एम्पलीफायर द्वारा या

sonia tanwar

अन्यथा, जो उनकी राय में , रात का शोर होने के कारण जनता को झुंझलाहट या गंभीर असुविधा होने की संभावना है।

(2) रात्रिकालीन शोर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस तरह से निर्धारित तरीके से और ऐसी अन्य तरीके से जो वह ठीक समझे, नोटिस द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा।

धारा 4. लाउडस्पीकर के प्रयोग और वादन पर प्रतिबंध। – कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषण, उपदेश, संगीत या रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण के लिए लाउड–स्पीकर या ध्वनि प्रवर्धक का उपयोग नहीं करेगा और न ही उसे किसी वायरलेस रिसीविंग सेट या ग्रामोफोन से जोड़ेगा–

(1) ऐसी दूरी के भीतर जो निर्धारित की जा सकती है–

(2) अस्पताल से या किसी भवन से जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज है, या

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित, अनुरक्षित, मान्यता प्राप्त या नियंत्रित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से या किसी कानून के तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय प्राधिकरण से, ऐसी संस्था के कामकाज के घंटों के दौरान, या

(I) राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी छात्रावास से जब ऐसा छात्रावास छात्रों के उपयोग में हो, या

(II) किसी ऐसे भवन से जिसमें कोई न्यायालय या सरकारी कार्यालय ऐसे न्यायालय या कार्यालय के कामकाज के घंटों के दौरान आयोजित किया जाता है, या

(बी) .11 बजे के घंटों के बीच। और सुबह 5 बजे, निर्धारित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिनाः बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी सार्वजनिक स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर ध्वनि एम्पलीफायर के उपयोग पर लागू नहीं होगा, जो कि किसी भी कानून के तहत विधिवत लाइसेंस प्राप्त वायरलेस उपकरण का एक घटक हिस्सा है।

धारा 5. किसी भी समय और किसी भी स्थान पर शोर को रोकने की शक्ति – जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस बात से संतुष्ट होने पर कि उनकी राय में ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, द्वारा इसके लिए लिखित कारण में एक आदेश, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय, किसी भी प्रकार के शोर को प्रतिबंधित करता है, जिसमें उसका प्रवर्धन भी शामिल है।

sonia tanwar

धारा 6 दंड – जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के तहत कानूनी रूप से बनाए गए किसी अन्य के विपरीत कार्य करेगा, पहली बार दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है और दूसरी बार या बाद में दोष सिद्ध होने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसे एक माह तक बढ़ाया जा सकता है या दो सौ पचास रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 8. गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति – एक पुलिस अधिकारी के लिए जो उप–निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत कानूनी रूप से बनाए गए किसी आदेश के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति से ऐसा करने से परहेज करेय और, इनकार या अवज्ञा के मामले में, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जैसे कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है।

3 राजस्थान धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वाले स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम 1999

राजस्थान राज्य के राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य या उपयोग के स्थानों में और सार्वजनिक सेवा वाहनों में धूम्रपान के निषेध के लिए और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम भारत गणराज्य के इवनवनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। –

(1) इस अधिनियम को राजस्थान धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वाले स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार पूरे राजस्थान राज्य में है।

(3) यह उस तारीख को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेः

soniya tanwar

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ के लिए ऐसे किसी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

2. परिभाषाएँ। –इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(ए) ''विज्ञापन'' का अर्थ है और इसमें कोई नोटिस, सर्कुलर, वॉल पेपर, होर्डिंग्स पर पैम्फलेट डिस्प्ले, या किसी भी प्रकाश, ध्वनि, धुएं, गैस या किसी अन्य माध्यम से किए गए किसी भी दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल हैं जो धूम्रपान को बढ़ावा देने का प्रभाव रखते हैं अभिव्यक्ति 'विज्ञापन' का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगाः

(बी) ''अधिकृत अधिकारी'' का अर्थ धारा 4 के तहत अधिकृत व्यक्ति हैः

(सी) ''सार्वजनिक कार्य या उपयोग की जगह'' का अर्थ धारा 3 के तहत घोषित स्थान है और इसमें ऑडिटोरिया, अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थान, मनोरंजन केंद्र, रेस्तरां, सार्वजनिक कार्यालय, अदालत भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय और इसी तरह के अन्य शामिल हैं। आम जनता द्वारा दौरा किया जाता है लेकिन इसमें कोई खुली जगह शामिल नहीं है।

(डी) ''सार्वजनिक सेवा वाहन'' का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 2 के खंड (35) के तहत परिभाषित वाहन है।

(ई) ''नियम'' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाया गया नियम। और

(च) ''धूम्रपान'' का अर्थ है किसी भी रूप में तंबाकू का धूम्रपान, चाहे सिगरेट, सिगार, बीड़ी के रूप में या अन्यथा पाइप, रैपर या किसी अन्य उपकरण की सहायता से।

धारा 7. सिगरेट आदि के विज्ञापन का प्रतिषेध – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान और किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन में विज्ञापन नहीं करेगा जो धूम्रपान, या सिगरेट और बीड़ी आदि की बिक्री को बढ़ावा दे सकता है।

धारा 9 शिक्षण संस्थानों के आसपास सिगरेट आदि का प्रतिषेध या भंडारण, बिक्री और वितरण। – कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के आसपास एक सौ मीटर के क्षेत्र के भीतर सिगरेट या बीड़ी या किसी अन्य धूम्रपान पदार्थ का भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा

sonia tanwar

11. दंड –

कोई भी व्यक्ति, जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता हैः–

(1) धारा 5, 6 या 10 जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद के अपराध के मामले में, न्यूनतम दो सौ रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता हैः

(2) धारा 7, 8 या 9 के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद के अपराध के मामले में तीन महीने तक के कारावास या न्यूनतम पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। लेकिन जो एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है।

4 आयुध अधिनियम 1959

(ARMS ACT 1959)

परिभाषा और निर्वसन

धारा 2 (ग) – आयुध –आक्रमण प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं और अगन्यायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और उनके भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अन्तर्गत आते है, किन्तु घरेलू व कृषि उपकरण जैसे लाठी छडी तथा वे शस्त्र जो खिलौनों के रूप में उपयोग में लाये जाते हों इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

धारा 3 – बिना लाइसेन्स के आग्नेय शस्त्र व गोला बारूद न तो प्राप्त करेगा न अपने कब्जे में रखेंगा और न लेकर चलेगा। किन्तु मरम्मत या नवीनकरण हेतु ले जाते समय लाइसेन्सधारी की उपस्थिति में या उसके द्वारा लिख कर देने पर कोई व्यक्ति ले जा सकता है कोई व्यक्ति किसी भी समय 3 हथियार से अधिक न तो प्राप्त करेगा न कब्जे में रखेंगा ओर न हीं लेकर चलेगा। इस धारा का उल्लंघन करने पर धारा के तरह सजा जो 1 वर्ष से कम न होगी जो 3 वर्ष तक बढाई जा सकती है ।

(1ख) जो कोई धारा या 4 का उल्लंघन करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 3 वर्ष तक भी हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 4 कतिपय दशओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन ओर कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति –: यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या

sonia tanwar

समीचीन है, अग्न्यायुधों के भिन्न आयुधों में अधिसूचना द्वारा निदेश रखना या वहन भी विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश रखना या वहन भी विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में जब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।

धारा 5 आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति–:(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारूद का तब तकः–

(क) न तो उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

(ख) न विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

(2) उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का, जिन्हें वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखता है , ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे आयुधों या गोलाबारूद को , इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर, अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार है, या अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्व नही है, इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण, किए बिना, विक्रय या अंतरण कर सकेगाः

परन्तु किसी ऐसे अग्न्यायुध या गोलाबारूद का, जिसके बारे में धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित हे और किन्ही ऐसे आयुधों का, जिनके बारे में धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विक्रय या अन्तरण तब तक नहीं किया जएगा, जब तक–

(क) उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने के अपने आ ाय की और उस व्यक्ति के, जिसे ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने का वह आ ाय रखता है, नाम और पते की लिखित इत्तिला न दे दी हो, और

(ख) ऐसी इत्तिला दी जाने के पश्चात् कम से कम पैंतालीस दिन की अवधि का अवसान न हो गया हो ।

धारा 6. गनों के नाल के छोटा किये जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति–: कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुधों की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित

soniya tanwar

तब के सिवाय न करेगा जब कि वह इस अधिनियम यह तद्धीन बनाए गए नियमो के, उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो।

धारा 7. प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखते या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध–: कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिषिद्ध आयुध यह प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को तब तक न तोः–

(क) अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, और

(ख) प्रयोग, विनिर्मित, विक्रीत, अन्तरित, संपरिवर्तित करेगा न उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, और

(ग) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख, या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जें में रखेगा,

तब तक कि सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतःप्राधिकृत न किया गया हो।

धारा 8. जिन अग्न्यायुधों पर पहचान चिह्न न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध–: (1) कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध पर या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न न तो मिटाएगा, न हटायेगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न मुद्रांकित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो।

(3) जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्न्यायुध हो जिसमें ऐसा नाम, सख्यांक या अन्य पहचान चिह्न न हो या जिस पर ऐसा नाम, संख्याक या अन्य पहचान चिह्न मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवाय, जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, यह उपधारित किया जाएगा, कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न उसने मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया हैः

परन्तु यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके कब्जे में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसा अग्न्यायुध है जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिह्न मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, इस उपधारा के उपबधं तब तक प्रभावी नहीं होगे जब तक कि ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता।

धारा 9. तरूण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध–: (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी–

(क) कोई भी व्यक्ति–:

(1) जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो, अथवा

sonia tanwar

(2) किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा यह नैतिक अवचार अन्तर्वलित हो किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, उस दण्डादेश के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी समय, अथवा

(3) जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बन्धपत्र की अवधि के दौरान किसी समय, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित नही करेगा, अपने कब्जे में नही रखेगा और न वहन करेगा,

(ख) कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का विक्रय यह अंतरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्न्यायुधा या गोलाबारूद का संपरिवर्तन, मरम्मत, उसकी परख या परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी बाबात वह जानता है या वह विश्वास का कारण रखता है कि वह–

(1) किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध है अथवा

(2) ऐसे विक्रय या अन्तरण या ऐसे संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिषिद्ध के समय विकृतचित्त का है ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 में किसी बात के होते हुए भी जिस व्यक्ति ने विहित आयु सीमा पूरी कर ली है वह विहित शर्तो के अधीन ऐसे अग्नयायुधों का प्रयोग कर सकेगा जो ऐसे अग्न्यायुधों का उपयोग करने मे उसके प्रशिक्षण की चर्या में विहित किए जाएं:

धारा 10. आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति–: (1) कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों या गोलाबारूद को समुद्र, भूमि, या वायु मार्ग द्वारा तब तक न तो भारत में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति तन्निमित्त नहीं रखता हो:

परन्तु–

(क) वह व्यक्ति जो कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखने के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है या इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए युक्तियुक्त मात्रा में ऐसे आयुध या गोलाबारूद इस निमित्त अनुज्ञप्ति के बिना भारत में ला सकेगा या वहां से बाहर ले जा सकेगा;

(ख) वह व्यक्ति जो वास्तविक पर्यटक है और किसी ऐसे देश का है जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और जो आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखने के लिए उस देश की विधियों द्वारा प्रतिषिद्व नहीं है वह केवल आखेट के प्रयोजनो क लिए न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपने उपयोग के

sonia tanwar

वास्ते युक्तियुक्त मात्रा में आयुध और गोलाबारूद इस अधारा के अधीन वाली अनुज्ञप्ति के बिना किन्तु ऐसी शर्तो के अनुसार, जैसे विहित की जाएँ, तथा अपने साथ अपने साथ भारत में ला सकेगा।

धारा 11. आयुधों आदि का आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति–: केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गो और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारूद को, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, भारत के अन्दर लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेद्ध कर सकेगी।

धारा 12. आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति–: (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्गो और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारूद का, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, भारत या उसके किसी भाग पर से परिवहन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त नहीं रखता हो, अथवा

(ख) ऐसे परिवहन का पूर्णतः प्रतिषेध कर सकेगी।

(2) जिन आयुधों या गोलाबारूद का भारत के समुद्रपत्तन या विमान पत्तन में यानान्तरण किया जाता है, उनका इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत परिवहन किया जाता है।

धारा 17. अनुज्ञप्तियों में फेरफार, उनका निलम्बन और प्रतिसंहरण–: (1) जिन शर्तो के अध्यधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है उनमें फेरफार अनुज्ञापन प्राधिकारी उनमें से ऐसी शर्तो को छोडकर कर सकेगा जो विहित की गई है और उस प्रयोजन के लिए लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञप्ति के धारक से इतने समय के अन्दर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञप्ति अपने को परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्ति के धारक के आवेदन पर भी, अनुज्ञप्ति की शर्तो में फेरफार अनुज्ञापन प्राधिकारी उसमें से ऐसी शर्तो को छोडकर कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा,–

(क) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति का धारक, किसी आयुध या गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या विकृतचित्त का है या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से अयोग्य है, अथवा

(ख) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलम्बित करना या प्रतिसंहृत करना लोक शान्ति की सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए आवश्यक समझे, अथवा

(ग) यदि अनुज्ञप्ति जानकारी दबाकर या उसके लिए आवेदन करने के समय अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर अभिप्राप्त की गई थी, अथवा

sonya tanwar

(घ) यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया गया है, अथवा

(ड.) यदि अनुज्ञप्ति का धारक, अनुज्ञप्ति के परिदान की अपेक्षा करने वाली उपधार 1`

के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति के परिदान का प्रतिसंहरण उसके धारक के आवेदन पर भी कर सकेगा।

(5) जहां कि अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति में फेरफार करने वाला आदेश या उपधारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने या प्रतिसंह्त करने वाला आदेश दे, वहां वह इसके लिए कारण लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और उनका संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर अनुज्ञप्ति के धारक को उस दशा के सिवाय देगा, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी की किसी मामले में यह राय हो कि ऐसा कथन देना लोक हित में नही होगा।

(6) वह प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ प्राधिकारी है, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंह्त की जा सकती है, उस इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंध ऐसे प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या प्रतिसंह्त की जा सकती है, ओर इस धारा के पूर्वगामी उपबंध ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहण के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगें।

(7) वह न्यायालय जो किसी अपराध का सिद्धदोष ठहरावे, उस अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंह्त भी नियमों के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहरावे, उस अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंह्त भी कर सकेगाः

परन्तु यदि दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त की दी जाए तो निलम्बन या प्रतिसंहरण शून्य हो जाएगा।

(8) उपधारा 7 के अधीन निलम्बन या प्रतिसंहरण का आदे ा , अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा भी, जब कि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

(9) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन सब या किन्हीं भी अनुज्ञप्तियों को भारत के लिए या उसके किसी भी के लिए निलम्बित या प्रतिसंह्त कर सकेगी या निलम्बित या प्रतिसंह्त करने के लिए किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी को निदेश दे सकेगी।

(10) इस उपधारा के अधीन अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण पर, उसका धारक उस अनुज्ञप्ति को , उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह निलम्बित या प्रतिसंह्त की गई है या किसी अन्य प्राधिकारी को जो निलम्बन या प्रतिसंहरण आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हो, अविलम्ब अभ्यर्पित करेगा।

धारा 19. अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति–:

soniya tanwar

(1) कोई पुलिस आ.फिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त अन्य आफिसर किसी व्यक्ति से जो कोई आयुध या गोला बारूद वहन कर रहा हो अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग कर सकेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए, अनुज्ञप्ति पेश करने से इन्कार करे, या पेश करने में असफल रहे या यह दर्शित करने से इन्कार करे या करने में असफल रहे कि ऐसे आयुध या गोलाबारूद को अनुज्ञप्ति के बिना वहन करने के लिए वह इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है, तो सम्पृक्त आफिसर उससे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसा आफिसर आवश्यक समक्षे तो उस व्यक्ति से वह आयुध या गोलाबारूद, जिसे वह वहन कर रहा हो, अभिगृहीत कर सकेगा।

(3) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इन्कार करे या यदि सम्पृक्त आफिसर को यह संदेह हो कि वह व्यक्ति मिथ्या नाम या पता दे रहा है या फरार होने का आ ाय है तो ऐसा आफिसर उसे वांरट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

धारा 25 – कुछ अपराधों के लिए दण्ड – जो कोई –

(क) धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत परख या परिसिद्धि करेगा, या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा या उक्त प्रयोजनों से अपने कब्जे में रखेगा अथवा

(ख) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्नयायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली में बदलेगा अथवा

(ग) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के आयुधों या गोलाबारूद को भारत में लायेगा या बाहर ले जायेगा।

वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 26. गुप्त उल्लंघन–:

(1) जो कोई धारा 3, 4 ,10 या 12 के उपबंध में से किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा, जिससे यह आ ाय उपदर्शित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

soniya tanwar

(2) जो कोई धारा 5 ,6 ,7 या 11 के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आ ाय उपदर्शित होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात न हो, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई धारा 22 की अधीन कोई तलाशी ली जाने पर किन्हीं आयुधों या गोालाबारूद को छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

धारा 27. आयुधों आदि के प्रयोग के लिए दण्ड–: (1) जो कोई धारा 5 के विरूद्ध कोई आयुध या गोलाबारूद प्रयोग करेगा कारावास के दण्ड का भागी होगा जो 3 वर्ष से कम अवधि का नहीं हो सकता परन्तु जो 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही अर्थदण्ड का भी उत्तरदायी हो सकता है।

(2) जो कोई धारा 7 के विरूद्ध कोई निषिद्ध आयुध या गोलाबारूद प्रयोग करता है कारावास के दण्ड का भागी बनाया जा सकता है जो सात वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा परन्तु आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है अर्थ दण्ड के लिए भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

(3) जो कोई धारा 7 के विरूद्ध कोई निषिद्ध आयुध या निषिद्ध गोलाबारूद प्रयोग करता है या कोई कार्यवाही करता है और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु दण्ड का भागी होगा।

धारा 28. कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दण्ड–: जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरूद्ध करने या रोकने के आ ाय से किसी अग्नियायुध या नकली अग्न्यायुध को किसी भी उपयोग में, चाहे वह कैसा ही क्यों न हो, लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 29. जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आुयध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दण्ड–:

जो कोई –

(क) किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्न्यायुध या कोई भी अन्य आयुध, जैसे विहित किए जाएं, या कोइ गोलाबारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है या

soniya tanwar

(ख) कोई आयुध या गोलाबारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है।

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से , दण्डनीय होगा।

धारा 30. अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड–: जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नही है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोना से दण्डनीय होगा।

धारा 39. कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक–: किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया।

5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908

(Explosive Substance act 1908)

धारा 2 – विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा – इस अधिनियम में विस्फोटक पदार्थ के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए सामग्री किसी विस्फोटक पदार्थ या उससे विस्फोट कारित करने में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता करने के लिए अनुकूलित कोई साधित्र मशीन या उपकरण या सामग्री भी तथा ऐसे किसी साधित्र मशीन या उपकरण का कोई भाग भी समझा जायेगा।

धारा 4 – विस्फोट कारित करने प्रयत्न के लिये या जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने के आ ाय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दण्ड –

कोई व्यक्ति जो विधि विरूद्ध या विद्वेषत –

क. भारत में इस प्रकार का विस्फोटक जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या सम्पत्ति को क्षति होने की सम्भावना है, द्वारा कोई विस्फोट का कार्य करेगा या करने का षड.यंत्र करेगा या,

soniya tanwar

ख. विस्फोटक पदार्थ इस आ ाय से बनायेगा या अपने पास रखेंगा कि उसके द्वारा वह भारत में जीवन को खतरे में डाले या सम्पत्ति की गम्भीर क्षति करे।

चाहे विस्फोट या क्षति होती है या नहीं, वह 20 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माना या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

6 भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

(Indian Explosive act.1884)

धारा 4.डी– परिभाषांए –: ''विस्फोट'' से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिकोल, गनकाटन, डाईनाइट्रोटोल्यून, ट्राई–नाइट्रो–टोल्यून, पिकरिक एसिड, डाइ–नाइट्रो–फिनॉल, पेन्टा एरिथ्रिटॉलट्रेटानाइट्रैट, टेट्रिल, नाइट्रो–ग्वानिडिन, ट्राइ–नाइट्रो रिसार्सिनाल(स्टारफिनिक एसिड), साइक्लो ट्राइ–मेथिलिन,ट्राइ–नाइट, लेज एजाइड, लेड स्टारफारेइनेट, पारे या अन्य धातु का फल्मिनेट, डाइएजो–डाइनाइट्रो–फिनाल, रगीन आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह रसायन सम्मिश्रण या पदार्थो का मिश्रण हो, चाहे वह ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो; और कुहरा–संकेत, आतिशबाजी, पलीते, राकेट, आघात टोपियॉ, विस्फोट प्रेरक, कारतूस, सभी प्रकार के गोलाबारूद और इस खण्ड में यथा परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अन्तर्गत है;

धारा 6.क युवा व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय या परिवहन पर प्रतिषेध–: इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी–

(क) कोई व्यक्ति–

(1) जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; या

(2) जो किसी अपराध के लिए, जिसमें हिंसा या नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, दोषसिद्धि पर कम से कम छह माह की अवधि के लिए दण्डदिष्ट किया गया है, दण्डादेश की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय या

(3) जिसे परिशान्ति कायम रखने और सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दिया गया है, बन्धपत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय, या

sonya tanwar

(4) जिसकी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अधीन रद्द किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय–

(1) किसी भी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात व निर्यात नहीं करेगा, या

(2) किसी ऐसे विस्फोटक को कब्जे में नही रखेगा जिसे केन्द्रीय सरकार उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे विक्रय, परिदान या प्रेषक के समय–

(1) खण्ड (क) के अधीन ऐसे विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात निर्यात या उसे कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध है,

(2) यह विकृतिचति है,

किसी विस्फोटक का विक्रय, परिदान या प्रेषण नहीं करेगा।

धारा 13. खतरनाक अपराध करने वाले व्यक्तियों को वांरट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति–: जो कोई ऐसा कार्य करता हुआ पाया जाएगा जिसके लिए वह इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय है और जिसकी प्रवृत्ति किसी ऐसे स्थान में या उसके पास जहां कोई विस्फोटक विनिर्मित किया जाता है या स्टोर किया जाता है अथवा किसी रेल या पत्तन या किसी गाड़ी में या उसके पास विस्फोट या अग्नि कारित करने की है; वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, उस स्थान के अधिभोगी के अथवा अधिभोगी अभिकर्ता या सेवक या अधिभोगी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा या उस रेल प्रशासन या (पत्तन के कंजर्वेटर या विमान पत्तन के भारसाधक अधिकारी) के किसी अभिकर्ता या सेवक या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना पकडा जा सकेगा और उस स्थान से जहां वह गिरफ्तार किया जाता है हटाया जा सकेगा ओर सुविधानुसार यथाशीघ्र किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकेगा।

7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधन अधिनियम 2015 सहित

- **परिभाषाऐं –**

soniya tanwar

- धारा 2. (इइ) आश्रित :– 'आश्रित' का अर्थ है, पीड़ित की पत्नी, बच्चें, माता–पिता, भाई और बहिन, जो मुख्य रूप से जीवनयापन के लिए पीड़ित पर आश्रित है।

(इब) आर्थिक बहिष्कार –का अर्थ है–

1. भाड़े के लिए कार्य अथवा अन्य व्यक्त के साथ व्यवसाय अथवा सौदे से मना करना

2. सेवाओं को प्राप्त करने के अवसरों से अथवा व्यवसाय के सामान्य क्रम के लिए संविदात्मक अवसरों से मना करना।

3. व्यवसाय के सामान्य क्रम में समान रूप से होने वाली चीजों के लिए निर्बंधनों पर करने से मना करना।

4. ऐसे व्यावसायिक अथवा कारोबारी रिष्तों से दूर रहना, जिससे वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ रख सके।

(मइ) सामाजिक बहिष्कार –का अर्थ है उस व्यक्ति से रष्मी सेवा लेने से मना करना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को ऐसी सेवा देने से मना करना अथवा उससे सामाजिक रिष्ते रखने से मना करना अथवा उसे अन्यों से दूर करना।

अध्याय 2. अत्याचार के अपराध

धारा 3. अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड–

1. कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है –

(a) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के मुॅह में अखाद्य पदार्थ अथवा घृणात्मक पदार्थ डालेगा अथवा उसे वह अखाद्य पदार्थ खाने या पीने के लिए बाध्य करेगा,

(b) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के अथवा उसकी ओर से अधिगृहीत परिसर अथवा उसके प्रवेश स्थल पर विष्टा, मल–जल, मुर्दा शरीर अथवा अन्य कोई घृणित पदार्थ डालेगा।

(c) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को चोट पहुॅचाने, अपमान करने अथवा परेषान करने की नियत से उसके पड़ोस में विष्ठा, कूड़ा, मुर्दा शरीर अथवा अन्य कोई घृणित पदार्थ डालेगा।

(d) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को जूतों की माला पहनाएगा, नंग या अर्द्धनग्न अवस्था में घूमाऐगा।

(e) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के शरीर से जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुंडाना, मूछें उखाड़ना, चेहरा या शरीर पोतना अथवा अन्य ऐसा ही कोई कृत्य करना जो मानवीय मर्यादा के लिए अपमानजनक हों।

(f) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के स्वामित्व अथवा उसके अधीन अथवा उसे आवंटित अथवा उसे आवंटन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी की ओर से अधिसूचित किसी जमीन पर गलत रूप से कब्जा करेगा अथवा खेती करेगा अथवा उस जमीन को हस्तान्तरित करेगा।

sonia tanwar

(g) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को उसकी जमीन अथवा परिसर से गलत तरीके से बेदखल करेगा अथवा उसके अधिकारों के उपभोग में दखल डालेगा, जिसमें वन अधिकार किसी जमीन या परिसर या जल या सिंचाई सुविधा या फसल नष्ट करना या उपज को ले जाना शामिल है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ गलत तरीके से में शामिल है –

(a) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध,

(b) व्यक्ति की सहमति के बिना,

(c) किसी व्यक्ति को चोट या मृत्यु के भय में डालकर प्राप्त की गई सहमति से अथवा

(d) उस जमीन के अभिलेखों की जालसाजी से।

(h) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति से बेगार करवायेगा अथवा सरकार की तरफ से लागू की गई सार्वजनिक अनिवार्य सेवाओं के अलावा बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी करवायेगा।

(i) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को मानव अथवा जानवर के मृत शरीर को हटाने या ले जाने के लिए मजबूर करेगा अथवा कब्र खुदवायेगा।

(j) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को मैला उठाने के कार्य में लगायेगा या ऐसे कार्य में लगाने के लिए अनुमति देगा।

(k) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की महिला को देव, मूर्ति, पूजा के स्थल, मंदिर अथवा अन्य धार्मिक संस्थान में ''देवदासी'' की तरह या ऐसे ही किसी समान कार्य के लिए नियोजित करेगा, अनुमति देगा या प्रोत्साहित करेगा।

(l) अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति पर–

(a) वोट नहीं डालने अथवा प्रत्याषी विशेष को वोट देने या उस तरीके से मत देने जो कानूनी प्रावधान से अलग है, अथवा

(b) प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल न करने अथवा नामांकन पत्र को वापिस लेने अथवा

(c) चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य का प्रस्ताव न करने के लिए, दबाव डालेगा या डरायेगा, धमकायेगा या रोकेगा।

(m) संविधान के भाग–9 के अधीन पंचायत या नगरपालिका के सदस्य अथवा अध्यक्ष या अन्य कोई पदधारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके सामान्य दायित्वों को निभाने से रोकेगा, डरायेगा, धमकायेगा अथवा बाधा डालेगा।

(n) मतदान के बाद अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को चोट कारित करेगा अथवा गम्भीर चोट पहुँचायेगा अथवा हमला करेगा, अथवा सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लागू करेगा या ऐसा करने की धमकी देगा या उसे प्रदत्त किसी सार्वजनिक सेवा का लाभ लेने से रोकेगा।

soniya tanwar

(o) किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रत्याषी विशेश को मत देने अथवा नहीं देने या कि उसने कानून से निर्धारित तरीके से मतदान किया, के कारण अपराध करेगा।

(p) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण, झूंठा अथवा निरर्थक वाद दाखिल करेगा अथवा आपराधिक या कानूनी कार्यवाही करेगा।

(q) किसी लोकसेवक को इस आशय से मिथ्या जानकारी देगा, जिससे वह लोकसेवक अपने कानूनी अधिकार का उपयोग अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या मुसीबत में डालने के लिए करेगा।

(r) सार्वजनिक दृष्टि वाले किसी स्थान पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य का सआशय अपमान करेगा या अपमानित करने के लिए धमकाऐगा।

(s) सार्वजनिक दृष्टि वाले किसी स्थान पर अनुसूचित जाति /जनजाति के किसी व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों से गाली देगा।

(t) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पवित्र या उच्च आस्था वाले किसी मूर्ति, फोटो या चित्र को नष्ट करेगा, नुकसान पहुँचायेगा या अपवित्र करेगा।

(u) अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को शब्दों से या तो लिखित अथवा कथन या इषारा अथवा दृष्यमान या अन्यथा से दुष्मनी बढ़ाना या दुश्मनी का भाव बढ़ाना, नफरत अथवा दुर्भावना को बढ़ाना।

(v) अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में आस्थावान किसी दिवंगत व्यक्ति का लिखित अथवा बोले गये शब्दों या अन्य तरीकों से अनादर करना।

(w) i. किसी महिला को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला है, उसकी इच्छा के विरूद्ध उसको जानबूझकर छूता है जब छूने का यह कृत्य यौन प्रकृति का है।

(w) ii. किसी महिला को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला है, यौन प्रकृति के शब्द कहना, ऐसा कृत्य करना अथवा हावभाव करना।

(x) अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के लोगों की ओर से आम तौर पर उपयोग किये जा रहे किसी झरने, जलाषय अथवा अन्य स्त्रोत को खराब अथवा दूषित करना, जिससे वह उस उपयोग का ना रहे जिस उपयोग में उसे लिया जाता रहा है।

(y) अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक आश्रय स्थल के मार्ग के किसी दस्तूरी अधिकार से मना करना अथवा उसे उस सार्वजनिक आश्रय स्थल के मार्ग के उपयोग से रोकना, जिसका उपयोग अन्य सदस्य अथवा उसका वर्ग पहुँचने के लिए करता है।

(z) अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के सदस्य को उसका घर, गॉव अथवा निवास के अन्य स्थान को छोड़ने का दबाव डालेगा अथवा छुड़वायेगा। सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में कोई कार्यवाही करने में इस खण्ड की कोई बात लागू नहीं होगी।

(z)a. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के व्यक्ति को निम्न के संबंध में किसी तरीके से रोकना अथवा बाधा डालना–

आम तौर पर प्रयुक्त उस क्षेत्र का सम्पत्ति स्त्रोत अथवा कब्रिस्तान अथवा शमशान अथवा इस तरह का कोई अन्य क्षेत्र अथवा प्रयुक्त कोई नदी, झरना, नहर, कुआ, तालाब, नल, कुण्ड अथवा अन्य पानी की जगह अथवा नहाने का घाट, कोई जन सुविधा, कोई सड़क अथवा मार्ग के उपयोग से,

soniya tanwar

(b) किसी सार्वजनिक स्थान पर साईकिल या

मोटरसाईकिल पर बैठना या उसे चलाना अथवा जूते पहनना या नये कपड़े पहनना या बारात निकालना या घोड़े पर बैठना अथवा बारात में किसी अन्य वाहन पर बैठना,

(c) ऐसे किसी पूजा के स्थान जहाँ अन्य लोग वैसे ही धार्मिक कार्य करते है, मेंप्रवेश से जो सभी के लिए खुला है अथवा किसी धार्मिक, सामाजिक, शोभायात्रा में शामिल होने से,

(d) शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान, अथवा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से अथवा किन्हीं बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग से जो सार्वजनिक उपयोगार्थ लोगों के लिए है,

(e) किसी व्यावसाय को करने अथवा कोई कारोबार, व्यापार अथवा वाणिज्य चलाने अथवा किसी रोजगार में नियोजन से जिसे करने या चलाने का अधिकार आम लोगों को या उसके किसी वर्ग को है।

(z)b अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के किसी सदस्य को जादूगर होने या जादू, टोना करने के रूप में शारीरिक क्षति अथवा मानसिक पीड़ा पहुँचायेगा।

(z)c अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति, अथवा परिवार अथवा समूह का सामाजिक अथवाआर्थिक बहिष्कार करना अथवा ऐसा करने की धमकी देना,यह दंडनीय होगा उस अवधि के कारावास से छह माह से कम का न होगा और जिसे पांच साल तक बढ़ाया जासकेगा और जुर्माना भी।

2. कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं है–

(1) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत विधि द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है, दोषसिद्धि कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना सम्भाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढे हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दण्ड से दण्डनीय होगा।

(2) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है, किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की सम्भाव्य है, वह कारावास से दण्डनीय है, दोषसिद्धि कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना सम्भाव्य है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा;

(3) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि कारित करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाना है या वह जानता है कि उससे ऐसा होना सम्भाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा;

(4) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि कारित करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह जानता है कि उससे ऐसा होना सम्भाव्य है,वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(5) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(5ए) अनुसूचित में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति के विरूद्ध हुआ है यह जानते हुए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति उससे संबंधित है, वह अपराध दंडनीय होगा, उस दंड का भागी होगा जो ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) में विर्निदिष्ट है और अर्थ दंड भी होगा।

(6) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दण्ड से बचाने क आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विष्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा, या

(7) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध कारित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

धारा 4(1) कर्त्तव्यों की अनदेखी के लिए दण्ड :– ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए जानते हुए उन कर्त्तव्यों की अनदेखी करता है जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किया जाना आवष्यक है। वह ऐसे दण्ड से दण्डित किया जाएगा जो कारावास छः माह से कम का नहीं होगा किन्तु एक साल तक किया जा सके।

धारा 4 (2) उपधारा 1 में संदर्भित लोक सेवक के कर्त्तव्यों में शामिल होंगे –

(क) फरियादी द्वारा दी गई मौखिक सूचना को लिखना और सूचना पर फरियादी के हस्ताक्षर करवाना।
(ख) इस अधिनियम के अनुसार उपर्युक्त धाराओं में प्रकरण पंजीकृत करना।
(ग) सूचनाकर्ता को सूचना की प्रतिलिपि तुरन्त देना।
(घ) पीड़ित अथवा गवाह के बयान दर्ज करना।
(ड़) अन्वेषण पूरा कर साठ दिनों के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करना और यदि कोई देरी हुई हो तो उसे लिखित में स्पष्ट करना।
(च) किसी दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रोनिक अभिलेख को सही ढ़ग से निर्धारित प्रारूप में तैयार करना और अनुमोदित करना।
(छ) इस अधिनियम या नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किन्ही अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

स्पष्टीकरण :–लोक सेवक के खिलाफ इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की अनुशंसा पर ही दर्ज किए जाएगे।

धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दण्ड :– कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है वह दूसरे अथवा पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है वह करावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा :– इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि–

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता की है (अपराध करने में) तो विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

Sonya Tanwar

(ख) यदि व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया है और यदि यह साबित हो जाता है कि, किया गया अपराध किसी भूमि या अन्य विषय के बारे में विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

(ग) अभियुक्त को पीडित अथवा उसके परिवार की निजी जानकारी हेतु तब न्यायालय यह उपधारणा करेगा की अभियुक्त व्यक्ति की जाति से परिचित था।

धारा 10 ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है –

(1) जहां विशेश न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट यह समाधान हो जाय संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अध्याय 2 से संबंधित कोई अपराध करेगा वहां वह ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेष में विनिर्दिष्ट किये जाए और तीन वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र मे वापस न लौटे।

धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहा से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया –

(1) यदि किसी व्यक्ति को धारा 10 के अनुसार क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है तब यदि वह किये गये आदेश के रूप में हटने में असफल रहता है या विशेष न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसे क्षेत्र से हट जाने का निर्देश दिया गया था अस्थायी अवधि के लिए, शर्तो के अधीन रहते हुए वापस लोटने के आदेश दे सकेगा और शर्तो की पालना के लिए प्रतिभू सहित या उसके बिना बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

धारा 13 धारा 10 के अधीन आदेश के उल्लंघन के लिए दण्ड :– वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किये गये विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 14 विशेष न्यायालय :– त्वरित विचारण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से एक अथवा अधिक जिलों के लिए अनन्य रूप से विशेष न्यायालय स्थापित करेगी उक्त विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन हुए अपराधों का प्रसंज्ञान सीधे ही लेने की शक्ति होगी।

- विचारण को यथा संभंव आरोप पत्र दाखिल किये जाने की तारीख से दो माह की अवधि के अन्दर पूरा किया जायेगा।

धारा 18 अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना :–

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 7 के अनुसार – (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप अधीक्षक की रेंक से कम का न हो।

(2) इस प्रकार नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण उच्च प्राथमिकता पर 30 दिन के भीतर पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

Soniya Tanwar

8 वन्य जीव (संरक्षण)अधिनियम, 1972

(Wild Life Protection act 1972)

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक प्रसंग अन्य प्रकार से नहीं करें –

(1) 'पशु में स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मछली, अन्य ह्दयधारी और अमेरूधारी सम्मिलित है और उनके बच्चे और अण्डे भी सम्मिलित हैं ।

(2) पशु–वस्तु से तात्पर्य एक वस्तु जो बन्दी पशु या वन्य पशु पीडक जन्तु को छोडकर, से बनी वस्तु से है ओर इसमें एक ऐसी वस्तु या पदार्थ भी सम्मिलित है जिसमें ऐसा पशु पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग हुआ हो और भारत में आयातित हाथी दांत से बनी वस्तुएं सम्मिलित हैं ।

(3) निरस्त

(4) 'मण्डल' से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा 1 के अन्तर्गत गठित राज्य वन्य जीव मण्डल से हैं

(5) बन्दी पशु से तात्पर्य अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे पशु से है जिसे या तो बन्दी बना लिया गया है या उसे बन्दी स्थिति में रखा और भरण पोषण किया जाता हैं ।

(6) निरस्त

(7) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से तात्पर्य ऐस व्यक्ति से है जिसे धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्नियम 1 के अन्तर्गत ऐसा नियुक्त किया गया है ।

(8) विलोपित

(9) कलक्टर से तात्पर्य एक जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी या धारा 18 ख के तरह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी जो उप–कलेक्टर से निम्न स्तर का नहीं हो, से है:

(10) इस नियम का प्रारम्भ के सम्बन्ध में :–

(ए) एक राज्य से तात्पर्य उस राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से है,

(बी) इस अधिनियम का कोई भाग से तात्पर्य उस प्रावधान से सम्बन्धित राज्य में प्रारम्भ किये जाने से है ।

soniya tanwar

(11) व्यापारी से तात्पर्य किसी बन्दी पशु, पशुयुक्त, विजय चिह्न, अभिसाधित विजय चिन्ह, मॉस या विनिर्दिष्ट पौधा के, सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे पशु या वस्तु को क्रय या विक्रय का व्यापार करता हो और उसमें व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी एक सौदे के व्यापार को करता हों ;

(12) निदेशक से तात्पर्य धारा 3 की उप–धारा 1 के अन्तर्निम (ए) के अधीन निदेशक वन्य जीव सरंक्षण के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ।

(13) निरस्त

(14) सरकारी सम्पत्ति से तात्पर्य धारा 39 में संदर्भित या धारा 17 एच में कहे अनुसार है।

(15) प्राकृतिक बास में ऐसी भूमि, जल या वनस्पति सम्मिलित है जो किसी पशु का प्राकृतिक घर हैं ।

(16)शिकार इसकी व्याकरणीय विभिन्नताओं एंव सहार्थी अभिव्यक्ति सहित सम्मिलित हैंः–

(ए) किसी वन्य जानवर या बन्दी जानवर मारना या विष देना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयास।

(बी) किसी वन्य जानवर या बन्दी जानवर को पकडना, दौडाना, फसाना, जाल डालकर पकडना, पीछा करना और ऐसा करने का प्रत्येक प्रयास

(सी) ऐसे पशु को चोट पहुंचाने या ऐसे पशु के किसी अगं भाग प्राप्त करने या पक्षियों एवं रैगने वालों के सम्बन्ध में वालों के अण्डों या घोंसलों को अस्त व्यस्त करना ।

(17) भूमि में नहरे, सकडी, खाडी एंव अन्य जल धाराएं, जलाशय, नदियां, सरिता एंव झीले चाहे कृतिम या प्राकृतिक हो, सम्मिलित होती हे और इसमें दलदल ओर गीली भूमि तथा शीला खण्ड एंव चट्टान भी सम्मिलित हैं ।

(18) पशुधन से तात्पर्य फार्म पशु से है और उसमें भैंसा, सांड, बैल, गाय, खच्चर , बकरी, भेड,सूअर, गधा, गीस , याक , मुर्गा और उनके बच्चे सम्मिलित है किन्तु परिशिष्ट 1 से 5 के पशु सम्मिलित नहीं हैं ;

(19) निर्माता से तात्पर्य एक व्यक्ति जो पशुओं एंव पोधों से जो कि अनुसूची 1 से 5 तक एंव 6 में निर्दिष्ट है जैसी भी स्थिति हो वस्तु निर्मित करता है ˙

(20) मांस में पिडित जन्तु को छोडकर किसी वन्य पशु का रक्त, हड्डियां, नसे, मांसपेशिया, अण्डे ,कछुये का उपरी खोल चर्बी एंव मांस चमडी रहित या चमडी सहित सम्मिलित है चाहे मांस कच्चा या पका हुआ हो;

(20ए) '' राष्ट्रीय मण्डल'' से तात्पर्य वन्य जीवों के लिए 5 ए के तहत गठित किया हैं ;

soniya tanwar

(21) 'राष्ट्रीय उप वन' से तात्पर्य एक राष्ट्रीय उप वन के रूप में चाहे धारा 18 या धारा 38 के अन्तर्गत घोषित किया या धारा 66 की उपधारा (3) के अन्तर्गत घोषित समझा हुआ से है,

(22) 'अधिसूचना' से तात्पर्य राजकीय– पत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना से है,

(23) 'अनुज्ञा पत्र ' से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित या इसके अधीन वन नियमों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा से है,

(24) 'व्यक्ति' से एक फर्म भी सम्मिलित होती है,

(24 ए) ''रक्षित क्षेत्र'' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 18, 35, 36ए एंव 36सी द्वारा नेशनल पार्क, शरण स्थल, संरक्षण आरक्षित या सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र से हैं।

(25) ' विहित' से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा विहित होने से हैं

(25ए) 'मान्यता प्राप्त जन्तुआलय' से धारा 38 (ज) के अन्तर्गत मान्य एक जन्तुआलय से हैं;

(26) 'शरण स्थल से तात्पर्य इस अधिनियम के अध्याय (4) के अन्तर्गत इस प्रकार घोषित समझे जाने वाले एक क्षेत्र से हैं ;

(27) 'विनिर्दिष्ट पौधा ' से तात्पर्य है कोई पौधा जो शिडूल 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है, से है;

(28) विलोपित

(29) ' राज्य सरकार' एक संघीय प्रदेश के सम्बन्ध में संविधानके अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस प्रदेश के प्रशासक से है,

(30) 'चर्म प्रसाधन' की व्याकरणीय विभिन्नताओं एंव उसकी सजातीय अभिव्यक्तियों के अनुसार इससे तात्पर्य माउन्ट ट्राफी अभिसाधन, निर्माण या परिरक्षण से है;

(30ए) 'क्षेत्रीय जल स्त्रोत' का वही अर्थ होगा जो टेरीटोरियल वाटर्स कोन्टीनेटल शैल्फ एक्सकलूजिव इकोनोमिक जोन और अन्य मेरी–टाइम जोन एक्ट, 1976 (1976 का 80) की धारा में दिया गया है,

(31) **'ट्राफी'** ट्राफी से तात्पर्य हानिकारक पशु के अतिरिक्त किसी भी बंदी या वन्य जीव का पूरा या कोई भाग जो किसी भी तरह प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से रखा गया हो या सुरक्षित किया गया हो इसमें शामिल हैं;

soniya tanwar

(32) **संशोधित ट्रोफी**' से तात्पर्य हानिकारक पशु के अतिरिक्त कोई भी बन्दी या वन्य पशु का पूर्ण या आंशिक भाग जिसमें पशु की खाल को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया नहीं की गई हो से है और इसमें (ताजा मारा गया वन्य पशु एम्बरगिरीस मश्क एंव अन्य पशुवस्तु शामिल हैं)

(33) '**वाहन**' से तात्पर्य भूमि, जल या हवा में यातायात के लिए उपयोग होने वाले यातायात साधन से है जिसमें भैंस, सांड, बैल, गधा, हाथी, घोडा और खच्चर शामिल हैं ।

(34) **'हानिकारक पशु'** का अर्थ कोई जंगली पशु जो अनुसूची 5 में निर्दिष्ट हो ।

(35) ' **शस्त्र'** के अन्तर्गत गोली बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेय अस्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल, फांदा, और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सडानें, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हो शामिल है।

(36) '**वन्य पशु** ' से तात्पर्य है कोई पशु अनुसूची 1 से 5 में विनिर्दिष्ट और प्रकृति में जीव जो प्राकृतिक निवास का अंग हो शामिल हैं;

(37) **'वन्य जीव'** के अन्तर्गत कोई पशु, भूमि, वनस्पति जीव जो प्राकृतिक निवास का अंग हो शामिल है)

(38)' **वन्य जीव सरंक्षक**' से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो।

(39) '**जन्तुआलय (200)** से तात्पर्य ऐसे संस्थापन चाहे स्थिर या चलित हो और जहॉ पर बन्दी पशु जनता के प्रदर्शन हेतु रखे जाते है, से है (और उसमें सक्रस और वेदना (बचाव) केन्द्र सम्मिलित है किन्तु ऐसा संस्थान सम्मिलित नहीं है) जो बन्दी पशुओं का कोई लाईसेंस धारित विक्रेता हो।)

धारा 51 शास्तियॉ (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम (सिवाय अध्याय 5 ए और धारा 38–जे या इनके अनतर्गत बने किसी नियम या आदेश जो इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किसी अनुज्ञापत्र या अनुमति–पत्र की शर्तो का उल्लंघन करता है वह इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध करने का दोषी होगा, तथा उसका सिद्ध दोष होने पर उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जो कि तीन वर्षो तक बढ.ाई जा सकेगी या उसे ऐसा अर्थदण्ड जो कि पच्चीस हजार रूपये तक बढाया जा सकता है या दोना से दण्डित किया जायेगाः

परन्तु यह है कि जहॉ पर किसी ऐसे पशु जिसका उल्लेख शिडूल 1 या शिडूल 2 के भाग 2 या ऐसे पशु के मांस या पशु वस्तु, ट्रॉफी या बिना कमाए ट्राफी जो कि ऐसे पशु से प्राप्त की गई है या कि ऐसा अपराध जो

soniya tanwar

शिकार से सम्बन्धित हो या एक शरण स्थल या एक राष्ट्रीय पार्क में शिकार से सम्बन्धित हो या एक शरण स्थल या एक राष्ट्रीय पार्क की सीमा में परिवर्तन करता है तो ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, परन्तु उसे 7 वर्षो तक बढाई जा सकेगी तथा ऐसे अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया जाएगा जो कि दस हजार रूपये से कम नहीं होगा।

परन्तु आगे यह है कि एक द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध जो ऐसे लक्षण का है जिसका उल्लेख इस उपधारा में किया गया है, के मामले में कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु 7 वर्ष तक बढाई जा सकेगी और ऐसे अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकेगा जो कि पच्चीस हजार रूपये तक से कम नहीं होगी।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरूद्ध एक अपराध से सिद्ध–दोष होता है, तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि कोई पकडा गया बन्दी पशु, वन्य पशु, पशु वस्तु, ट्रॉफी, खराब होने या बिगडने होने से नहीं बचाई गई ट्रॉफी, मांस, भारत में आयातित किया गया हाथी–दांत से निर्माण की गई वस्तु, कोई पौधा, या उसका भाग या उससे उत्पन्न की गई वस्तु, जिसका सम्बन्ध में वह अपराध किया गया हे एंव कोई फंदा या जाल, औजार, वाहन, जलयानय या हथियार जिससे कथित अपराध घटित करने में उपयोग किया गया है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जप्त कर लिया जावेगा, एंव यह कि अनुज्ञापत्र या अनुमति पत्र जिसे उस व्यक्ति ने अपने पास धारण कर रखा है, राज्य सरकार द्वारा व उसे जप्त कर लिया जा सकेगा और वह कि उस अनुज्ञापत्र या अनुमति पत्र जिसे ऐसा व्यक्ति ने अपने पास धारण किया है, उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र के ऐसे निरस्तीकरण या ऐसी जब्ती ऐसे अपराध के लिए दी गयी किसी भी राज्य के अतिरिक्त होगी।

(4) जहा कि कोई अधिनियम के विरूद्ध कोई व्यक्ति एक अपराध के सम्बन्ध सिद्ध दोष होता है, तो न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि अनुज्ञापत्र, यदि हो जो ऐसे व्यक्ति को शस्त्र अधिनियम 1959 (1959 का 54) के अन्तर्गत शस्त्र अपने पास रखने की अनुमति दी गई है जिसकी सहायता से ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध घटित किया है, वह अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाएगा और यह कि ऐसा व्यक्ति इस शस्त्र अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दोष सिद्धि की तारीख से पॉच वर्षो की अवधि के लिये पात्र नहीं रहेगा।

(5) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 360 या प्रोवेशन ऑफ ऑफेण्डर्स एक्ट, 1958 (1958 का 20) शरण स्थल या राष्ट्रीय उद्याान में शिकार के अपराध या अध्याय 5ए के किसी प्रावधान के विरूद्ध अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक 18 वर्ष की आयु से कम नहीं हैं ।

soniya tanwar

धारा 52. **प्रयत्न एंव अवप्रेरणा**–: जो भी कोई इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने कोई नियम या आज्ञा के प्रावधनों का उल्लघंन करने का प्रयत्न या अवप्रेरणा करता है, उसके द्वारा उक्त प्रावधान या नियम या आज्ञा, जो भी मामला हो, का उल्लंघन किया जाना माना जावेगा।

धारा 53. **सदोष जप्ती हेतु दण्डः–** यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों से अधिक शक्ति प्रयोग करते हुए, परेशान करने एंव अनावश्यक रूप से किया जा रहा है, जप्त करता है तो दोष–सिद्धि होने पर वह कारागार, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है या अर्थ दण्ड जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनो से दण्डनीय होगा ।

धारा 54. अपराध को प्रशम्य करने की शक्तिः– (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निदेशक वन्य जीव संरक्षक या अन्य अधिकारी जो सहायक निदेशक वन्य जीव संरक्षक से नीचे के पद का नहीं है तथा राज्य सरकार के मामले में इसी प्रकार से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा किसी अधिकारी को जो उप वन संरक्षक से नीचे के पद का नहीं है को किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का समुचित संदेह है उससे अपराध के कम्पोजीशन के रूप में राशि प्राप्त कर सकता है ।

(2) उस अधिकारी को उस व्यक्ति द्वारा जो संदेही है यदि राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उस अधिकारी द्वारा छोड. दिया जायेगा तथा उस व्यक्ति के विरूद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जावेगी।

(3) वह अधिकारी जिसने किसी अपराध को कंपाउंड किया है वह किसी भी अनुज्ञा अथवा परमिट को निरस्त कर सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत मिला हुआ हे अथवा यदि ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है तो उस अधिकारी से ऐस लाईसेंस अथवा परमिट को निरस्त करवाने हेतु से सम्पर्क कर सकता है जो इसके लिए अधिकृत है ं।

(4) इस उपधारा (1) के अन्तर्गत कम्पोजिशन से स्वीकार की गई या स्वीकृति के लिए सहमत हुई राशि किसी भी तरह से 25 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

परन्तु ऐसा कोई अपराध जिसकी सजा की अवधि 52 के अन्तर्गत निर्धारित है उसको कम्पाउंड नही किया जायेगा।

धारा 55. **अपराधों का संज्ञान**–: कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति की शिकायत पर, किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, निम्नलिखित को छोड.कर परिवाद नहीं लेगा–:

(ए) निदेशक, वन्य जीव संरक्षण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या

sonya tanwar

(एए) अध्याय 5 A के प्रावधानों का अतिक्रमण करने पर केन्द्रीय जन्तुआलय समिति का सदस्य सचिव उन शर्तो के अध्यधीन जो उस सरकार द्वारा निर्धारित की जाए; या)

(बी) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या राज्य सरकार द्वारा (उन शर्तो के आधारित जो इस सरकार द्वारा निर्धारित की जाए) इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या

(बीबी) उन शर्तों के अध्यधीन जो सरकार द्वारा अवधारित की जाएं प्रभारी अधिकारी जन्तुआलय धारा 38 जे के तोडने पर, अथवा

(सी) कोई व्यक्ति जिसने विहित प्रकार से तथाकथित अपराध हेतु या परिवाद करने के इरादे से 60 दिनों से कम अवधि का नोटिस केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कथित प्रकार से प्राधिकृत को दिया है ।

9 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950

धारा 5 :–

- ❖ राज्य सरकार द्वारा खुदरा विक्रय की सीमा घोषित करने की शक्ति
- ❖ देशी व अंग्रेजी शराब – 9 लीटर
- ❖ बीयर – 15 लीटर
- ❖ फर्मेंटेड शराब – 12 लीटर
- ❖ भांग – 100 ग्राम

धारा 14 :–

- ❖ आबकारी वस्तु के परिवहन के लिए पास

धारा 16 :–

- ❖ इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत के अलावा आबकारी योग्य वस्तुओं के विनिर्माण का प्रतिषेध
- ❖ कोई आबकारी योग्य वस्तु विनिर्मित नहीं की जा सकती ।
- ❖ हैम्प के पौधों (केनाबिस सटाईवा) की खेती नहीं की जा सकती है।
- ❖ हैम्प के पौधों का कोई भी भाग जिससे मादक औषधि –द्रव्य विनिर्मित किया जा सकता हो संगृहित नहीं किया जा सकता है।
- ❖ कोई भी शराब विक्रय के लिए बोतलों में नहीं भरी जा सकेगी ।
- ❖ किसी भी ताडी उत्पादक वृक्ष से रस नहीं चुआया जा सकेगा ।

sonia tanwar

- ❖ किसी भी वृक्ष से ताडी नहीं निकाली जावेगी और
- ❖ कोई भी व्यक्ति किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए कोई भी पदार्थ भभका बर्तन औजार उपकरण या कोई भी यंत्र न तो उपयोग में लाएगा और न ही अपने कब्जे में रखेगा।

धारा 19 :–

- ❖ राज्य सरकार द्वारा विहित मात्रा से अधिक आबकारी योग्य वस्तु को अनुज्ञा के बिना कब्जे में रखने का प्रतिषेध
- ❖ कोई भी व्यक्ति धारा 5 में वर्णित मात्रा से अधिक आबकारी योग्य वस्तु अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
- ❖ किन्तु यह नियम किसी भण्डारगृह पर लागू नहीं होंगें
- ❖ कोई भी अनुज्ञप्ति धारी निर्धारित स्थान के अतिरिक्त निर्धारित मात्रा से अधिक आबकारी योग्य वस्तु नहीं रखेगा।
- ❖ राज्य सरकार किसी स्थान विशेश को आबकारी योग्य वस्तुओं के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

धारा 20 :–

- ❖ अनुज्ञप्ति के बिना आबकारी योग्य वस्तुओ के विक्रय का प्रतिषेध

धारा 22 :–

- ❖ कतिपय व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों में विक्रय आदि का प्रतिषेध –
- ❖ सामान्य तौर पर 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को
- ❖ विकृत चित्त के किसी व्यक्ति को
- ❖ उस ईकाई के जिसका वह सैनिक है समुचित अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, ड्यूटी पर तैनात वर्दी वाले सैनिक को ।

धारा 23 :–

- ❖ 18 वर्ष से कम आयु वाले बालकों अथवा स्त्रियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों (संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों) के नियोजन का प्रतिबन्ध ।
- ❖ आबकारी योग्य वस्तओं का वस्तु विनिमय नहीं किया जाएगा।

धारा 44 :–

- ❖ कतिपय अधिकारियों की इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति
- ❖ उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का कोई अधिकारी अनुसंधान नहीं कर सकता है।

धारा 45 :–

- ❖ गिरफ्तारी, अभिग्रहण निरोध की शक्ति –
- ❖ आबकारी, पुलिस, नमक, सीमाषुल्क, स्वापक या भू राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा विहित पद से नीचे का नहीं है युक्तियुक्त संदेह का कारण होने पर निरूद्ध कर सकता है, या उसकी तलाषी ले सकता है।
- ❖ इस धारा के लिए भी सक्षम अधिकारी उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का होगा।

soniya tanwar

धारा 46 :–

- ❖तलाशी लेने या गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट जारी करने की आबकारी आयुक्त या मजिस्ट्रेट की शक्ति

धारा 47 :–

- ❖आबकारी अधिकारी की बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति

धारा 49 :–

- ❖इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 54 में 50 लीटर से अधिक आबकारी योग्य वस्तु या धारा 54ख तथा 54घ तथा 56 के तहत अपराधों में अनुसंधान पूर्ण करने की अवधि 60 दिन के स्थान पर 120 दिन तथा नब्बे दिन के स्थान पर 180 दिन होगी।

धारा 52 :–

- ❖पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का अभिग्रहीत वस्तु को अपनी सुपुर्दगी में लेने का कर्त्तव्य

धारा 53 :–

- ❖लोक शान्ति के लिए दुकाने बन्द करने की शक्ति –
- ❖जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञाधारी से लिखित नोटिस देकर ऐसे समय या समयावधि के लिए जो वह लोक शान्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे।
- ❖किसी दुकान के समीप कोई बल्वा या विधि विरूद्ध जमाव हो जाता है या हो जाने की आषंका है तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो कानिस्टेबल से उपर किसी पद का हो वह उस दुकान को उस समय तक बन्द करने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझता है।

धारा 54 :–

- ❖ धारा 16 तथा 19 के उल्लंघन में विधि विरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण कब्जे आदि के लिए दण्ड –
- ❖ ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और बीस हजार रूपए या आबकारी शुल्क की हानि से पांच गुना जो भी अधिक हो के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- ❖ लिकर की मात्रा 50 लीटर से अधिक है तो ऐसे अपराध का दोषी व्यक्ति ऐसी कारावास की अवधि से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक कि हो सकेगी और बीस हजार रूपए या आबकारी शुल्क की हानि से दस गुना जो भी अधिक हो के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 54 क :–

- ❖ कतिपय मामलों में पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़ा, मोटरयान या प्रवहण के किसी अन्य साधन के स्वामी को दोषी समझा जाना।

धारा 54 ख :–

- ❖ अपमिश्रण के परिणाम स्वरूप मृत्यु आदि के लिए शास्ति –
- ❖ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु दस लाख रूपए हो सकेगा।

sonya tanwar

- ❖ किसी व्यक्ति के निश्क्तताः या गम्भीर उपहति होती है तो ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रूपए हो सकेगा।
- ❖ अन्य किसी भी मामले में ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रूपए से कम नहीं किन्तु दो लाख पचास हजार रूपए हो सकेगा।
- ❖ अपमिश्रण का लोप करने पर भी समान दण्ड होगा।
- ❖ यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमिश्रित शराब अपने कब्जे में रखता है वह 1 से 10 वर्ष तक के कारावास तथा 10 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 54 ग :–

- ❖ प्रतिकर का संदाय करने के लिए आदेश धारा 54 ख के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाने पर या नहीं मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को या जिन्हे गंभीर उपहति या निषक्तता हुई है प्रतिकर के रूप में इतनी रकम संदत्त करने के आदेष दे सकेगा जितनी वह न्याय संगत समझे।
- ❖ परन्तु मृत्यु के मामले में तीन लाख रूपए
- ❖ गंभीर उपहति के मामले में दो लाख रूपए और
- ❖ अन्य मामलों में बीस हजार रूपए से कम नहीं होगा।
- ❖ प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व अनुज्ञक्तिधारी का होगा।

धारा 54 घ :–

- ❖ आपराधिक षडयंत्र के लिए शास्ति उसी दण्ड से दण्डनीय होगा मानो उसने वह अपराध किया हो।

10 राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949

Rajasthan Public Gambling Ordinance 1949

धारा 3 किसी जुआ व घर का मालिक होने अथवा उसको चलाने के लिए दण्ड –जहॉ पर यह अध्यादेश लागु होता है उन सीमाओं के अन्दर किसी घर कमरे ं तम्बु आहाता ं जगह ं वाहन जलयान या किसी स्थान पर कोई भी मालिक या अधिभोगी या अथवा उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान को सामान्य जुआघर के रूप में खोलता है रखता है या उपयोग मे लेता है तथा ऐसे स्थानों का कोई भी स्वामी या अधिभोगी जानबूझकर पूर्वोक्त प्रकार से सामान्य जुआ घर के रूप मे खोलने रखने या उपयोग करने की अनुमती देता है और जो कोई भी ऐसे स्थानों का प्रबन्ध करता है या उनके कारोबार का सचांलन करता है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिये खोलता रखता है या उपयोग करता है और जो कोई भी ऐसे स्थानों मे बार बार आने वाले को जुऐ का अग्रिम धन देता है उस व्यक्ति निम्न प्रकार दण्डित किया जायेगा ।

soniya tanwar

(क) प्रथम अपराध के लिए 6 मास तक के कारावास या 500 रूपये तक के जुर्माने या दोनों से(ख) दोबारा अपराध के लिये 1 साल तक के कारावास या 1000 रूपये तक के जुर्माने सहित या रहित किन्तु न्यायालय के निर्णय में वर्णित विशेष कारणों के अभाव में 1 महिने से कम अवधि का कारावास नहीं होगा ।

(ग) तीसरी बार या पश्चातवर्ती अपराध के लिये ऐसे कारावास जो 1 साल तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 2000 रूपये तक का हो सकेगा

परन्तु न्यायालय द्वारा निर्णय में विशेष कारणों का उल्लेख के बिना 6 महीने से कम अवधि का कारावास नहीं होगा ।

धारा 4 जुआ घर में पाये जाने पर दण्ड –

जो कोई किसी जुआ घर में तास ़ पाशे ़ धन अथवा धूत के अन्य उपकरणों से खेलता हुआ पाया जाये या धूत के प्रयोजन के लिये दण्ड

बाजी या दांव अन्यथा खेलने के लिये वहां उपस्थित पाया जाये तो 500 रूपये से कम न होने वाले जुर्माने अथवा 6 माह के कारावास की अवधि से दण्डित होगा ।

किसी सामान्य जुआ घर में धूत के दौरान पाये जाने वाले व्यक्ति के बारे में धूत प्रयोजन के लिये वहां उपस्थित होने की उपधारणा की जायेगी जब तक की वह अन्य प्रकार से साबित न कर दे ।

धारा 5 . सामान्य जुआ घर में पुलिस के प्रवेश करने के लिये वह तलाशी लेने के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति . यदि जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक कों विश्वसनीय सूचना मिलती है कि कोई घर ़ कमरा ़तम्बू ़ अहाता ़ वाहन ़ जलयान या स्थान सामान्य जुआ घर के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है । तो या तो वह स्वयं प्रवेश कर कर सकेगा या वाहन द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को आवश्यक सहायता सहित दिन या रात में तथा आवश्यक होने पर बलपूर्वक ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा ़ तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो वहां पायें जाये स्वयं परिरूद्व कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को परिरूद्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा। तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो वहां पाये जायें स्वयं परिरूद्व कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को परिरूद्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा। तथा वहां पाये जाने वाले समस्त उपकरणों जिनके बारे में सदेंह हो उनका जुआ खेलने के लिये उपयोग किया जा रहा है

soniya tanwar

` जब्त कर सकेगा या ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। तथा ऐसे स्थान तथा अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों की धूत के उपकरण छुपाये जाने की आशंका होने पर तलाशी ले सकेगा अथवा ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

धारा 13 . सार्वजनिक मार्गो पर जुआ खेलने तथा पक्षियों और जीव जन्तुओं को लडानें के लिये दण्ड .

पुलिस अधिकारी किसी सार्वजनिक मार्ग स्थान या आम रास्ते में जुआ खेलते हुये पाये गये किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक मार्ग स्थान या आम रास्ते में किन्ही पक्षियों या जिव जन्तुओं की लडाई की व्यवस्था करने वाले किसी व्यक्ति या पक्षियों तथा जीव जन्तुओं को सार्वजनिक रूप से की जाने वाली लडाई में सहायता करने तथा उत्प्रेरणा करने वाले किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा । जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाये उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जायेगा और वह 100 रूपये तक जुर्माने तथा 1 माह तक के सादा या कठिन कारावास से दण्डनीय होगा ।

और ऐसा पुलिस अधिकारी धूत के समस्त उपकरणों को अभिग्रहण कर सकेगा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सजा के उपरान्त आदेश देने पर नष्ट करेगा।

11. राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007

धारा 2 :– परिभाषाऐं –

- 2 ख :– साइबर अपराध से अभिप्रेत है उसमें सम्मिलित सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 के अधीन सभी अपराध व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कम्प्यूटर, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, एटीएम आदि के उपयोग द्वारा किए गए अपराध।
- 2 छ :– संगठित अपराध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सदोष या अविधिपूर्ण अधिलाभ के लिए उनके सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया कोई अपराध सम्मिलित है।

धारा 10 विशेष पुलिस अधिकारी :–

- जिला पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के परामर्ष से, लिखित आदेष के द्वारा उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा जो नियुक्ति आदेष में विर्निदिष्ट की जाए।
- इस प्रकार नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा और वह उन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए दायी होगा और उन्ही शास्तियों के अधीन होगा और उन्ही प्राधिकारियों का अधीनस्थ होगा जिनका सामान्य पुलिस कर्मचारी होता है।

sonia tanwar

धारा 16 किसी पुलिस जिले में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन :–

- ❖ राज्य सरकार किसी पुलिस जिले के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।
- ❖ परन्तु महानगर क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस आयुक्त पदाभिहित किया जाएगा।
- ❖ जिले में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होंगी।
- ❖ पुलिस अधीक्षक की न्यूनतम पदावधि दो वर्ष की होगी।
- ❖ जिला पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार निम्नांकित परिस्थितियों में हटा सकेगी –
    1. किसी दाण्डिक न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने
    2. अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन अनुशसनिक कार्यवाहियों के कारण पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाने पर या निम्नतर पंक्ति में पदावनत कर दिया जाने पर,
    3. सेवा से उसके निलम्बन पर
    4. शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर,
    5. उसके स्वयं के अनुरोध पर
    6. ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी।
- ❖ राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए एक या अधिक अपर, उप या सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

धारा 17 किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदेशन :–

- ❖ राज्य सरकार किसी पुलिस वृत्त के लिए पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।
- ❖ परन्तु महानगर क्षेत्र में पुलिस उप अधीक्षक को सहायक पुलिस आयुक्त पदाभिहित किया जाएगा।
- ❖ पुलिस उप अधीक्षक की न्यूनतम पदावधि दो वर्ष की होगी।
- ❖ वृत्त में पुलिस बल का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व निदशन पुलिस महानिदेशक के संपूर्ण नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए पुलिस उप अधीक्षक में निहित होंगी।
- ❖ जिला पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार निम्नांकित परिस्थितियों में हटा सकेगी –
    1. किसी दाण्डिक न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने
    2. अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन अनुशसनिक कार्यवाहियों के कारण पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाने पर या निम्नतर पंक्ति में पदावनत कर दिया जाने पर,
    3. सेवा से उसके निलम्बन पर
    4. शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर,
    5. उसके स्वयं के अनुरोध पर
    6. ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी।

धारा 19 क्षेत्र ड्यूटी पर के कतिपय पुलिस अधिकारियों की पदस्थापन अवधि :–

- ❖ पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में या किसी अपराध अन्वेषण युनिट के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित किसी पुलिस अधिकारी की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।
- ❖ किसी भी अधिकारी को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानान्तरित

sonivatanwar

किया जा सकता है –

1. उच्चतर पद पर उसकी पदोन्नति
2. उसकी अधिवर्षिता
3. न्यायालय द्वारा उसकी दोष सिद्धि
4. किसी दाण्डिक न्यायालय में उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने ,
5. अनुषासनिक कार्यवाहियों के कारण पदच्युत, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाने पर या निम्नतर पंक्ति में पदावनत कर दिया जाने पर,
6. सेवा से उसके निलम्बन पर
7. शारीरिक या मानसिक रूग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर,
8. कोई रिक्ति भरने के लिए
9. उसके स्वयं के अनुरोध पर या
10. ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी।

धारा 21 :– राज्य पुलिस आयोग

- ❖ राज्य सरकार एक राज्य पुलिस आयोग स्थापित करेगी जो इस अध्याय के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।
- ❖ गृह विभाग का प्रभारी मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा।
- ❖ सदस्य –
  1. राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बडे प्रतिपक्ष दल का नेता
  2. मुख्य सचिव
  3. गृह विभाग का प्रभारी सचिव
  4. पुलिस महानिदेशक
  5. लोक जीवन में ख्याति प्राप्त तीन व्यक्ति जिनमें कम से कम एक समाज के कमजोर वर्ग में से होगा।
- ❖ राज्य सरकार आयोग के सचिव के रुप में कार्य करने के लिए अपर महानिदेशक की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
- ❖ आयोग अपनी बैठकों व कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे नियमो का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनायें जाऐं।

धारा 29 पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व :–

- ❖ पुलिस अधिकारी के निम्न कृत्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे –

1. विधि का प्रवर्तन करना और जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकारों, गरिमा और मानवाधिकारों का संरक्षण करना।
2. अपराध और लोक न्यूसेन्स का निवारण करना।
3. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना आतंककारी क्रिया कलापों का निवारण और नियंत्रण करना।
4. लोक संपत्ति का संरक्षण करना,
5. अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्यायालय में पेष करना।
6. ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना जिन्हे वह पकड़ने के लिए विधितः प्राधिकृत है और जिनके पकड़े जाने के पर्याप्त आधार हैं।

sonia tanwar

7. प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में जनता की मदद करना और राहत उपायों में अन्य ऐजेन्सियों की सहायता करना।
8. जनता और यानों के व्यवस्थित संचालन को सुकर बनाना और यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना।
9. लोक शांति को प्रभावित करने वाली और अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना।
10. लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों और कर्त्तव्यों के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाना।
11. ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो उसे विधि द्वारा या किसी भी विधि के अधीन ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किया जाए।
12. राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्राधिकारी पुलिस अधिकारियों को ऐसे अन्य कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व समनुदेषित कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए।

धारा 30 पुलिस के सामाजिक दायित्व :–

1. जनता के सदस्यों से विषेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सम्यक् शिष्टता और शालीनता से व्यवहार करेगा,
2. वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं, बालकों और शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलांग नागरिकों जो सड़क पर अन्य स्थानों पर असहाय स्थिति में पाये जाते हैं का मार्गदर्शन और सहायता करेगा।,
3. अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगा,
4. लोक स्थान और लोक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालकों के उत्पीड़न, जिसमें पीछा करना, आपत्तिजनक भाव–भंगिमा, संकेत, फब्तियां या किसी भी रूप में किया जाने वाला उत्पीड़न शामिल है का निवारण करेगा,
5. जनता के सदस्यों विषेषकर महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों को विधिपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

धारा 31 संज्ञेय मामलों में इत्तिला का अभिलिखित किया जाना :–

- ❖ पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में प्रत्येक इत्तिला को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तुरंत प्राप्त और अभिलिखित करेगा।
- ❖ जहां कोई व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे किन्ही तथ्यों की सूचना भेजता है या देता है जिसमें प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है और अभिकथन करता है कि अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी ने इत्तिला अभिलिखित करने से इन्कार किया है तो जिला पुलिस अधीक्षक उक्त पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी के विरूद्ध नियमों के अनुसार तुरन्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा या करवाएगा।
- ❖ उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन कोई दण्ड संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में लिखा जाएगा और जब उसकी क्षमता और निष्पादन का निर्णय अपेक्षित हो तब सदैव उस पर विचार किया जाएगा।

धारा 32 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन कर सकेगा।

धारा 33 पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर समझे जाएंगे :–

- ❖ इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर समझा

Sonia Tanwar

जाएगा।

धारा 34 पुलिस अधिकारी को राज्य के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकेगा।

धारा 35 पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नियोजित नहीं होंगें।

धारा 36 पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्त्तव्यों से स्वयं को हटाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दे दी गई हो।

धारा 37 पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सूचना रख सकेंगे :–

- ❖ किसी पुलिस अधिकारी के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सूचना रखना और समन, वारंट, तलाशी वारंट या ऐसी अन्य वैध आदेशिका, जो अपराध कारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध जारी की जा सके, के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा।
- ❖ किन्ही फरार व्यक्तियों के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय से वारण्ट प्राप्त किया जाएगा।

धारा 38 पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेंगे :–

- ❖ किसी भी अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेना अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में उसकी तालिका देना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।
- ❖ ऐसी सम्पत्ति के व्ययन की रीति वह होगी जो विहित की जाए।
- ❖ इस प्रयोजन के लिए पुलिस नियम 2008 में नियम 7 एंव 8 दिए गए है।

धारा 39 :– पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगें :–

- ❖ प्रत्येक पुलिस थाने या चौकी का भारसाधक अधिकारी निर्धारित प्रारुप में साधारण डायरी रखेंगें।
- ❖ डायरी के संधारण में नियम राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 9 में दिए गए है।

धारा 43 लोक स्थान आरक्षित करने और नाका लगाने की शक्ति :–

- ❖ ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए जिला पुलिस अधीक्षक लोक नोटिस द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी मार्ग या अन्य लोक स्थान को अस्थाई रूप से आरक्षित कर सकेगा और इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र से व्यक्तियों और यानों के संचालन को विनियमित कर सकेगा।
- ❖ जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या लोक सडकों और मार्गों पर नाकों और अन्य आवश्यक संरचनाएं खड़ी करने के लिए या किसी अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए यानों या उनके अधिभोगियों की जांच करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

धारा 44 आदेष का परिरक्षण :–

- ❖ ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी लोक मार्गों या आम रास्तों पर सभी सभाओं या जुलूसों को विनियमित करने के लिए साधारण या विशेष आदेष जारी कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और वह समय जब ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे, विहित कर सकेगा
- ❖ परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाता है कि वह जुलूस अनियंत्रित होने पर शांति भंग होने की संभावना है तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त

sonvatanwar

करने का निदेश दे सकेगा।

- ❖ जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी शर्तों के साथ जिन्हे वह उचित समझे अनुज्ञा दे सकेगा। शांति भंग होने की संभावना पर इंकार कर सकेगा।
- ❖ कोई भी पुलिस अधिकारी जिस पर किसी जन –सभा या जुलूस को विनियमित करने का उत्तरदायित्व है ऐसे किसी भी जुलूस को जिसे उपधारा 2 में उपदर्षित अनुज्ञा प्राप्त न हो या जो उसकी राय में अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता हो रोक सकेगा और ऐसे किसी भी सभा या जुलूस को तितर–बितर होने का आदेश दे सकेगा।
- ❖ ऐसे आदेश को मानने से इन्कार करने पर ऐसा जमाव विधि विरूद्ध जमाव माना जाएगा।
- ❖ जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में किसी लोक स्थान में प्रवेश या निकास या प्रचालन का समय विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

धारा 55 :– सामुदायिक सम्पर्क समूह :–

- ❖ जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित कर या अधिक समुदाय सम्पर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा, परन्तु प्रत्येक पंचायत के लिए कम से कम एक समुदाय सम्पर्क समूह गठित किया जावेगा।
- ❖ समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किए जाए।

धारा 60 सड़क इत्यादि पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड :–

- ❖ कोई भी व्यक्ति किसी कस्बे में या राज्य सरकार द्वारा सूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान सा सडकों पर निम्नांकित में से कोई कार्य करता है तो उसे 50 रुपये तक के जुर्माने या आठ दिन के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा उसे बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जाएगा –
  1. पशुओं का वध, उग्र सवारी इत्यादि
  2. पशुओं के प्रति क्रूरता,
  3. यात्रियों को बाधा पहुंचाना,
  4. माल को बिक्री के लिए अरक्षित रूप से खुला छोड़ना,
  5. मार्ग में कचरा फेंकना,
  6. मत्त या बलवा करता हुआ पाया जाना,
  7. शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन
  8. संकटमय स्थानों को परिरक्षित करने में उपेक्षा,

soniyatanwar

राजस्थान वन अधिनियम 1953

धारा 33. धारा 30 के तहत अधिसूचना या धारा 32 के तहत नियमों के उल्लंघन में कृत्यों के लिए दंड –

(1) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी अपराध करता है, अर्थात : –

(ए) धारा ३० के तहत आरक्षित किसी भी पेड़ को गिराता है, काटता है, काटता है, टैप करता है या जलाता है, या ऐसे किसी भी पेड़ की छाल या पत्तियों को हटा देता है या अन्यथा नुकसान पहुंचाता है

(बी) धारा ३० के तहत किसी भी निषेध के विपरीत, किसी भी समय किसी भी पत्थर की खुदाई, या किसी भी समय जला या लकड़ी का कोयला या एकत्र, किसी भी निर्माण प्रक्रिया के अधीन या किसी वन उपज को हटा देता है।

(सी) धारा 30 के तहत निषेध के विपरीत किसी भी संरक्षित वन में किसी भी भूमि को खेती या किसी अन्य उद्देश्य के लिए तोड़ना या साफ करना।

(डी) ऐसे जंगल में आग लगाता है या धारा 30 के तहत आरक्षित किसी भी पेड़ को फैलने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतने के बिना आग लगाता है, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या नाकाम हो या ऐसे जंगल के किसी बंद हिस्से में,

(म) अपने द्वारा जलाई गई आग को ऐसे किसी पेड़ या बंद हिस्से के आसपास जलाकर छोड़ देता है,

soniyatanwar

(च) किसी पेड़ को गिराता है या किसी लकड़ी को घसीटता है ताकि पूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचे।

(छ) मवेशियों को ऐसे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है।

(ज) धारा 32 के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है।

वह एक मास के कारावास से जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(२) जब कभी किसी संरक्षित वन में जानबूझ कर या घोर लापरवाही से आग लगती है, सरकार इस धारा के तहत किसी भी तरह की सजा दिए जाने के बावजूद, निर्देश दे सकती है कि ऐसे जंगल या उसके किसी हिस्से में चारागाह के किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जाए या वनोपज को ऐसी अवधि के लिए निलंबित किया जाएगा जो वह ठीक समझे, लेकिन ऐसा कोई आदेश संबंधित व्यक्तियों को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

धारा 52. जब्ती के लिए उचित रूप से उत्तरदायी की जब्तीः – ' राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 19) द्वारा संशोधित (1) जब यह मानने का कारण है कि किसी वन उपज के संबंध में वन अपराध किया गया है ऐसी उपज, सभी औजारों, नावों, गाड़ियों, ट्रकों, या किसी अन्य वाहन, या ऐसे किसी भी अपराध को करने में इस्तेमाल किए गए मवेशियों के साथ, किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो।

(२) इस धारा के तहत किसी भी संपत्ति को जब्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर एक निशान लगाएगा जो यह दर्शाता है कि उसे इस तरह से जब्त कर लिया गया है, और जितनी जल्दी हो सके, बेंच जब्ती की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा,

soniya tanwar

जिसके पास मुकदमा चलाने का अधिकार है। अपराध जिसके कारण जब्ती की गई है या उसके अधिकारी वरिष्ठ, जो भी निकट हो:

बशर्ते कि, जब वन उपज, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया माना जाता है, सरकार की संपत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तो यह प्रभावी होगा यदि अधिकारी, यथाशीघ्र, परिस्थितियों की रिपोर्ट करता है अपने आधिकारिक वरिष्ठ के लिए।

धारा '53.. धारा 52 के तहत उचित रूप से जब्त करने की शक्तिः – ' राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 1968 (अधिनियम, 1958) (1958 का अधिनियम संख्या 39) के तहत संशोधित कोई भी वन अधिकारी, जो एक रेंजर से कम रैंक का नहीं है, जो या जिसके अधीनस्थ ने धारा ५२ के तहत कोई उपकरण, नाव, गाड़ियाँ, ट्रक या मवेशी जब्त किए हैं, उसके मालिक द्वारा जारी की गई संपत्ति के उत्पादन के लिए एक बांड के निष्पादन पर उसे जारी कर सकते हैं, जब और जहां उत्पादन करने की आवश्यकता होती है वही।

धारा 54. बाद की प्रक्रिया।– '(राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 1958, 1958 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा संशोधित) (1) जब किसी अधिकारी द्वारा धारा 52 की उप–धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट बनाई जाती है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, ऐसा अधिकारी वरिष्ठ, सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ, जब्ती की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसके पास उस अपराध का विचारण करने का अधिकार है जिसके कारण जब्ती की गई है।

धारा 64. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति–(1) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा दंडनीय किसी वन अपराध में संलिप्त होने का उचित संदेह है एक महीने या उससे अधिक के लिए कारावास।

(२) इस धारा के तहत गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, अनावश्यक देरी के बिना और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बांड पर रिहा करने के लिए,

sonia tanwar

गिरफ्तार व्यक्ति को मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट या प्रभारी अधिकारी के पास ले जाएगा या भेज देगा निकटतम पुलिस स्टेशन के।

(३) इस धारा में कुछ भी इस तरह की गिरफ्तारी को किसी भी कार्य के लिए अधिकृत करने के लिए नहीं समझा जाएगा जो कि अध्याय IV के तहत एक कार्यालय है जब तक कि ऐसा अधिनियम धारा ३० के खंड (सी) के तहत निषिद्ध नहीं किया गया हो।

धारा 66. अपराध करने से रोकने की शक्ति– प्रत्येक वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी वन अपराध के किए जाने को रोकने के प्रयोजन के लिए निवारित करेंगे और हस्तक्षेप कर सकते हैं।

soniya tanwar

13 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2. परिभाषाएं (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला्** का वही अर्थ है जो धारा 5 में है ।

(ख) **गुरुतर लैंगिक हमला** का वही अर्थ है जो धारा 9 में है ।

(ग) सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है ।

(घ) बालक से ऐसा कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है ।

(ङ) घरेलू संबंध का वह अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 2 के खंड (च) में है।

(च) प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 3 में है।

(छ) विहित् से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(ज) धार्मिक संस्था का वह अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) में है।

(झ) लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 7 में है।

(ञ) लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ है जो धारा 11 में है।

(ट) साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, या किसी समय पर रह चुका है।

(ठ) विशेष न्यायालय् से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है ।

soniya tanwar

(ड) विशेष लोक अभियोजक से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं ।

बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध

क. प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 3. प्रवेशन लैंगिक हमला कोई व्यक्ति, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है, यदि वह

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है ।

धारा 4. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड - जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो

soniya tanwar

आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

ख. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 5. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर

(1) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है। या

(2) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है। या

(3) अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा। या

(4) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,

(1) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है। या

(2) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में।या

(3) अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा। या

(4) जहां उक्त व्यक्ति, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

soniya tanwar

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारीवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है य या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है ।

स्पष्टीकरण :- जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थान्तर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था। या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,

(1) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। या

soniya tanwar

(2) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है।

(3) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थाई रूप से ह्रास कर सकेगा।या

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है । या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। या

(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है। या

sonya tanwar

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है । या

(न) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है। या

(प) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।

धारा 6. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड जो कोई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

ग. लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 7. लैंगिक हमला जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।

Soniya tanwar

धारा 8. लैंगिक हमले के लिए दंड जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

घ. गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

धारा 9. गुरुतर लैंगिक हमला

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर

(1) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है। या

(2) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है। या

(3) अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा या

(4) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता हैं। या

(ख) जो कोई, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,

(1) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है। या

(2) सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में। या

(3) अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा। या

(4) जहां वह, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, लैंगिक हमला करता है। या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(घ) जो कोई, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य

soniya tanwar

स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(छ) जो कोई, बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है ।

स्पष्टीकरण :- जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था। या

(ज) जो कोई, बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है। या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए लैंगिक हमला करता है। या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे

(1) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। या

(2) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा। या

sonia tanwar

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(ठ) जो कोई, बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार लैंगिक हमला करता है। या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारीवृंद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, बालक की किसी संस्था या गृह में या कहीं और, बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

(द) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है। या

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर लैंगिक हमला करता है। या

soniya tanwar

(न) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है। या

(प) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।

धारा 10. गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड जो कोई, गुरुतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

ङ. लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

धारा 11. लैंगिक उत्पीड़न कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से

(1) कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। या

(2) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके।

soniya tanwar

(3) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है। या

(4) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार–बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है। या

(5) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है य या

(6) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है ।

स्पष्टीकरण कोई प्रश्न, जिसमें लैंगिक आशय अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा ।

धारा 12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

धारा 13. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित हैं) किसी प्ररूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं

soniya tanwar

(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना।

(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना।

(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा ।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोगञ्ज् पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना सम्मिलित है ।

धारा 14. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड

(1) जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करेगा, वह कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

sonia tanwar

(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 15. बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न

धारा 16. किसी अपराध का दुष्प्रेरण कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो

पहला उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। अथवा

दूसरा उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। अथवा

तीसरा उस अपराध के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1 कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना

soniya tanwar

कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण 2 जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण 3 जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

17. दुष्प्रेरण के लिए दंड जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है ।

स्पष्टीकरण कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है ।

धारा 18. किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

धारा 21 इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी **अपराध की सूचना नहीं देना**

छह महीने तक के कारावास और या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

soniya tanwar

धारा 23 मीडिया के लिए प्रक्रिया

मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता मीडिया, होटल, लॉज अस्पताल, क्लब, स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी विषयों पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि पाता है कि किसी भी वस्तु, सामग्री या किसी भी माध्यम से किसी बच्चे का यौन शोषण हो रहा है, तो वह उसकी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को कराएगा

धारा 24 पुलिस द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाना

1 बच्चे के बयान को उसके घर पर ही या उसकी सुविधा के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगी, रिकॉर्ड किया जाएगाद्य लड़के के मामले में पुलिस अधिकारी भी हो सकता है।

2 बचचे् की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा

3. जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त बालक के संपर्क में नहीं आए।

.(2) किसी भी बचचे् को किसी भी परिस्थिति में रात को थाने में नहीं रखा जाएगा।

अ. पुलिस अधिकारी ध्यान रखेगा कि बच् की पहचान जन चे ता और मीडिया में जाहिर न हो तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच् के संबंध में जानकारी नहीं दी जाएगी।

बच्चों के समुचित विकास तथा उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों में उसकी गोपनीयता के अधिकार को सुरक्षित करना जरूरी हैद्य यह आवश्यक है कि -

1. बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका–टिप्पणी, जिससे बचचे् की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है, मीडिया को पूर्ण और प्रमाणिक जानकारी के बिना किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

2. मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण,

विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा नहीं होना चाहिए, जब तक कि मामले

sonya tanwar

के विचारण के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने की अनुमति न दी जाए।

बालक की चिकित्सीय परीक्षा (धारा 27)

1 जिस बालक के साथ यौन अपराध हुआ है, उसकी चिकित्सीय जांच होनी चाहिए, चाहे एफ0आई0आर0 की गई हो अथवा नहीं।

2 अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है, तो मेडिकल जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

3 बच्चे की मेडिकल जांच माता–पिता या अभिभावक की उपस्थिती में की जाएगी। अगर ये उपलब्ध नहीं हैं, तो उस व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल जांच होगी, जिस पर बच्चे को विश्वास हो।

2 बालक की चिकित्सा जांच के दौरान अगर बच्चे के माता–पिता या भरोसेमंद व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकते, तो चिकित्सीय जांच चिकित्सीय संस्था के प्रमुख द्वारा निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

14 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के में अनुसरित किए जाने उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, अर्थात् –

soniya tanwar

निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांतः किसी बालक के बारे में, अठारह वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय के दोषी नहीं है।

गरिमा और योग्यता का सिद्धांतः सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकारों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए।

भाग लेने का सिद्धांतः प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

सर्वोत्तम हित का सिद्धांत

(पअ) बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतया इस विचारणा पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण शक्तता को विकसित करने में सहायक हैं।

कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत

बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसका संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या, यथास्थिति, दत्तक अथवा पालक माता–पिता की है।

सुरक्षा का सिद्धांत

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण–पद्धति के संपर्क में रहते हुए और उसके पश्चात् उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाने चाहिए।

सकारात्मक उपाय

सभी स्रोतों को, इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने और इस अधिनियम के अधीन मध्यक्षेप की आवश्यकता के लिए गतिमान किया जाना चाहिए।

गैर–कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत

soniya tanwar

किसी बालक से तात्पर्यित आदेशिक प्रतिक्ल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत

बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान्य नहीं है चाहे उसकी ईप्सा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की और किसी मूल अधिकार का प्रयोग न किया जाना अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा।

समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत

किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर, जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म–स्थान, निःशक्तता भी है, किसी का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी।

एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत

प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मकता का सिद्धांत

बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा।

संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत

किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्रातिशीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रास्थिति में, जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में हो, अधिकार प्राप्त होगा।

नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत

किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को, विशेष परिस्थितियों के सिवाय, समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

अपयोजन का सिद्धांत

sonia tanwar

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्यवाहियों का अवलंब लिए बिना, जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत

इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋजुता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिनके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्विलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाना चाहिए।

धारा 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) 'परित्यक्त बालक' से अपने जैविक या दत्तक माता–पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात् परित्यक्त घोषित किया गया है।

(2) 'दत्तकग्रहण' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता–पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता–पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित, जो किसी जैविक बालक से जुड़े हों, विधिपूर्ण बालक बन जाता है।

(3) 'दत्तकग्रहण विनियम' से प्राधिकरण द्वारा विरचित और केन्द्रीय सरकार द्वारा, दत्तकग्रहण के संबंध में अधिसूचित विनियम अभिप्रेत है।

(4) 'प्रशासक' से राज्य के उपसचिव से अनिम्न पंक्ति का ऐसा कोई जिला पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(5) 'पश्चात्वर्ती देखरेख'' से उन व्यक्तियों की, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के

sonya tanwar

लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है।

(6) 'प्राधिक्कृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण' से ऐसा कोई विदेशी, सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो अनिवासी भारतीय के या विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता–पिता के भारत से किसी बालक के दत्तकग्रहण संबंधी आवेदन का समर्थन करने की उस देश क उनके केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग कफी सिफारिश पर केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है।

(7) 'प्राधिकरण''' से धारा 68 की अधीन गठित केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(8) ' भीख मांगना से,–

(प) किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो।

(पप) भिक्षा अभिप्राप्त करने या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीवजंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना, अभिप्रेत है।

(9) 'बालक का सर्वोत्तम हित' से बालक के बारे में, उसके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चय का आधार अभिप्रेत है।

(10) 'बोर्ड' से धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है।

soniya tanwar

(11) 'कन्द्रीय प्राधिकरण''' से बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन (1993) के अधीन उस रूप में मान्यताप्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है।

(12) 'बालक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(13) 'विधि का उल्लंघन करने वाला बालक' से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

(14) 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक' से ऐसा बालक अभिप्रेत है –

(प) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है। या

(पप) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है। या

(पपप) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने,–

(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है। या

soniya tanwar

(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है। या

(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है। या

(पअ) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं। या

(अ) जिसके माता–पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता हैय या

(अप) जिसके माता–पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है। या

(अप) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता–पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं। या

(अपपप) जिसका लैंगिक दुव्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। या

soniya tanwar

(प•) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है। या

(•) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। या

(प) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है। या

(पप) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता–पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

(15) 'बालक हितैषी' से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, वातावरण या बर्ताव अभिप्रेत है, जो मानवीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(16) 'बालक का दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना' से धारा 38 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात् समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक अभिप्रेत है।

(17) 'बालक कल्याण अधिकारी' से, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए।

निदेशों का ऐसे उत्तरदायित्व से, जो विहित किया जाए, पालन करने के लिए बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(18) 'बालक कल्याण पुलिस अधिकारी' से धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

soniya tanwar

(19) 'बाल गृह' से राज्य सरकार द्वारा, स्वयं द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित या अनुरक्षित और धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल गृह अभिप्रेत है।

(20) 'बालक न्यायालय' से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को 2006 का 4 अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के 2012 का 32 अधीन कोई विशेष न्यायालय, जहां कहीं विद्यमान हो, और जहां ऐसे न्यायालयों को अभिहित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।

(21) 'बालक देखरेख संस्था' से बालगृह, खुला आश्रय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और उन बालकों की देखरेख और संरक्षा, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है, करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त कोई उचित सुविधा तंत्र अभिप्रेत है।

(22) 'समिति' से धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है।

(23) 'न्यायालय' से ऐसा कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तकग्रहण और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है और इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय भी सम्मिलित हैं।

(24) 'शारीरिक दंड' से किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अंतर्वलित है।

soniya tanwar

(25) 'बालबद्ध सेवाओं' से संकटावस्था में बालकों के लिए चौबीस घंटे ऐसी आपातकालीन पहुंच सेवा अभिप्रेत है, जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास सेवा से जोड़ती हैं।

(26) 'जिला बालक संरक्षण एकक ' से किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को और जिले में अन्य बालक संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने का केन्द्र बिंदु हो।

(27) 'उचित सुविधा तंत्र' से किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र उक्त प्रयोजन के लिए उचित होने के रूप में धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त है।

(28) 'योग्य व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बालक की किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति की इस निमित्त जांच के पश्चात् पहचान कर ली गई है और उसे उक्त प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए योग्य के रूप में, मान्यता प्रदान की गई।

(29) 'पोषण देखरेख' से किसी बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से भिन्न ऐसे किसी कुटुंब के, जिसका ऐसी देखरेख करने के लिए चयन किया गया है, जिसे अहिंत घोषित किया गया है, जिसका अनुमोदन और पर्यवेक्षण किया गया है, घरेलू वातावरण में आनुकल्पिक देखरेख के प्रयोजन के लिए रखा जाना अभिप्रेत है ।

(30) 'पालक कुटुंब' से ऐसा कुटुंब अभिप्रेत है जिसे जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिए बालकों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

(31) 'संरक्षक ' से, किसी बालक के संबंध में, उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी वास्तविक देखरेख में, यथास्थिति, समिति या बोर्ड की राय में, वह

soniyatanwar

बालक है और जिसे, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(32) 'सामूहिक पोषण देखरेख' से देखरेख और संरक्षा की आवश्यकता वाले ऐसे बालकों के लिए, जिनकी पैतृक देखरेख नहीं होती है, कुटुंब जैसी ऐसी देखरेख सुविधा अभिप्रेत है, जिसका उद्देश्य कुटुंब जैसे और समुदाय आधारित समाधानों के माध्यम से व्यक्तिपरक देखरेख करने तथा संबंध और पहचान के बोध को अनुकूल बनाने का है।

(33) 'जघन्य अपराध ' के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है।

(34) 'अंतर–देशीय दत्तकग्रहण'से भारत से अनिवासी भारतीय द्वारा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी विदेशी द्वारा बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है।

(35) 'किशोर' से अठारह वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है।

(36) 'स्वापक ओषधि' और 'मनःप्रभावी पदार्थ' के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में हैं।

(37) 'निराक्षेप प्रमाणपत्र' से, अंतर–देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में, उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्रोत प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

(38) 'अनिवासी भारतीय' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में एक से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है।

sonia tanwar

(39) 'अधिसूचना' से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और 'अधिसूचित' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(40) 'संप्रेक्षण गृह' से किसी राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित और अनुरक्षित तथा धारा 47 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत संप्रेक्षण गृह अभिप्रेत है।

(41) 'खुला आश्रय' से बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 43 की उपधारा (1)के अधीन स्वयं द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से स्थापित और अनुरक्षित तथा उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सुविधा तंत्र अभिप्रेत है।

(42) 'अनाथ' से ऐसा बालक अभिप्रेत है,–

(प) जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं है। या

(पप) जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है।

(43) 'विदेशी भारतीय नागरिक' से नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(44) 'भारतीय मूल के व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पारम्परिक पूर्वपुरुषों में से कोई भारतीय राष्ट्रिक है या था और जो वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया भारतीय मूल के व्यक्ति होने संबंधी कार्ड (पर्सन आफ इंडियन आरिजन कार्ड) धारण किए हुए है।

soniya tanwar

(45) 'छोटे अपराधों' के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन मास तक के कारावास का है।

(46) 'सुरक्षित स्थान' से ऐसा कोई स्थान या ऐसी संस्था, जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है, अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना पृथक रूप से की गई है या जो, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या किसी विशेष गृह से जुड़ी हुई है, जिसका भारसाधक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक या उल्लंघन करते पाए गए ऐसे बालकों को, बोर्ड या बालक न्यायालय, दोनों, के आदेश से जांच के दौरान या आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि और प्रयोजन के लिए दोषी पाए जाने के पश्चात् सतत् पुनर्वासन के दौरान अपनाने और उनकी देखरेख करने का इच्छुक है।

(47) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(48) 'परिवीक्षा अधिकारी ' से राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा जिला बालक संरक्षक एकक के अधीन नियुक्त किया गया विधिक सहपरिवीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है।

(49) 'भावी दत्तक माता–पिता' से धारा 57 के उपबंधों के अनुसार बालक के दत्तक के लिए पात्र व्यक्ति अभिप्रेत है या हैं।

(50) ' लोक स्थान' का वही अर्थ होगा, जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में है।

(51) 'रजिस्ट्रीकृत' से राज्य सरकार के प्रबंधनाधीन बालक देखरेख संस्थाओं या अभिकरणों या सुविधा तंत्रों या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन के संदर्भ में बालकों को अल्पकालिक या दीर्घकालिक आधार पर आवासीय देखरेख उपलब्ध कराने के लिए संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह,

sonia tanwar

सुरक्षित स्थान, बाल गृह, खुला आश्रय या विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या कोई ऐसी अन्य संस्था, जो किसी विशिष्ट आवश्यकता की अनुक्रिया में सामने आए, या धारा 41 के अधीन प्राधिकृत और रजिस्ट्रीकृत अभिकरण या सुविधा तंत्र अभिप्रेत है।

(52) 'नातेदार' से, इस अधिनियम के अधीन दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में, चाचा या चाची अथवा मामा या मामी अथवा पितामह–पितामही या मातामह–मातामही अभिप्रेत है।

(53) 'राज्य अभिकरण''' से राज्य सरकार द्वारा धारा 67 के अधीन दत्तकग्रहण और संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्थापित राज्य दत्तकग्रहण स्रोत अभिकरण अभिप्रेत है।

(54) 'घोर अपराध' के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है।

(55) 'विशेष किशोर पुलिस एकक' से, यथास्थिति, किसी जिले या नगर के पुलिस बल का एकक, बालकों से संबंधित और धारा 107 के अधीन बालकों को संभालने के लिए उस रूप में अभिहित कोई अन्य पुलिस एकक, जैसे रेल पुलिस अभिप्रेत है।

(56) 'विशेष गृह' से किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को, जिनके बारे में जांच के माध्यम से यह पाया जाता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है और जिन्हें बोर्ड के आदेश से ऐसी संस्था में भेजा जाता है, आवासन और पुनर्वासन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित और धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था अभिप्रेत है।

soniya tanwar

(57) 'विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण' से ऐसे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के, जिन्हें दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए समिति के आदेश द्वारा वहां रखा गया है, आवासन के लिए राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा स्थापित और धारा 65 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है।

(58) 'प्रवर्तकता' से कुटुंबों के लिए, बालक की चिकित्सीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता का उपबंध अभिप्रेत है।

(59) 'राज्य सरकार' से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

(60) 'अभ्यर्पित बालक' से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका माता–पिता अथवा संरक्षक द्वारा, ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, समिति को त्यजन कर दिया गया है और समिति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया हैय

(61) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और अन्य अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

किशोर न्याय बोर्ड का गठन व प्रकिया

धारा 4(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोडों को, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, स्थापित करेगी।

soniyatanwar

(2) बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है) न हो, जिसको पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और दो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए और उनमें से कम से कम एक महिला होगी। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई हैं।

(3) किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से तात्पर्यित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो या बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत वृत्तिक हो।

(4) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि,–

(प) उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकार्ड है।

(पप) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।

(पपप) उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

soniya tanwar

(पअ) वह कभी बालक दुव्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

बोर्ड में का प्रधान मजिस्ट्रेट

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों, जिनके अंतर्गत बोर्ड में का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वासन, बालकों के लिए विधिक उपबंधों और न्याय के संबंध में ऐसा समावेशन, प्रशिक्षण और संवेदीकरण, जो विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अधिष्ठापन किया जाए।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

(6) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा, ऐसी होगी, जो विहित की जाए

(7) बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य

(प) इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हैय

(पप) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है, या

(पपप) किसी वर्ष में तीन–चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, या

(पअ) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा

(4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

धारा 5 जांच के दौरान वह बालक नही रह जाने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रकिया

जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जो जांच के दौरान वह बालक अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वहां, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड द्वारा जांच जारी

soniya tanwar

रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है।

धारा 6 जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे उस समय जब वह अठारह वर्ष की आयु से नीचे का था, किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा।

धारा 7 बोर्ड की बैठक

(1) बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा, जो विहित किए जाएं, और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय को समान न हो ।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, किसी व्यष्टिक सदस्य क समक्ष पेश किया जा सकगा ।

(3) बोर्ड, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगाः परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य, जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, उपस्थित रहेंगे।

sonia tanwar

(4) बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी।

धारा 8. बोर्ड की शक्तियां कृत्य और उत्तरदायित्व

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और इस बोर्ड की शक्तियां कुल्य अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को विधि का और उतरदायित्व। उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के अधिकारिता क्षेत्र में सभी कार्यवाहियों को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्यवाहियां अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष आती हैं, किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड के कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अंतर्गत निम्नलिखित भी आएंगे

(क) प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता–पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी, जांच, पश्चात्वर्ती देखरेख और पुनर्वासन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, संरक्षा हो।

soniya tanwar

(ग) विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(घ) बालक को बोर्ड, जब कभी आवश्यक हो, यदि वह कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषिया या अनुवादक, जिसके पास ऐसी अहंताएं और अनुभव हो, ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर उपलब्ध कराएगा।

(ड) परिवीक्षा अधिकारी या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण करने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उन परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए, जिनमें अभिकथित अपराध किया गया था, उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निदेश देना।

(च) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों का धारा 14 में विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्यायनिर्णयन और निपटारा करना।

(छ) विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालकों से, जिनके बारे में यह कथन किया गया है कि किसी प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, संबंधित मामलों को, इसके द्वारा इस बात को मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक तत्समय देखरेख की आवश्यकता वाला बालक हो सकता है समिति और बोर्ड, दोनों के उसमें अन्तर्वलित होने की आवश्यकता है, समिति को अंतरित करना।

(ज) मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसके अन्तर्गत बालक के पुनर्वास के लिए व्यष्टिक देखरेख योजना भी है, जिसके अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा ऐसी अनुवर्ती कार्रवाई भी है जो अपेक्षित हो।

soniya tanwar

(झ) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के बारे में 'योग्य व्यक्ति' घोषित करने के लिए जांच करना।

(ज) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए जिला बालक संरक्षण एकक और राज्य सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करना।

(ट) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में, इस बारे में की गई किसी शिकायत पर, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना।

(ठ) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में इस बारे में समिति द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना।

(ड) इस बात की जांच करने के लिए कि क्या वयस्कों के लिए बनी जेलों में कोई बालक डाला गया है, उन जेलों का नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना और

(ढ) कोई अन्य कुत्य, जो विहित किया जाए।

तत्काल कार्यवाही

धारा 9. (1) जब किसी मजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यह राय है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, और उसके समक्ष लाया गया है, कोई बालक है तो वह

sonia tanwar

ऐसी राय को अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा और उस बालक को तत्काल ऐसी कार्यवाही के अभिलेख के साथ कार्यवाहियों पर अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को भेजेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति बालक है या अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु की अवधारणा करने के लिए ऐसी जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किन्तु शपथपत्र नहीं) और उस व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले के निष्कर्ष अभिलिखित करेगाः परन्तु ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसको किसी भी प्रक्रम पर, मामले का अंतिम निपटारा हो जाने के पश्चात् भी, स्वीकार किया जाएगा और उस दावे का अवधारण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व बालक न रह गया हो।

(3) यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो वह उस बालक को बोर्ड के पास, समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के, यदि कोई हो, बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है।

(4) यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति के बालक होने के दावे की जांच की जा रही है, संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है, तो उस व्यक्ति को उस अंतःकालीन अवधि में सुरक्षित स्थान में रखा जा सकेगा।

धारा 10 विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

(1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित बाल कल्याण पुलिस

sonia tanwar

अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब, किंतु उस स्थान से, जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा, परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा।

(2) राज्य सरकार,

(प) उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन भी है) विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

(पप) उस रीति का उपबंध करने के लिए जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी। ऐसे व्यक्ति की, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ऐसे व्यक्ति की, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक का माता–पिता था और बालक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी था, परंतु तब के सिवाय, जब बोर्ड की यह राय है कि माता–पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए योग्य है, इस बात के होते हुए भी कि उक्त बालक का माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में बना रहेगा।

धारा 12 व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करनेवाला अभिकथित बालक

(1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिसने अभिकथित जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा।

परंतु ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य होगा की उसका संसर्ग

soniyatanwar

किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, और बोर्ड जमानत देने से इंकार करने के कारणों को और ऐसा विनिश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा।

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जो विहित की जाए, संरक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके।

(3) जब ऐसा व्यक्ति, बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा।

(4) जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक, जमानत को आदेश को सात दिन को भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होत लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। माता–पिता, संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला जहां विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एकक का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी, जिसके पास ऐसा बालक लाया जाता है।

धारा 13 माता पिता व संरक्षक व परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला

बालक की गिरफ्तारी के पश्चात यथाशक्यशीघ्र –

(प) ऐसे बालक के माता–पिता या संरक्षक को, यदि उनका पता चलता है, इतिला देगा और उन्हें निदेश देगा कि वे उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगाय और ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है।

(पप) परिवीक्षा अधिकारी को, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को, दो सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, जिसमें बालक के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में

soniya tanwar

जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इतिला देगा।

(2) जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहां बोर्ड द्वारा, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इतिला दी जाएगी।

धारा 14 विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जाँच

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन कोई जांच, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जब तक रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी।

(3) बोर्ड द्वारा, धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के लिए उपधारा (2)पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी, परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड, जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा।

(5) बोर्ड, ऋजु और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात–

(क) जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है, कोई दुर्व्यवहार न किया गया हैय और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा।

sonia tanwar

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में, कार्यवाहियां यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के दौरान बाल हितैषी वातावरण उपलब्ध करवाया जाए।

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(घ) छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के 1974 का 2 अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा। (ड) बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन 1974 का 2 समन मामलों का विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा।

(च) (1) अपराध किए जाने की तरीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच बोर्ड द्वारा खंड (ड) के अधीन निपटाई जाएगी।

(पप) अपराध किए जाने की तरीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में धारा 15 के अधीन विहित रीति से की जाएगी

धारा 15 बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारम्भिक निर्धारण

(1) किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया बोर्ड द्वारा जघन्य गया है, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराधों में प्रारंभिक अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18

sonia tanwar

की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगाय परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को निर्धारित करना है।

(2) जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगाय परंतु बोर्ड का मामले का निपटारा करने क अपीलनीय होगाय परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

धारा 16. जाँच लंबित होने का पुनर्विलोकन

(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक तीन मास में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और बोर्ड को, अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निदेश देगा या अतिरिक्त बोर्डों का गठन करने की सफारिश कर सकेगा।

(2) बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक छह मास में पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, जो उसका अध्यक्ष होगा, गृह सचिव, राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि से मिलकर गठित होगी।

(3) बोर्ड द्वारा, तिमाही आधार पर, ऐसे लंबित रहने की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को भी ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, दी जाएगी।

soniya tanwar

धारा 17 विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश

(1) जहां बोर्ड का जांच करने का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा।

(2) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह बालक को समुचित निदेशों के साथ समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा।

धारा 18 विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में निदेश

(1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया हैय या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह,–

(क) बालक को, समुचित जांच के पश्चात् और ऐसे बालक, तथा उसके माता–पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भत्सना के पश्चात् घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा।

(ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा।

sonya tanwar

(घ) बालक या बालक के माता–पिता या संरक्षण को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगाय परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हुआ हो।

(ड) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता–पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता–पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचार और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा।

(च) बालक के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श दे सकेगा।

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना व्यवहार उपांतरण चिकित्सा और मनश्चिकित्सीय सहायता भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश दे सकेगाय परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड

(प) विद्यालय में हाजिर होने या

(पप) किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने या

sonia tanwar

(पपप) किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने या

(पअ) किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिषिद्ध करने या

(अ) व्यसनमुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने, का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(3) जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता

है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वा आदेश दे सकेगा।

धारा 19 बालक न्यायालय की शक्तियां

(1) धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात् बालक न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि –

(प) बालक का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और वह विचारण के पश्चात, इस धारा और धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बालक की विशेष आवश्यकताओं, ऋजु विचारण के सिद्धान्तों पर विचार करते हुए तथा बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(पप) वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

sonya tanwar

(2) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वासन के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना को सम्मिलित किया जाएगा जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई भी है।

(3) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को, जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, इक्कीस वर्ष की आयु का होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानान्तरित कर दिया जाएगाय परंतु बालक को, सुरक्षित स्थान पर उसके ठहरने की कालावधि के दौरान, सुधारात्मक सेवाएं जिनके अंतर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, व्यवहार उपांतरण चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा और मनः चिकित्सा सहायता भी है, उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(4) बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित स्थान पर बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक से वहां किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, यथा अपेक्षित परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाए।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गई रिपोर्ट अभिलेख और अनुवर्तन के लिए जैसा अपेक्षित हो,बालक न्यायालय को भेजी जाएगी।

धारा 20 बालक जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है

20. (1) जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और बालक, जिसने अभी भी ठहरने की अवधि पूरी करनी है तो बालक न्यायालय, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसे बालक में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या ऐसा बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, परिवीक्षा अधिकारी या जला बालक सरक्षण एकक या सामाजक कायकर्ता द्वारा स्थान में ठहरने की या अपने स्वयं के द्वारा

soniyatanwar

जैसा अपेक्षित हो, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था करेगा और इस प्रयोजन के विहित अवधि को लिए, धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन सुसंगत विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ बालक के प्रगति अभिलेख को विचार में लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् बालक न्यायालय

(प) ऐसी शर्तों पर, जो ठीक समझी जाएं, जिनके अंतर्गत ठहरने की विहित अवधि के शेष भाग के लिए मानीटरी प्राधिकारी की नियुक्ति भी है, बालक को छोड़े जाने का विनिश्चय कर सकेगा।

(पप) यह विनिश्चय कर सकेगा कि बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगाय परंतु प्रत्येक राज्य सरकार मानीटरी प्राधिकारियों और ऐसी मानीटरी प्रक्रियाओं की, जो विहित की जाएं एक सूची रखेगी।

धारा 21 आदेश विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या आदेश, जो विधि का 1860 का 45 भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा।

धारा 22 दंड प्रक्रिया संहिता में बालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में या तत्समय प्रवृत्त किसी निवारक निरोध विधि में अंतर्विष्ट दंड प्रक्रिया संहिता के किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न अध्याय 8 के अधीन की कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

soniya tanwar

धारा 23 विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, सयुंक्त कार्यवाहियों का न होना

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की, जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

(2) यदि बोर्ड द्वारा या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा।

धारा 24 किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निर्हरताओं का हटाया जाना

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बालक, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जा चुकी है किसी ऐसी निरहता से, यदि कोई हो, ग्रस्त नहीं होगा, जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो

परंतु उस बालक की दशा में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है और बालक न्यायालय की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (प) के अधीन उसके बारे में यह निष्कर्ष है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) बोर्ड, पुलिस को या बालक न्यायालय या अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को यह निदेश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो विहित की जाए, समाप्त होने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे

sonyatanwar

परंतु किसी जघन्य अपराध की दशा में, जहां बालक के बारे में यह पाया जाता है कि उसने धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (प) के अधीन विधि का उल्लंघन किया है, ऐसे बालक की दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेखों को बालक न्यायालय द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा।

धारा 25 लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही चालू रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।

धारा 26 विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान से या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से, जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था, भगोड़ा हो गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को, चौबीस घंटे के भीतर अधिमानतय उस बोर्ड के समक्ष, जिसने उस बालक की बाबत मूल आदेश पारित किया था, यदि संभव हो, या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष, जहां बालक पाया जाता है, पेश किया जाएगा।

(3) बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था, या वैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को, जिसे बोर्ड ठीक समझे, वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगाय परंतु बोर्ड किन्हीं विशेष उपायों की बाबत, जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाएं, अतिरिक्त निदेश भी दे सकेगा।

(4) ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

soniya tanwar

धारा 27 बाल कल्याण समिति

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की, अधिसूचना की तारीख से दो मास के भीतर व्यवस्था की जाए।

(2) समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा।

(3) जिला बालक संरक्षण एकक एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगा, जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालयिक सहायता के लिए अपेक्षित हों।

(4) किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।

(5) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास ऐसी अहंताएं न हो, जो विहित की जाएं।

(6) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किए जाने के पश्चात् समाप्त कर दी जाएगी, यदि

(प) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया होय

(पप) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।

soniya tanwar

(पपप) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

(8) जिला मजिस्ट्रेट, समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करे

(9) समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा, यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होगी।

(10) जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और बालक से संबंधित कोई व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी फाइल कर सकेगा जो उस पर विचार करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

धारा 28 समिति के संबंध में प्रक्रिया

(1) समिति, एक मास में कम से कम बीस बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं। करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा।

(3) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को बाल गृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए, तब जब समिति सत्र में न हो, समिति के व्यष्टिक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा।

(4) किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच मतभेद की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।

(5) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश,

soniyatanwar

कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगाय परंतु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे।

धारा 29 समिति की शक्तियाँ

(1) समिति का, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का प्राधिकार होगा।

(2) जहां किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ऐसी समिति को, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यतः कार्य करने की शक्ति होगी।

धारा 30 समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व

समिति के कृत्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(1) उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना

(2) इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उसको प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की जांच करना।

(3) बालक कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बालक संरक्षण एकक या गैर–सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देना।

(4) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख करने हेतु 'योग्य व्यक्ति' की घोषणा करने के लिए जांच करना।

(5) पोषण देखरेख के लिए किसी बालक के स्थानन का निदेश देना।

sonia tanwar

(6) बाल व्यष्टिक देखरेख योजना पर आधारित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना और इस संबंध में माता–पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति या बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा तंत्र के लिए आवश्यक निदेश पारित करना।

(7) संस्थागत सहायता की अपेक्षा वाले प्रत्येक बालक के स्थानन के लिए, बालक की आयु, लिंग, निर्योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित तथा संस्था की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकृत संस्था का चयन करना।

(8) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के आवासिक सुविधाओं का प्रत्येक मास में कम से कम दो बार निरीक्षण दौरा करना और जिला बालक संरक्षण एकक और राज्य सरकार को सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करना।

(9) माता–पिता द्वारा अभ्यर्पण विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें विनिश्चय पर पुनयविचार करने और कुटुंब को एक साथ रखने हेतु सभी प्रयास करने का समय दिया गया है।

(10) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी सम्यक प्रक्रिया का, जो विहित की जाए, अनुसरण करते हुए परित्यक्त या खोए हुए बालकों का, उनके कुटुंबों को प्रत्यावर्तन करने के लिए सभी प्रयास किए गए है।

(11) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यपिंत बालक की सम्यक जांच के पश्चात् दत्तकग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त होने की घोषणा।

(12) मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और ऐसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तक पहुंचना, जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, परंतु ऐसा तब जब ऐसा विनिश्चय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया गया हो।

(13) लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करना जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन, यथास्थिति, विशेष किशोर

soniya tanwar

पुलिस एकक या स्थानीय पुलिस द्वारा समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के रूप में ज्ञापित है।

(14) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कार्रवाई करना।

(15) जिला बालक संरक्षण एकक या राज्य सरकार के समर्थन से बालकों की देखरेख और संरक्षण में अंतर्वलित पुलिस, श्रम विभाग और अभिकरणों के साथ समन्वय करना।

(16) समिति, किसी बालक देखरेख संस्था में किसी बालक से दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले में जांच करेगी और यथास्थिति, पुलिस या जिला बालक संरक्षण एकक या श्रम विभाग देगी।
निदेश

(17) बालकों के लिए समुचित विधिक सेवाओं तक पहुंच बनाना।

(18) ऐसी अन्य कृत्य और दायित्व, जो विहित किए जाएं।

❖ **किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाली एजेन्सियां :–**

1. **किशोर न्याय बोर्ड :–** धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। इस बोर्ड में तीन सदस्य होंगें जिसका अध्यक्ष प्रथम श्रेणी स्तर का मजिस्ट्रेट होगा तथा जिसमें दो अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाऐंगें। इन सदस्यों में से एक महिला होगी तथा दोनो सदस्यों को बालकों के मामलों में कार्य करने का 7 साल का अनुभव अनिवार्य है। यह बोर्ड प्रत्येक जिले में होगा तथा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बोर्ड भी गठित किए जा सकते है। बोर्ड विधि से संघर्षरत बालकों के मामलों की सुनवाई करेगा।
2. **बाल कल्याण समिति :–** धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समिति में 5 सदस्य होंगें जो सभी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाऐंगें। इन सदस्यों में से एक महिला होगी तथा सभी सदस्यों को बालकों के मामलों में कार्य करने का 7 साल का अनुभव अनिवार्य है। यह समिति प्रत्येक जिले में होगी तथा आवश्यकतानुसार एक से अधिक समिति भी गठित की जा सकती है। समिति देखभाल एवं सरक्षण वाले बालकों के संबंध में कार्य करेगी।

Sonia tanwar

3. **विशेष किशोर पुलिस इकाई :–** धारा 107 में विशेष पुलिस किशोर इकाई के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिलें और शहर में विधि के साथ संघर्षरत बालकों एवं अन्य उपेक्षित बच्चों से सम्बन्धित मामलों को देखने के लिए एक विशेष बालक पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है। विशेष बालक पुलिस इकाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा। इस इकाई में जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी शामिल होगें और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनमें एक महिला होगी शामिल होगें। यह इकाई बालको से संबधित सभी कृत्यो का समन्वय करेगी। यह इकाई बालको के विरूद्व अपराधो का संज्ञान गंभीरता से लेगी, विधि के उपबंधो मे प्राथमिकी दर्ज होना सुनिश्चित करेगी। यह इकाई पुलिस थानो के सूचनापट पर बाल कल्याण अधिकारी एवं बाल संरक्षण से जुडी अन्य इकाईयो के नाम, संपर्क सूत्र द्रश्यमान स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगी ।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी :– धारा 107 में ही बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किए गए है। प्रत्येक पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होगा जो सहायक उप निरीक्षक के पद से कम का न हो एवं बालकों से जुड़े मुद्दो पर जानकारी रखता हो। जिसके पास बालकों के सम्बन्ध में विशेष योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति का ज्ञान हो और स्वैच्छिक और गैरसरकारी संगठनों के समन्वय से बालकों के साथ पीड़ित या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने में सक्षम हो।

बालकों कें विरूद्व अपराध

धारा 75 बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध

किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचारपत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ठ या दृश्य–श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते

sonia tanwar

या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा, जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या किसी पीड़ित बालक या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतर्वलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा, परंतु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति, ऐसा प्रकटन, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगी, जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

पुलिस, चरित्र प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का, ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां कि मामला बंद किया जा चुका हो या उसका निपटारा किया जा चुका हो।

उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 76 बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड

जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसका उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा,

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि जैविक माता–पिता द्वारा बालक का ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा परित्याग जानबूझकर नहीं है और ऐसे मामलों में इस धारा के दांडिक उपबंध लागू नहीं होंगे।

परंतु यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंधन कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त क्ररता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसे मानसिक रोग हो जाता है या वह मानसिक रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य

sonia tanwar

हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है, ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 76 भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का नियोजन

जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

परंतु यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति बालक का अंगोच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो वह कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करता है, वह उपधारा (1) में यथा उपबंधित दण्ड से, दंडनीय होगा और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (अ) के अधीन अयोग्य माना जाएगाः परंतु ऐसे बालक को किन्हीं भी परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा और समुचित पुनर्वास के लिए समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

धारा 77 बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति

जो कोई सम्यक रूप से अहिंत चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय किसी बालक को किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि या तंबाक् उत्पाद या मनःप्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 78 किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, साथ रखने, पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना –

soniyatanwar

जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि, मनःप्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, साथ रखने, पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

धारा 79 किसी बाल कर्मचारी का शोषण

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमानत लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'नियोजन' पद के अंतर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

धारा 80 विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किये बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय

यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को इस अधिनियम में यथा उपबंधित उपबंधों या प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए प्रस्थापना करता है, उसे देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति या संगठन, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगाः

परंतु ऐसे मामले में जहां अपराध किसी मान्यताप्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा किया जाता है, दत्तक ग्रहण अभिकरण के भारसाधक और दिन–प्रतिदिन कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर अधिनिर्णीत उपरोक्त दंड के अतिरिक्त, ऐसे अभिकरण का धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और धारा 65 के अधीन उसकी मान्यता को भी कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वापस ले लिया जाएगा।

धारा 81 बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन

sonia tanwar

ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है या उसे उपाप्त करता है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और एक लाख रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा।

परंतु जहां ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत किसी अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह के कर्मचारी भी हैं, किया जाता है, वहां कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और सात वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 82 शारीरिक दंड

किसी बालक देखरेख संस्था का भारसाधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से किसी बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दस हजार रुपए के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति, उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध होता है तो ऐसा व्यक्ति सेवा से पदच्युति का भी दायी होगा और उसे उसके पश्चात् प्रत्यक्षतः बालकों के साथ कार्य करने से भी विवर्जित कर दिया जाएगा।

ऐसे मामले में, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंधतंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है या समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, वहां ऐसी संस्था के प्रबंधतंत्र का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और वह जुर्माने का भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

धारा 83 उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग

कोई गैर–राज्यिक, स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल, जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में घोषणा की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है या उसका उपयोग करता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक ही हो सकेगी, भागी होगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने का भी, दायी होगा।

Sonia Tanwar

कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह, बालकों का व्यष्टिक रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करता है, वह कठोर कारावास का, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, भागी होगा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 84 बालक का व्यपहरण और अपहरण

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से धारा 369 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और सभी उपबंधों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा।

धारा 85 निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध

जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को, किसी बालक पर, जिसे किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस प्रकार निःशक्त रूप में प्रमाणित किया गया है, करता है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दुगुनी शास्ति का दायी होगा।

स्पष्टीकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "निःशक्तता'' पद का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में उसका है।

धारा 86 अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।

soniya tanwar

धारा 87 दुष्प्रेरण

जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा।

स्पष्टीकरण कोई कृत्य या अपराध, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब माना जाएगा जब वह उकसाने के परिणामस्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है, किया जाता है।

धारा 88 वैकल्पिक दंड

जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन उस दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है।

धारा 89 इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध

कोई बालक जो इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा।

15 लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984

(Prevention of Damage to Public Property act 1984)

धारा 2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

sonia tanwar

(क) ''रिष्टी का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता,1860 (1860 का 45) की धारा

425 में है;

(ख) ''लोक सम्पत्ति '' से, अभिप्रेत है कोई स्थावर या चल–सम्पत्ति (मशीनरी आदि को सम्मिलित करते हुए), जो निम्न के स्वामित्व या उनके कब्जे अथवा नियन्त्रण में हो–

(1) केन्द्रीय सरकार, या

(2) कोई राज्य सरकार, या

(3) किसी स्थानीय प्राधिकारी, या

(4) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित कोई (5) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई कम्पनी, या

(6) कोई संस्थान, समुथान या उपक्रम जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, इसके लिए विनिर्दिष्ट करे

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपखण्ड के अधीन संस्थान समुथान या उपक्रम को विनिर्दिष्ट नही ंकरेगी जब तक कि ऐसा संस्थान, समुथान या उपक्रम प्रत्यक्षतः या परोक्षतः केन्द्रीय सरकार द्वारा या एक से अधिक राज्य सकारों द्वारा अथवा अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और अंशतः एक से अधिक राजय सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधि से पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त न हो।

धारा 3. लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी– (1) जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय, किसी लोक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्य करके रिष्टि कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और आर्थिक दण्ड से दण्डित किसा जाएगा।

(2) कोई निम्नलिखित प्रकार की, किसी लोक सम्पत्ति का कोई कार्य करके रिष्टी कारित करता है–

(क) जल, प्रकाश, बिजली या उर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के लिये प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति ,

(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान,

soniya tanwar

(ग) कोई मल संकरम,

(घ) कोई खान माइन या कारखाना,

(ड.) लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन अथवा उससे समबन्धित या प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठान अथवा अन्य सम्पत्ति वह ऐसे जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से छह माह से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 4. अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाला कार्य–: जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिभाषित अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता हे, वह ऐसे कारावास से एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से एक वर्ष से कम के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

धारा 5. जमानत के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध–: धारा 3 या धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो तो तब तक जमानत पर नहीं छोडा जाएगा जब तक कि अभियोजन को इस प्रकार के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

धारा 6. व्यावृत्ति–: इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण के रूप में तथा इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाई से (चाहे इन्वेस्टीगेशन के दौरान या अन्यथा) उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगी जो इस अधिनियम के अतिरिक्त उसके विरूद्ध की जा सके या संस्थापित की जा सके ।

16 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951

(Representation of People Act, 1951)

sonya tanwar

123. भ्रष्ट आचरण – निम्न इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे–

(71) ''रिश्वत'' अर्थात् –

(क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षः या परोक्षतः यह उद्देश्य हो कि –

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए, अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत (बिनामत) रहने के लिए उत्प्ररित किया जाए,

(1) किसी व्यक्ति के लिए इस बात के लिए कि वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थित वापस ले ली या नहीं ली, अथवा

(2) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के लिए कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा इनाम के रूप में हो,

(क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए, या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो, स्वंय अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता वापस लेने या न लेने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए, चाहे हेतुक के रूप में या इनामस्वरूप कोई परितोषण करना या प्राप्त करने के लिए करार करना।

टिप्पणी– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''परितोषण'' पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन

soniya tanwar

और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन में आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता की या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता को सम्पति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्नः

परन्तु–

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो –

(1) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्व है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन करना है, पहुँचने की धमकी देता है, अथवा

(2) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने या प्रयत्न करता है कि वह या कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्व है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा या भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वंतत्र प्रयोग में इस खण्ड के अन्दर हस्तक्षेप करता है।

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या कियी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र जो किसी निर्वाचान अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवश, जाति, समुदाय या भाषा के आाधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के

soniya tanwar

निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक, तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाईः

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आवंटित कोई प्रतीक इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक पर राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा।

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार परसंवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना।

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता का अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो गलत है और या तो जिसके गलत होने का उसको विश्वास है ाया जिसकें सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन होता है।

(8) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वंय अभ्यर्थी उसके कुटुम्ब के सदस्य या अभिकर्त्ता से भिन्न) किसी निर्वाचन के मुफ्त प्रवहण के लिए किसी यान अथवा जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा या अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा ऐसे यान या जलयान का उपयोग करनाः

परन्तु यदि निर्वाचन या कई निर्वाचकों द्वारा अपनपे संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवहित किए जाने के प्रयोजन के

soniya tanwar

लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया जाता है, तो यदि यान या जलयान यान्त्रिक शक्ति से प्रचालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने बाबत यह न समझा जाएगा कि यह भ्रष्ट आचरण है।

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्च पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

स्पष्टीकरण– इस खण्ड में ''यान'' पर ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवाहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा प्रचलित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो।

(6) धारा 77 के उल्लंघन के व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना।

(7) सरकार की सेवा में के और निम्नलिखित वर्गो में से, अर्थात्–

(क) राजपत्रित अधिकारियों,

(ख) सम्बन्धित न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,

(ग) संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों,

(घ) पुलिस बलों के सदस्यों,

(ड़) उत्पादकों शुल्क अधिकारियों,

(च) राजस्व अधिकारियों, जो लम्बरदार, मालगुजर, पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व अधिकारियों से भिन्न है, जिनका कर्त्तव्य भू– राजस्व इकट्ठा करना

soniya tanwar

है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा इकट्ठा भू– राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है किन्तु जो किन्हीं कृत्यों का निर्वहन नहीं करते , और

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित जाएं ।' में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए मत देनू से अन्यथा कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपास किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करनें का दुष्प्रेरण का प्रयत्न करना :

परन्तु यदि सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गो में से किसी वर्ग में कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता, या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके सम्बन्ध में अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश कोई इन्तजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसा इन्तजाम सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण– (1) निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के सम्बन्ध में अभिकर्त्ता के रूप में कार्य किया है इस बारा में के ''अभिकर्त्ता'' पद के अन्तर्गत आते हैं।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य किया है, तो उपधारा (7) के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है।

(3) उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति

soniya tanwar

की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा को पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाये जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन –

(1) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होते ही तारीख से ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या उस पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति को सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था।

127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव – (1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में, जिसके सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छन्खलता से कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो 250/– रूपये तक का हो सकेगा या दण्डनीय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन– क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वचन होता है और उस निर्वाचन – क्षेत्र गई है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाये तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने से असफल रहता है या यदि पुलिस अधिकारी उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता है कि उससे गलत नाम या पता दिया है, तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकेगा।

sonia tanwar

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना – (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति जो, निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से सशक्त किसी कर्त्तव्य पालन करता हैं, मतदान, की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए करने के सिवाय संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से , जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दण्डनीय होगा।

130. मतदान केन्द्रो में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध – (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को जिनको या जिसको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है : मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यो में कोई कार्य न करेगा, अर्थात् –

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उसके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना:, और

(ड) निर्वाचन के सम्बन्ध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों को उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो 250/– रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

sonia tanwar

131. मतदान केन्द्रो में या उसके निकट विच्छन्खलता आचरण के लिये शास्ति – (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रयुत्पादन के लिये कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में से किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लायेगाा ाया निच्छूंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिये मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा। या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठीसीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करे और पुलिस अधिकारी उस पर उसे गिरफतार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लघंन का निवारण करने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाये गये किसी साधित्र को जब्त कर सकेगा।

135(ग). मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जानाः–

soniya tanwar

(1) मतदान क्षेत्र के किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियम समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पांथशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक याप्राइवेटस्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदाथ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाता है, वहा स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ , जो उसके कब्जे में पाए जाएं , अधिग्रहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएका जो विहित की जाए।

17 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम

Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act- 2011

लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वे वैधानिक कानून शामिल है जो सरकार द्वारा नागरिको को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करते है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से सेवाओं का वितरण नहीं होने पर सरकारी मुलाजिमों को दण्डित करने के लिए तंत्र भी प्रदान करते है।

इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार में कमी लाना है।

देश में मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम पारित किया था। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अधिनियम के उल्लंघन पर दंड सम्बन्धी प्रावधान रखे है। राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम दिनांक 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया था।

sonya tanwar

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

इस अधिनियम के अंतर्गत 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है जिसमे बिजली, जलदाय, स्वास्थय, नगर निगम, पंचायती राज जैसी सेवाएं शामिल है।

इसके अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित विभाग एक कार्मिक की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों को लेने के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिकृत कर्मचारी आवेदक को लिखित में अभिस्वीकृति देगा तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने पर नियत समय सीमा का उल्लेख भी करेगा।

यदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है तो इसका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जाएगा तथा नियत समय सीमा नहीं दी जाएगी।

सेवा नियत समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सेवा में विलंब या नहीं मिलने की दशा में पदाभिहित अधिकारी कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगा, अपील के लिए समयावधि तथा अपील अधिकारी की भी जानकारी देगा।

नियत समय सीमा की गणना करते समय लोक अवकाशों को शामिल नहीं किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी अनिवार्य रूप से जनता की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर सेवाओं से संबंधित सभी सुसंगत जानकारियों का प्रदर्शन करेगा। इसमें सेवा के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों का भी उल्लेख होगा।

प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवदेन के साथ कोई फीस देय नहीं होगी।

प्रार्थी नियत समय सीमा की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रथम अपील अधिकारी या तो सम्बंधित पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश देगा या फिर अपील को नामंजूर कर देगा।

प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध ऐसे निर्णय की तारीख से साठ दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकेगी।

शास्ति अथवा दंड

जहा द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय हो की पदाभिहित अधिकारी वांछित सेवा प्रदान करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है तो वह पांचसौ से अधिक तथा पांच हजार रूपये से कम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

soniya tanwar

जहा द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय हो की पदाभिहित अधिकारी ने वांछित सेवा प्रदान करने में पर्याप्त कारणों से विलम्ब किया है तो वह दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जिसकी अधिकतम सीमा पांच हजार रूपये होगी।

जहा द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय हो की प्रथम अपील अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर अपील का विनिश्चय करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है तो वह पांच सौ से अधिक तथा पांच हजार रूपये से कम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

इस राशि को द्वितीय अपील अधिकारी के आदेशानुसार प्रार्थी को प्रतिकर के रूप में दिया जा सकता है।

अधिनियम का वर्तमान स्वरुप तथा कमियाँ

अधिनियम को लागू हुए लगभग दस वर्ष बीत चुके है लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ है।

अधिनियम में 15 विभागों की सिर्फ 108 सेवाए शामिल है। अन्य सेवाएं इस अधिनियम में शामिल नहीं है।

अधिकतर मामलो में विभागीय अधिकारी ही अपील अधिकारी होते है जिसकी वजह से दोषी अधिकारी पर उचित कार्यवाही नहीं हो पाती है।

कानून में प्रथम व द्वितीय अपील का प्रावधान है लेकिन ज्यादातर लोगो को इसकी जानकारी नहीं है।

प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग के अनुसार अब तक एक दो मामलो में ही दोषियों को दंड मिला है जो कि अधिनियम की विफलता को साफ दर्शाता है।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी नियम 2011 के अन्तर्गत आवेदक को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करायी जाती है।

ये अधिनियम 14 नवम्बर 2011 से प्रभावी हुआ है। वर्तमान में 18 विभाग की 153 सेवाओं के लिये कार्य की समय सीमा निर्धारित की गई है।

सक्षम अधिकारी निर्धारित समय सीमा में आवेदक को मांगी गई सेवा प्रदान करेगा या उपयुक्त कारण बताते हुए आवेदन खारिज कर आवेदक को सुचित करेगा। सम्बन्धित अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस में प्रथम अपील का निपटारा करना होगा। प्रथम अपील के निपटारे के 60 दिवस के भीतर दूसरी अपील की जा सकेगी। प्रथम एवं द्वितीय अपील का कोई शुल्क संदेय नहीं होगा। नियत समय सीमा की संगणना करते समय सार्वजनिक अवकाश दिन की गणना नहीं की जायेगी।

sonya tanwar

द्वितीय अपील अधिकारी का यदि यह मत है कि पदाविहित अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहा है तो वह सम्बन्धित अधिकारी पर कम से कम 500 रूपये तथा अधिकतम 5000 रूपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा तथा विलम्ब से सेवा प्रदान करने पर प्रतिदिन 2.50 रूपये की दर से राशि अधिरोपित कर सकेगा जो 5000 रूपये से अधिक नहीं होगी। यह शास्ति सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से काटी जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा सकेगी।

गृह (पुलिस) विभाग

1.	पासपोर्ट के लिए सत्यापन	–	30	दिवस
2.	आर्म्स के लाईसेन्स नवीनीकरण के लिए सत्यापन	–	30	दिवस
3.	एफ.आई.आर. की प्रति/नकल उपलब्ध करवाना	–	24	घंटे

18 कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं सुधार अधिनियम 2013

अधिनियम का इतिहास

- वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाऐं पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे रही है। महिलाओं को कार्य स्थल पर एक सुरक्षित वातावरण मिले तथा वे बिना किसी भय या संकोच के गरिमापूर्ण वातावरण में कार्य कर सके इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यह अधिनियम बनाया गया है।
- मूलतः यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में दिए गए निर्देषों के अनुसरण में बनाया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत व्यथित महिला

- इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यथित महिला है :–
  1. किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीडन के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है।
  2. किसी निवास या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी ऐसे निवास या गृह में नियोजित है।

अधिनियम के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन

- इस अधिनियम की धारा 2 ढ के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन है :–
  1. शारीरिक सम्पर्क और फायदा उठाना।

sonya tanwar

2. लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना।
3. लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना।
4. अष्लील साहित्य दिखाना।
5. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या शाब्दिक या गैर – शाब्दिक कार्य करना।

- इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन के आशय से निम्नांकित परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है :–
  1. उस महिला के रोजगार में विशेष व्यवहार के लिए अर्न्तनिहित या स्पष्ट वादा करना।
  2. उस महिला के रोजगार में हानिकारक व्यवहार के लिए धमकी देना।
  3. उस महिला के वर्तमान या भविष्य के रोजगार के लिए धमकी देना।
  4. उस महिला के कार्य में हस्तक्षेप करना और उसके लिए भयभीत और शत्रुतापूर्ण वातावरण स्थापित करना।
  5. उस महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना जो उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक है।

अधिनियम के अन्तर्गत कार्यस्थल

- ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्था, कार्यालय, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित या नियन्त्रणाधीन हो।
- किसी प्राइवेट सेक्टर का उपक्रम, संस्थान या संगठन या कार्यालय आदि।

अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक समिति

- इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यस्थल के लिए नियोजक एक आन्तरिक परिवाद समिति गठित करेगा जिसमें –
  1ण अध्यक्ष उस संगठन में काम करने वाली वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी। यदि ऐसी कोई महिला अधिकारी नहीं है तो नियोजक कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रषासनिक यूनिटों से नाम निर्दिष्ट करेगा।
  2ण वहां उपलब्ध कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव हो या विधिक ज्ञान हो।
  3ण गैर सरकारी संगठनों से एक सदस्य जो ऐसी ही योग्यता रखता हो।
- समिति के कुल सदस्यों की आधी सदस्य महिला होंगी।
- सभी की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी।

अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय समिति

Sonia tanwar

- इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सरकार किसी जिला मजिस्टेट या अपर जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- धारा 6 के अन्तर्गत जिला अधिकारी ऐसे संगठनों के लिए जहां 10 से कम कर्मचारी है स्थानीय समिति का गठन करेंगें। यह समिति असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के लिए भी होगी।

अधिनियम के अन्तर्गत षिकायत

- इस अधिनियम के तहत कोई व्यथित महिला या उसका विधिक उत्तराधिकारी लैंगिक उत्पीडन की शिकायत घटना के 90 दिनों के अन्दर आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति को कर सकती है।
- समिति जांच प्रकिया प्रारम्भ होने से पूर्व दोनो पक्षों में समझौता हो जाता है जो व्यथित महिला के आवेदन पर कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत जांच

- आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति लिखित परिवाद प्राप्त होने पर मामले की जांच करेगी। जांच के क्रम मे उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- जांच में आरोप साबित होने पर समिति नियोजक को प्रत्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी।
- समिति व्यथित महिला को प्रत्यर्थी के वेतन में से क्षतिपूर्ति या प्रतिकर देने के आदेश भी दे सकती है।
- नियोजक समिति के सिफारिशों पर 60 दिन में कार्यवाही करने के लिए बाध्य है।
- यदि किसी मामले में आरोप झूठे पाये जाते है तो उस महिला के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।
- प्रत्यर्थी समिति के फेसले के विरुद्ध 90 दिन में न्यायालय में अपील कर सकता है।
- जांच के लंबित रहने के दौरान समिति नियोजक को परिस्थितियों के अनुसार निम्न सिफारिश कर सकती है :–
  1. व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण।
  2. व्यथित महिला को तीन मास तक का अवकाश।
  3. व्यथित महिला को अन्य कोई राहत जो आवश्यक समझी जाए।

अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक के कर्त्तव्य

- धारा 19 के अन्तर्गत नियोजक के कर्त्तव्य निर्धारित किए गए है :–
  1. कार्यस्थल पर सुरक्षित वातारवण उपलब्ध कराना।

Sonia Tanwar

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत आंतरिक समिति का गठन करना तथा सभी को इस बाबत अवगत कराना।
3. यदि महिला घटना के संबंध में अन्य कोई कानूनी कार्यवाही चाहती है तो उसकी मदद करना।
4 अपराध कर्ता के विरुद्ध, जहां अपराधकर्ता कर्मचारी नहीं है, आवश्यक कानूनी कार्यवाही संस्थित करवाना।
5. आन्तरिक समिति की सिफारिशें को लागू करना।

soniya tanwar